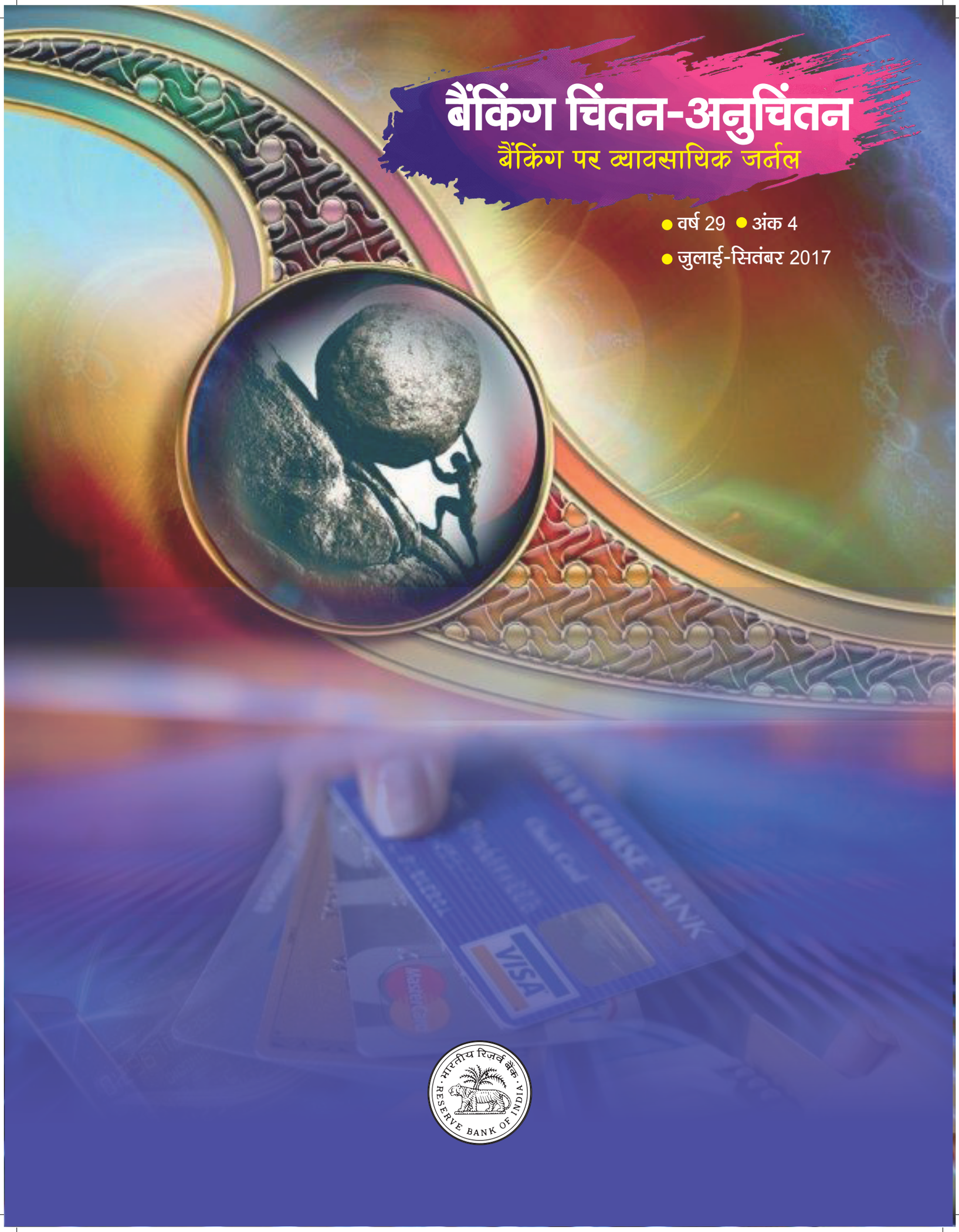

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

● वर्ष 29 ● अंक 4

● जुलाई-सितंबर 2017

सदस्य

Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

- संपादक - मंडल 1
- संपादकीय 2
- अनुचिंतन 4
- भाषण
  - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान : अंतिम परिणति की ओर — ऊर्जित आर. पटेल 5
- लेख
  - भारतीय बांड बाजार एवं संबंधित डेरिवेटिव्स — प्रेम प्रकाश राय 10
  - बैंकिंग पर्यवेक्षण का नया आयाम - जोखिम आधारित पर्यवेक्षण — प्रेम रंजन प्रसाद सिंह 15
  - "अंगुल-चिह्न का इतिहास और बैंक" — विद्या भूषण मल्होत्रा 22
  - एनपीए समस्या समाधान में "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016" की भूमिका — भुवनेश कुमार 24
  - पुस्तक समीक्षा — श्री चरणजीत सिंह 30
  - बैंकों में सुदृढ़ धोखाधड़ी प्रबंधन — मंजुला वाधवा 34
  - बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) — दयाराम वर्मा 40
  - विमुद्रीकरण और कैशलेस इंडिया — अनिल कुमार 49
  - भविष्य की मुद्रा – कूटमुद्रा — डॉ. रमाकांत शर्मा 54
  - भारत में कृषि को लाभदायक बनाने हेतु ऋणमाफी और अन्य आवश्यक कदम — बिबेकानंद पंडा, हीरालाल करनावट 61
- रेग्युलेटर की नज़र से — एल. एन. उपाध्याय 67
- इतिहास के पन्नों से — शशांक युगल किशोर दुबे 70
- घूमता आईना — के. सी. मालपानी 75
- लेखकों से / पाठकों से 79

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, दूसरी मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा अल्को कॉर्पोरेशन, मुंबई से मुद्रित।
इंटरनेट: https://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।
E-mail: rajbhashaco@rbi.org.in फोनः 022-26572801 फैक्सः 022-26572812

संपादक - मंडल

संरक्षक

श्रीमती लिलि वडेरा
मुख्य महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

प्रबंध संपादक

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा
प्रभारी उप महाप्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

श्री गोपाल सिंह
उप महाप्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

श्री राजेश कुमार
सहायक प्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

तकनीकी सहयोगी

श्री सुबोध महरोत्रा
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक,
डीईपीआर, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051

सदस्य

श्री ब्रिज राज
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
पटना कार्यालय

श्री चरणजीत सिंह
महाप्रबंधक
ओरियन्टल बैंक आफ
कॉमर्स, गुड़गांव

श्री राकेश चन्द्र नारायण
महाप्रबंधक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
कोलकाता

श्री के.पी. तिवारी
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक,
डीईपीआर, मुंबई

डॉ. अजित कुमार
संकाय सदस्य एवं
उप महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

श्री जनमेजय पटनायक
उप महाप्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
सीबीओटीसी, भोपाल

श्री एल. एन. उपाध्याय
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. जवाहर कर्णावट
उप महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव
मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

संपादकीय सहयोग

श्रीमती सुषमा फडणीस
सहायक महाप्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डिज़ाइन एवं लेआउट सहयोगी

सुश्री सोमा दास
सहायक प्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कला सहयोगी

श्री अभय मोहिते
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुंबई

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है , बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादकीय....

चिंतन

गुणो भूषयते रूपं शीलं भूषयते कुलम्।
सिद्धिर्भूषयते विद्यां भोगो भूषयते धनम्॥

अर्थात् रूप की शोभा गुणों से होती है, शील से ही कुलीनता आती है, मात्र जन्म से नहीं, जीवनोपयोगी सिद्धियाँ या कौशल सिखाने के सामर्थ्य में ही विद्या की सार्थकता है और समुचित उपभोग में ही धन की सार्थकता है, संचय में नहीं।

प्राचीन भारत के अग्रगण्य मनीषी, अर्थशास्त्री, नीतिशास्त्री और आदर्श शिक्षक आचार्य चाणक्य के ये नीतिवचन आज भी कितने प्रासंगिक हैं। वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने के जो सूत्र उन्होंने हमें दिए हैं, वे हमारे लिए आलोक स्तंभ सदृश हैं। "गुण' और 'शील' मानव के वैयक्तिक विकास के नियामक तत्त्व हैं, वहीं 'सिद्धि या कौशल-प्रदात्री शिक्षा व्यवस्था' तथा अर्थ का समुचित भोग क्रमश: सामाजिक और आर्थिक विकास के मूल मंत्र हैं।

अनुचिंतन

स्वाधीनता के बाद देश के समक्ष अशिक्षा और गरीबी सबसे बड़ी चुनौतियां थीं। सबके लिए वहनीय लागत पर शिक्षा उपलब्ध कराने और सर्वसमावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्य को सामने रखकर पंचवर्षीय योजनाएं बनायी गयीं। परंतु आजादी के बाद आधी सदी बीतते-बीतते हमने यह अनुभव किया कि देश में शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत तो उल्लेखनीय रूप से बढ़ा परंतु उस अनुपात में बेरोजगारी नहीं घटी। अर्थात् चाणक्य के शब्दों में कहें तो हमारी शिक्षा 'सिद्धिदात्री' न बन सकी। *'जो शिक्षा हमें दो वक्त की रोटी न दिला सके, उसका क्या मूल्य?'* – इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की दिशा में सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया। स्टार्ट-अप जैसी कई योजनाओं के ज़रिए आज देश का युवा अपना भविष्य संवारने में लगा है।

दूसरी ओर, आर्थिक विकास के कार्यक्रमों से देश की जीडीपी में तो इज़ाफा हुआ, परंतु यह विकास समावेशी न बन सका। आर्थिक संसाधन कुछ चुनिंदा हाथों में सीमित होते गए। जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी बुराइयां बढ़ीं। व्यापक रूप से देखें तो लालच और अधिकाधिक संग्रह की मानवीय कमजोरी के चलते ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे दूर रहने की सलाह आचार्य चाणक्य ने अपने उपर्युक्त नीतिवचन – 'भोगो भूषयते धनम्'- में दी थी। उनकी सलाह पर अमल न कर पाने के चलते हालात यहाँ तक पहुंच गए कि काले धन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था ने हमारे देश में अपनी जड़ें जमा लीं। ऐसे में आर्थिक विकास की योजनाएं बनाना और प्रभावी तरीके से उनका कार्यान्वयन अत्यंत कठिन हो रहा था। काले

धन की समस्या से निपटने के लिए बैंक नोटों के विमुद्रीकरण जैसा साहसिक कदम उठाया गया। देश का मौद्रिक प्राधिकारी होने के नाते रिज़र्व बैंक के सम्मुख एक बड़ी चुनौती थी जिसके निर्वहन में हम सफल रहे। इसके अलावा, आर्थिक संसाधनों का लाभ देश के हरेक नागरिक को उचित रूप से मिले, इसके लिए पिछले एक दशक से भारत सरकार और अर्थजगत से जुड़ी अन्य संस्थाओं ने वित्तीय समावेशन की मुहिम तेज कर दी है। इस दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक भी अन्य वाणिज्यिक बैंकों का सहयोग प्राप्त करते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और सम्मिलित प्रयासों से 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है।

बैंक राष्ट्र के आर्थिक विकास की धुरी हैं। बैंकिंग व्यवस्था की विनियामक और पर्यवेक्षी संस्था होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी भूमिका के प्रति सतत समर्पित है। देश के आर्थिक विकास से जुड़ी समस्याओं, चुनौतियों को समझने तथा तेजी से बदल रहे आर्थिक वाणिज्यिक परिदृष्य पर नज़र रखने के लिए यह आवश्यक है कि संस्था में सार्थक विचार-विमर्श के लिए समुचित प्लेटफॉर्म हो। 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' लम्बे अरसे से इस आवश्यकता की पूर्ति करती आ रही है। पत्रिका के वर्तमान अंक में हमने अन्य आलेखों के साथ-साथ 'अंगुल चिह्न' और 'क्रिप्टोकरेंसी' जैसे अपेक्षाकृत नये और बहुचर्चित विषयों को शामिल करने का प्रयास किया है। साथ ही, 'कृषि को लाभदायक क्रियाकलाप बनाने' एवं 'एनपीए की समस्या और दिवाला संहिता' जैसे विचारोत्तेजक विषयों को भी शामिल किया गया है।

पत्रिका के 29वें वर्ष के चौथे अंक के संपादकीय के माध्यम से मुझे आपको यह बताते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है कि 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' को ISSN (International Standard Serial Number) संख्या प्राप्त हो गयी है। भारतीय बैंकिंग जगत की एक प्रामाणिक हिंदी पत्रिका के रूप में हमारे दावे को मान्यता मिल गयी है। मेरा विश्वास है कि आप सभी के सक्रिय सहयोग से हम पत्रिका के स्तर को बनाए रखने और उसमें सतत गुणात्मक सुधार लाने में सफल रहेंगे।

हमें आपकी रचनात्मक प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी।

(काज़ी मु. ईसा)
प्रभारी उप महाप्रबंधक
एवं
प्रबंध संपादक

अनुचिंतन

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का जनवरी – मार्च 2017 अंक 2 प्राप्त हुआ। पत्रिका का अध्ययन किया, अध्ययन के पश्चात मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई जिसके लिए मैं संपादक मंडल एवं समस्त लेखकों का हृदय से आभारी हूँ। पुस्तक का मुख पृष्ठ भी बहुत ही आकर्षक है। यद्यपि पुस्तक के सभी लेख मुझे बहुत ही अच्छे लगे लेकिन 'सूचना प्रौद्योगिकी एवं ग्राहक सेवा', 'विलयन, अधिग्रहण व समेकन-एक संक्षिप्त परिचय', 'डिजिटल बैंकिंग – सुविधा तथा सावधानियाँ' एवं 'भारतीय बैंकिंग व्यवस्था – नकद रहित बैंकिंग की स्थिति' आदि अत्यंत ही सराहनीय रहे। अतः मैं पुनः संपादक मंडल के सभी सदस्यों, समस्त लेखकों एवं पत्रिका से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भविष्य में प्रकाशित पत्रिका की प्रतीक्षा में !

योगेन्द्र दत्त शर्मा

जहांगीराबाद, उत्तर प्रदेश

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का वर्ष 29 अंक 2 'जनवरी-मार्च 2017' प्राप्त हुआ। पढ़कर ऐसा लगा जैसे जैसे तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी बढ़ी वैसे वैसे ही साइबर अपराधों से बचाव करना नितांत जरूरी हो गया है। जिसके कारण ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं जिनसे ग्राहक एवं बैंक दोनों हानियाँ झेल रहे हैं। इसी के मद्देनजर यह साइबर जोखिम अंक कहना उचित प्रतीत होता है। पत्रिका का प्रथम आलेख भूतपूर्व उप गवर्नर श्री एस. एस. मूंदड़ा का भाषण इसी संदर्भ में बृहद जानकारी से ओतप्रोत, शिक्षाप्रद और समसामयिक भी है।

'इतिहास के पन्नों से' के अंतर्गत अहमदाबाद कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक श्री सुशील कृष्ण गोरे द्वारा आत्म कथात्मक शैली में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की जीवन यात्रा के सफ़रनामे को बहुत ही सुंदर व रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। स्तंभ 'रेग्युलेटर की नज़र से' और 'घूमता आईना' में वर्णित जानकारी बहुत ही उपयोगी तथा बेमिसाल है। समूचे अंक में विशेष रूप से साइबर अपराधों और उनके बचाव के उपायों से संबंधित जानकारी पढ़ने को मिली। वर्तमान समय में आए दिन समाचार पत्रों में बैंकों के एटीएम मशीनों से खातेदारों के धन गबन की वारदातों के अपराध नित्य प्रतिदिन होते हुए पढ़ने में आ रहे हैं। प्रस्तुत अंक में सभी पहलुओं पर यथायोग्य सुझाव तथा जानकारियाँ पढ़ने को मिली। पत्रिका के संपादक मंडल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अतएव संपादक मंडल के सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ अगले अंक की प्रतीक्षा में !

हरिश्चंद्र सागरमल अग्रवाल

अकोला, महाराष्ट्र

जनवरी –मार्च 2017 अंक प्राप्त हुआ। आज के समय में साइबर क्राइम एक चुनौती है। इस संबंध में यह अंक काफी उपयोगी है। 'घूमता आईना' 'इतिहास के पन्नों से' में अच्छी जानकारी प्रदान की गई है। संपादकीय में 'आलस सबसे बड़ा शत्रु है', सार्थक वाक्य है। उपयोगी अंक के लिए साधुवाद।

संतोष श्रीवास्तव

भोपाल, मध्य प्रदेश

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का जनवरी-मार्च 2017 का अंक प्राप्त हुआ। संपादकीय में समूची पत्रिका की प्रकाशित सामग्री का विवरण बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में साइबर जोखिम की दिनों-दिन बढ़ती समस्या चिंता का विषय है। इस ओर बैंकों को तथा सरकार को प्राथमिकता से ध्यान देकर समाधान खोजने की यथाशीघ्र जरूरत है। इस विषय में 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में सरल और सहज भाषा में उपयोगी जानकारी निरंतर प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता है। 'इतिहास के पन्नों से' तो बहुत रोचक एवं ज्ञानवर्धक स्तंभ है ही, 'घूमता आईना' और 'रेग्युलेटर की नजर से' उपयोगी जानकारियों का भंडार है।

विष्णु शर्मा

फ़ैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश

दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान : अंतिम परिणति की ओर *

ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर

1. माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, सेबी के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी, आईबीबीआई के अध्यक्ष डॉ. साहू; नेशनल फाउन्डेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री चन्द्रजीत बनर्जी, देवियो और सज्जनो। सबसे पहले तो मैं आयोजकों यथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) और नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की सराहना करता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ऐसे अहम विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन किया। विगत कुछ वर्षों में लगातार उच्च अनुपातों को देखें तो बैंकिंग प्रणाली का सकल एनपीए अनुपात 12 प्रतिशत पर चल रहा है, जो वस्तुत: चिन्ता का विषय है। इस जीएनपीए का 86.5 प्रतिशत बड़े कर्जदारों के पास है, अर्थात ऐसे कर्जदार जिनके पास 5 करोड़ और अधिक की रकम फंसी हुई है। जब इसे कुछ बैंकों, खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी की स्थिति के समक्ष देखें, तो इस समस्या से निपटने की चुनौती और भी बढ़ जाती है।

2. बैंक के तुलनपत्र को विघ्न रहित करने और पूँजी के कुशल पुन: आबंटन के लिए दबावग्रस्त आस्तियों का सहज, समयबद्ध निराकरण या नकदीकरण काफी महत्वपूर्ण होगा। बहु आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से इस चुनौती का सम्यक रूप से सामना करने के लिए सरकार, आईबीबीआई और रिज़र्व बैंक एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। इस संक्षिप्त चर्चा के दौरान मेरा आशय है कि इस सम्मिलित दृष्टिकोण के प्रमुख आयामों पर प्रकाश डालूँ और इसमें निहित विचारधारा के बारे में बताऊँ।

3. कानूनी, विनियामक, पर्यवेक्षी और संस्थागत ढांचे को प्रबल बनाने के लिए पिछले कुछ माह के दौरान सरकार और रिज़र्व बैंक दोनों ने जो विशिष्ट उपाय किए हैं, उनका अंतिम उद्देश्य समयबद्ध तरीके से दबावग्रस्त आस्तियों के शीघ्र निवारण में सुविधा प्रदान करना है। इन उपायों में शीघ्रता की जो भावना निहित है वह इस प्रवृत्ति में परिलक्षित होती है कि कार्य को बहुत आगे तक नहीं खींचा जाए। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ पहले के विधान की दो प्रमुख खामियों को हटाया गया है- पहली यह कि निवारण के लिए स्पष्ट – संहिता, समयबद्ध अवधि का नहीं होना; और दूसरी यह कि व्यावहारिक पुनर्संरचना योजनाओं को आगे-बढ़ाने के लिए बैंकों और ज्वाइंट लैन्डर्स फोरम्स(जेएलएफ) में समन्वय की विफलता।

I. कानूनी ढांचे को सुदृढ़ बनाना

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) का पारित होना हमारे देश में क्रेडिट संस्कृति में सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक घटना है। आईबीसी से पहले भारत में दिवाला प्रक्रिया और /अथवा कार्पोरेट बचाव के विभिन्न

* ऊर्जित आर पटेल, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 2017 को मुंबई में "दिवाला और शोधन अक्षमता: बदलते प्रतिमान पर राष्ट्रीय सम्मेलन" के उद्घाटन सत्र में दिया गया भाषण।

पक्षों को नियंत्रित करने के लिए बहुविध कानून हुआ करते थे, जिसमें सम्यक कानूनी विधान नहीं था जो संकटग्रस्त अथवा चूककर्ता कम्पनियों के लिए अनुमेय एक सर्वांगीण प्रक्रिया बताता हो। आईबीसी में उद्यमिता संवर्द्धन पर विशेष रूप से ज़ोर देते हुए, आस्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए किसी आस्ति के निवारण की समयबद्ध प्रक्रिया की एकल विन्डो प्रदान की गई है।

5. एक ऋणदाता के लिए अधिकांश मामलों में कोई आस्ति तब अधिक मूल्यवत्ता रखती है जब यह व्यवसाय में लगी हो और पर्याप्त नकदी प्रवाह का सृजन करे, बजाय इसके कि वह आस्ति जो दिवाला प्रक्रिया में पड़ी हो । आईबीसी में 180 दिन की समय सीमा बाँध दी गई है (जिसे और आगे 90 दिन बढ़ाया जा सकता है) और इसी अवधि में ऋणदाता को निवारण योजना के लिए सहमति देनी होगी, इसमें विफल रहने पर इस कानून के तहत न्यायनिर्णयकर्ता प्राधिकरण शोधन-अक्षम कम्पनी पर नकदीकरण आदेश पारित कर देगा। समग्र रूप से ऋणदाताओं के लिए परिसमापन की जो आशंका बड़ी हानियों का कारण बन सकती है, वह न बने इसके लिए शीघ्रता से किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए ऋणशोधन निवारण अवधि के दौरान सही परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रोत्साहन होते हैं।

6. प्रवर्तक के लिए आईबीसी के तहत लाए जाने का सबसे बड़ा झटका यह हो सकता है कि उसे अपनी फर्म किसी सक्षम बोली-लगाने वाले को सौंपनी पड़ जाए। इस फर्म को यह ध्यान रखना होगा कि वह चूक न करे और सबसे बड़ी बात कि ज्यादा कर्ज न ले। इससे देश में क्रेडिट संस्कृति की प्रत्याशा बढ़ेगी।

अब हम बैंकिंग विनियमन (संशोधक) अध्यादेश की तरफ आते हैं, यह अध्यादेश संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री महोदय के विशिष्ट नेतृत्व में पारित हो चुका है।

7. एनपीए समस्या के आकार और प्रवृत्ति ने सहवर्ती उपायों का किया जाना जरूरी बना दिया ताकि इस चुनौती का व्यवस्थित रूप से सामना करने में सरकार और रिज़र्व बैंक की मंशा और प्रतिबद्धता का संकेत दिया जा सके। आईबीसी तो आ चुका था लेकिन बड़े दबावग्रस्त खातों के संबंध में बैंकों और जेएलएफ की तरफ से अपेक्षित कार्रवाई सामने नहीं आ रही थी। इस आलस्य का कुछ हिस्सा आईबीसी के आरंभिक दिनों को गया तो इसका कुछ हिस्सा एजेन्सी और नैतिक खतरे की अनूठी (और गंभीर) समस्या को जाता है जो एनपीए का निवारण नहीं करने से हुई, जबकि अधिकांश बैंकिंग क्षेत्र सरकारी स्वामित्व में था।

8. इसी विफलता को सुधारने के लिए रिज़र्व बैंक को सांविधिक समर्थन प्रदान करना जरूरी समझा गया ताकि मामलों को आईबीसी के तहत भेजा जा सके। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 में रिज़र्व बैंक को शक्ति दी गई है कि वह आईबीसी के प्रावधानों के तहत चूक के मामले में बैंकिंग कम्पनियों को ऋण-शोधन निवारण प्रक्रिया आरंभ करने के लिए निदेश जारी कर सकता है। इसके जरिए बैंक को यह सक्षमता भी दी गई है कि दबावग्रस्त आस्तियों के सम्बन्ध में निदेश जारी करे और दबावग्रस्त आस्तियों के निवारण के बारे में बैंकिंग कंपनियों को सलाह देने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों या ऐसी समितियों को निर्दिष्ट करे जिनके लिए रिज़र्व बैंक ही सदस्यों की नियुक्ति करे अथवा नियुक्ति हेतु अनुमोदन करे।

रिज़र्व बैंक द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई

9. इस अध्यादेश की घोषणा के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने आईबीसी के तहत निवारण हेतु संदर्भित किए जाने वाली लेखाबहियों का एक सेट निर्धारित किया, जो आंतरिक परामर्शदाता समिति जेएसी की सिफारिशों पर आधारित है। प्रतिष्ठानों की शिनाख्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया आर्थिक मूल्यों की शीघ्रतम वसूली के उद्देश्य के अनुरूप रही। आईएसी द्वारा सिफारिश किए गए वर्गीकरण मानदंडों का

आधार एक बोधगम्य पृथकता (एनपीए की मात्रा, महत्व और साथ ही अवस्था) था और इनका आईबीसी के निहित प्रयोजनों तथा इस अध्यादेश के साथ निकट का संबंध है।

10. हालांकि इस बात पर भी अवश्य जोर दिया जाना चाहिए कि आईबीसी के तहत ऋण-शोधन अक्षमता प्रक्रिया में भेजे जाने का अनिवार्य रूप से यह मतलब नहीं है कि कम्पनी का समापन हो रहा है। इसमें तो बस एक समय सीमा बताई जाती है जिसके भीतर सभी हिस्सेदारों को मिलकर एक व्यावहारिक निवारण योजना बतानी होगी जिसका अनुमोदन ऋण दाताओं की समिति की कम-से-कम 75 प्रतिशत द्वारा किया जाए; यदि यह प्रयास विफल हो केवल तभी कम्पनी का समापन किया जाएगा।

II. विकासमान विनियामक ढांचा

11. रिज़र्व बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि पर्यवेक्षीय और विनियामकीय ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाए ताकि आरंभिक दबाव को समय रहते समझा और प्रकट किया जा सके जिससे प्रभावी और सार्थक निवारण में सुविधा हो।

12. विशेष रूप से अप्रैल 2015 से ऋणों और अग्रिमों का नवीनीकरण करने पर आस्ति वर्गीकरण के बारे में विनियामकीय रियायत को समाप्त करने का निर्णय विनियामक मानदंडों को अन्तरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा के साथ समरूप करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम था।

13. सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादक आस्तियों के सकल स्टॉक को स्वीकार करने के लिए सन 2015-16 में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा की कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम था- यह एक प्रकार से ''अंतराल को कम करने" की दिशा में प्रयास था। दबावग्रस्त आस्तियों के समन्वित निवारण हेतु एक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कई उपायों की एक श्रृंखला तैयार की गई। इसके अलावा समस्याग्रस्त आस्तियों का निपटारा करने के लिए प्रभावी निवारण विधान नहीं होने के कारण अतिरिक्त युक्तियाँ भी शुरू की गयीं। इन युक्तियों ने प्राथमिक तौर पर क्रेडिट सुविधाओं के सर्वोत्तम नवीनीकरण, स्वामित्व/प्रबंधन को बदलने की क्षमता और दबावग्रस्त आस्तियों के नवीनीकरण में सहायता पहुँचाई। बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री में अधिकाधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक विधान तैयार किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बिक्री बाजार निर्धारित कीमतों पर हुई है।

14. यदि बैंकों द्वारा कुछ ट्रिगर बिन्दुओं का उल्लंघन किया जाता है तो रिज़र्व बैंक द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की प्रणाली के तहत विशिष्ट विनियामक कार्रवाई की जाती है, अभी हाल ही में इस प्रणाली में संशोधन कर दिया गया है। नियम आधारित दृष्टिकोण के अनुसरण में समस्याग्रस्त बैंकों के मामले में यह प्रणाली सामयिक पर्यवेक्षी कार्रवाई को सुनिश्चित करती है। पीसीए का प्रयोजन और डिजाइन ऐसा है कि बैंक की आधारभूत नीतियों को प्रबल करते हुए विश्वास को पुख्ता किया जाए।

15. बैंकों में मूल्यांकन से लेकर मंजूरी तक क्रेडिट का जो कमजोर अनुशासन है, वह दबावग्रस्त आस्तियों के निर्माण का ऐसा घटक है जो बैंकों से ही संबद्ध है। रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रक्रिया के माध्यम से इनमें से कुछ जोखिमों को दिखाया जाता है, जिन्हें संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर निदान के लिए लिया जाता है। तथापि, खास-खास उल्लंघनों/अतिक्रमणों के बारे में प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के प्रयोजन से अलग से प्रवर्तन विभाग स्थापित किया गया है। कानून, नियमावली और निदेशों के उल्लंघनों से निपटने के लिए नियम आधारित समरूप ढांचा तैयार करना इस विभाग के लिए अनिवार्यता है। इस प्रकार की कार्रवाई के माध्यम से प्रवर्तित प्रभावी निषेधों से यह प्रत्याशा है कि सम्यक क्रेडिट संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

16. बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों (एएफआई) में यह सामान्यतः पाया गया कि एनपीए और बैंकों द्वारा घोषित

प्रावधानों तथा एएफआई प्रक्रिया के दौरान किए गए आकलन में भिन्नता है। खाता बहियों, प्रबंधन की प्रभावशीलता की विश्वसनीयता और पारदर्शिता, वास्तविक जोखिम के सामयिक आकलन आदि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तदनुसार, इस असम्बद्धता को दूर करने के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाओं की व्यवस्था की गई है अर्थात् एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाने पर इस प्रकार के विभेदों का विवरण बैंकों को अपने वार्षिक लेखा में देना होगा।

17. हाल ही में सेबी ने एक निर्णय लिया है, जिसमें सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षित है कि वे अन्य तथ्यों के साथ-साथ बैंकों से लिए गए ऋणों के बारे में एक कार्यदिवस के भीतर भी हुई चूक को प्रकट करें; यह भी क्रेडिट संस्कृति में व्यापक अन्तर ला सकता है। यदि मेरा समझना सही है तो बैंक के कर्जदारों द्वारा की गई एक दिन की इस चूक का परिणाम यह होगा कि कर्जदार प्रतिष्ठान को दिए गए सभी बैंक-ऋणों को रेटिंग एजेंसियों द्वारा सामान्यतया "चूक" के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा और इसके साथ ऐसे जोखिमों पर अधिभार के निहितार्थ और बैंकिंग प्रणाली द्वारा पूँजी अपेक्षाएँ भी जुड़ जाती हैं।

III. संस्थागत उपाय

बृहद ऋण केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी)

18. रिज़र्व बैंक ने सन 2014 में सीआरआईएलसी की स्थापना करके प्रणाली स्तर पर एनपीए के बारे में जानकारी की विसंगति दूर करने में एक महत्वपूर्ण अंतराल को भर दिया, इसमें संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में सभी कर्जदारों के क्रेडिट एक्सपोजर संबंधी आंकड़ों के संकलन की सुविधा है, कर्जदारों का और बैंक-दर-बैंक जोखिम का सकल दृष्टिकोण मिलकर पर्यवेक्षकों और साथ-ही-साथ उधारदाताओं के लिए अपेक्षित युक्तियाँ प्रदान कर देता है जो किसी खाते-विशेष में आरंभिक दबाव को समय रहते ट्रैक कर सके। वस्तुत: सीआरआईएलसी के बिना यह आस्ति गुणवत्ता समीक्षा संभव नहीं होती।

संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) व्यवस्था

19. बड़े व्यापार संघों के खातों में समन्वय की समस्याओं को निपटाने के प्रयोजन से जनवरी 2014 में अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को अनुप्राणित करने के लिए ढांचे में जेएलएफ की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। इस संरचना की मुख्य समस्याओं में एक खास समस्या यह भी थी कि क्रेडिटर की प्रत्याशाएँ बहुत से मामलों में नवीनीकरण प्रक्रिया में घट रही थीं । दूसरे शब्दो में कहें तो, अर्थशास्त्री जिसे पाइवोटल वोटिंग के कारण अन्तर्निहित एजेंसी व प्रोत्साहन विफलता कहते हैं, इसी ने जेएलएफ को निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति से वंचित रखा।

20. इनमें से कुछ समस्याओं का निपटारा मई 2017 में इस अध्यादेश के पारित होने के तत्काल बाद में किया गया। किसी प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु अपेक्षित सहमति मानदंड को मूल्य के अनुसार पहले के 75 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत कर दिया गया। जेएलएफ द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार जो बैंक अल्पसंख्या में थे उनसे अपेक्षित था कि या तो निर्धारित समय के भीतर प्रतिस्थापन नियमों का अनुसरण करते हुए निकल जाएँ या फिर जेएलएफ के निर्णय का पालन करें; अब "क्रेम डाउन" अर्थात ऋण की पुनर्रचना ही व्यावहारिक है। सहभागी बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे बिना कोई अतिरिक्त शर्त लगाते हुए जेएलएफ के निर्णयों को लागू करें। बैंकों के बोर्डों को यह भी सूचित किया गया कि वे जेएलएफ के निर्णयों को क्रियान्वित करें और मामला दुबारा उनके पास न भिजवाएँ। ऋणदाताओं के बीच समन्वय संबंधी समस्याओं को कम करने के प्रयोजन से निर्धारित इन अनुदेशों में आईबीसी के कार्यक्षेत्र से बाहर रहते हुए दबावग्रस्त आस्तियों का निवारण करने का प्रयास किया गया, जिससे यह आशा बनती है कि ऋणदाताओं के बीच तेजी से निर्णय लिए जाएंगे।

निगरानी समिति

21. निगरानी समिति (ओसी) की भूमिका को प्रबल बनाने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने इस अध्यादेश की धारा 35 एबी

के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओसी को अपने तत्वावधान में लिया और इसकी सदस्यता को बढ़ाया ताकि आईबीसी से बाहर रहते हुए भी बैंकों द्वारा अपनाई जा रही नवीनीकरण प्रक्रिया की समीक्षा की जा सके। ओसी के कानून सम्मत प्राधिकार को प्रबल बनाने के लिए यह जरूरी भी है, ताकि प्रक्रियाओं की समीक्षा हो सके और ऋणदाताओं को अपेक्षित सहजता प्रदान की जा सके, खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, जिससे कि नवीनीकरण के एक हिस्से के तौर पर बाजार द्वारा निर्धारित मार्जिन-कटौती के साथ सहमति बनाएँ।

IV.राजकोषीय आयाम

22. निवारण के जिन प्रयासों का हमने वर्णन किया है उनकी सफलता और विश्वसनीयता निश्चित ही इन लागतों को सहन करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्रों की प्रबलता के समानुरूप रहेगी। यह बात साफ़ है कि आईबीसी के दायरे में रहते हुए या इससे बाहर किसी भी निवारण योजना पर सहमति देने पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वर्तमान में फंसे अपने कर्जों पर मार्जिन-कटौती तो करनी ही पड़ेगी। इस वजह से और अन्य घटकों के लिए भी उच्चतर प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के कारण बहुत से बैंकों की पूँजी की स्थिति प्रभावित होगी। इसके लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दुबारा और अधिक पूंजी दिए जाने की जरूरत पड़ेगी। सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच उपायों का एक पैकेज बनाने को लेकर संवाद चल रहा है ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समयबद्ध तरीके से अपेक्षित पूँजी जुटाने के लिए सक्षम किया जा सके। इन उपायों में बाजार से पूँजी जुटाना; सरकारी धारिताओं को कम करना; सरकार द्वारा अतिरिक्त पूँजी दिया जाना; रणनीतिगत फिट पर आधारित समामेलन; गैर-महत्वपूर्ण आस्तियों की बिक्री आदि शामिल किए जा सकते हैं।

V. निष्कर्ष और भावी दिशा

23. अभी जिस बहुआयामी दृष्टिकोण की रूपरेखा बताई गई है, वह एक सतत प्रक्रिया है। आरंभिक संकेत काफी उत्साहजनक हैं। हालांकि हम सभी को यह समझना ही होगा कि अभिप्रेत उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने से पहले यह एक लम्बी खींचतान है। आरंभ में कुछ अड़चनें और बहुत से अनुत्तरित प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ-साथ इनका भी निवारण हो जाएगा। आईबीसी की प्रक्रिया स्वयं ही विकसित होती जाएगी क्योंकि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण/राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय अधिकरण के निर्णय भी सामने आ चुके होंगे।

24. अन्य गैर-निष्पादक खातों के लिए अपनाई जानेवाली क्रियाविधि की रचना की जा रही है। हालांकि हमें अवश्य यह जोर देना चाहिए कि धारा 35 एए और 35 एबी के तहत प्रदत्त शक्तियों का रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोग किया जाना नियमित, सुस्थिर स्थिति का दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। ऋणदाताओं को आईबीसी के तहत पर्याप्त शक्तियाँ दी गई हैं कि चूक होने पर वे आवश्यक कार्रवाई करें। अब यह सभी ऋणदाताओं का दायित्व है कि वे अपनी तरफ से पूर्व सक्रियता दिखाते हुए, आईबीसी के तहत सामयिक रूप से मामले भेजें और इन शक्तियों का प्रभावी प्रयोग करें।

25. यहाँ तक कि आईबीसी के तहत भी क्रेडिटर्स समिति पर भी भारी जिम्मेदारी डाली गई है कि स्वीकार्य समय सीमा के भीतर प्रत्येक स्वीकृत मामले में व्यावहारिक नवीनीकरण योजना के लिए सहमति दी जाए। क्रेडिटर, खासकर बैंकों के लिए जरूरी होगा कि इन मामलों पर फोकस करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन लगाएं और आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाएँ क्योंकि मामलों की संख्या बढ़ने वाली है।

26. सारांश तौर पर सरकार और नियामकों की भावना और निवारण पर मैं फिर से जोर देना चाहूँगा कि वे प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या पर एकजुट होकर ध्यान दे रहे हैं। इससे होनेवाली व्यथा और खर्च तो हमें उठाने ही होंगे लेकिन यदि हमारा ध्येय वांछित लक्ष्य को प्राप्त करना है तो यह उचित ही होगा, ताकि निजी अर्थव्यवस्था को संरचनागत रूप से सुस्थिर संवृद्धि के मार्ग पर लाया जा सके।

भारतीय बांड बाजार एवं संबंधित डेरिवेटिव्स

भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के साथ ही, सुरक्षित व्यापार, रिपोर्टिंग, समाशोधन और निपटान के लिए सक्षम बाजार संरचना के निर्माण हेतु कई पहल किए गए हैं। भारतीय बांड बाजार और इससे संबंधित डेरिवेटिवों के विकास की वर्तमान स्थिति, विभिन्न लिखतों, उनके व्यापार की प्रक्रिया, समाशोधन और निपटान प्रणाली, वर्तमान महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियां निम्नानुसार हैं:

सरकारी प्रतिभूति बाजार

सरकारी प्रतिभूति बाजार केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी की गई व्यापार करने योग्य ऋण लिखतों से संबंधित है। इन लिखतों में सरकार के ऋण दायित्वों का उल्लेख होता है। सरकारी प्रतिभूति बाजार निश्चित आय प्रतिभूति बाजार का आधार होता है क्योंकि यह मानक प्रतिफल देता है और अन्य वित्तीय बाजारों को चलनिधि प्रदान करता है। ऐसी प्रतिभूतियां अल्पकालिक (यथा, एक वर्ष से कम के मूल परिपक्ता वाले खजाना बिल) या दीर्घकालिक (यथा, एक वर्ष या उससे अधिक के मूल परिपक्वता वाले सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां) होती हैं। भारत में, केंद्र सरकार **खजाना बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां** दोनों ही जारी करती है जबकि राज्य सरकारें केवल **बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां** जारी करती हैं जिसे राज्य विकास ऋण (एसडीएल) कहते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में चूक का कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिए इसे जोखिम मुक्त लिखत कहते हैं।

प्रेम प्रकाश राय
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

खजाना बिल – ये भारत सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक जीरों कूपन वाले मुद्रा बाजार लिखत हैं और वर्तमान में 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की तीन अवधियों में बट्टे पर जारी किए जाते हैं और परिपक्वता के समय अंकित मूल्य पर मोचित किए जाते हैं।

नकदी प्रबंध बिल – ये भी खजाना बिलों की तरह बट्टाकृत मुद्रा बाजार लिखत हैं। दोनों में यह अंतर है कि खजाना बिलों को 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के मानक परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है जबकि नकदी प्रबंध बिलों को 91 दिनों से कम जैसे कि 14 दिनों और 28 दिनों आदि की लचीली अवधियों के लिए जारी किया जाता है। ये सरकार के अस्थायी आस्ति और देयताओं की विसंगतियों को दूर करने

के लिए जारी किए जाते हैं। नकदी प्रबंध बिलों की अवधि, अधिसूचित राशि और निर्गम की तारीख सरकार की अस्थायी नकदी जरूरतों पर निर्भर करती है।

दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां – ये एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाली दीर्घकालिक प्रतिभूतियां होती हैं जिनमें स्थायी और अस्थायी कूपन (ब्याज दर) होते हैं जिनका भुगतान निर्धारित अवधि, सामान्यत: छमाही अंतराल, पर अंकित मूल्य पर किया जाता है। इनकी अवधि बहुत लंबी भी हो सकती है जैसे कि भारत के मामले में 40 वर्ष तक की अवधि हो सकती है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में रिज़र्व बैंक ने स्थायी कूपन बांड, अस्थायी कूपन बांड, पूंजी सूचकांकित बांड, कॉल/पुट आप्शन बांड आदि के रूप में विविध विशेषताओं वाली प्रतिभूतियां जारी की हैं। परंतु ज्यादातर स्थायी कूपन बांड ही जारी किए जाते हैं। विभिन्न लिखतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

स्थायी कूपन बांड – इन बांडों के कूपन रेट इनकी पूर्ण अवधियों के दौरान स्थायी होते हैं।

अस्थायी दर बांड – इनका कूपन रेट इनकी पूर्ण अवधियों के दौरान परिवर्तनशील होता है।

जीरो कूपन बांड – इनमें कोई कूपन भुगतान नहीं होता है जैसे कि खजाना बिल। ये अंकित मूल्य पर बट्टे (में छूट) के साथ जारी किए जाते हैं।

पूंजी सूचकांकित बांड – इन बांडों के धारकों को मुद्रास्फीति से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इन बांडों के मूल धन को मुद्रास्फीति के स्वीकृत सूचकांक से संबद्ध कर दिया जाता है।

मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड: विगत में इन बांडों के मूल धन और कूपन दोनों को मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया था परंतु वर्तमान में इसमें संशोधन कर दिया गया है और अब केवल मूल धन को ही सूचकांकित किया गया है और कूपन की गणना सूचकांकित मूल धन पर की जाती है जिससे धारक को मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्राप्त होती है परिपक्वता पर, धारक को सूचकांकित मूल धन या अंकित मूल्य जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाता है।

कॉल या पुट आप्शन वाले बांड – ये विकल्प विशेषताओं के साथ जारी किए जा सकते हैं जिसमें बांड की अवधि के दौरान जारीकर्ता को इसे वापस खरीदने (कॉल आप्शन) या निवेशक को जारीकर्ता को इसे बेचने (पुट आप्शन) का विकल्प प्राप्त हो सकता है।

विशेष प्रतिभूतियां- बाजार उधारी कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा जारी खजाना बिलों और दिनांकित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, भारत सरकार तेल विपणन कंपनियों, उर्वरक कंपनियों, भारत खाद्य निगम आदि जैसी संस्थाओं को नकद सहायता के स्थान पर मुआवजे के रूप में समय-समय पर विशेष प्रतिभूतियां भी जारी करती है। ये दीर्घकालिक प्रतिभूतियां होती हैं जिसमें तुलनात्मक परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के प्रतिफल में लगभग 20 से 25 आधार अंकों का स्प्रेड (ब्याजांतर) रहता है।

स्ट्रिप्स (प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूल धन का अलग व्यापार): इसमें स्थायी कूपन प्रतिभूति का प्रत्येक नकदी प्रवाह अलग व्यापार योग्य जीरो कूपन बांड में परिवर्तित किया जाता है और इसका व्यापार किया जाता है।

राज्य विकास ऋण (एसडीएल) – ये बाजार से ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियां होती हैं। इसमें ब्याज का भुगतान छमाही अंतराल पर किया जाता है और मूल धन का भुगतान परिपक्वता की तारीख पर किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की तरह ही, ये एसएलआर के लिए अर्ह होते हैं और बाजार रेपो के माध्यम से उधार लेने के लिए तथा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पात्र संस्थाओं द्वारा आरबीआई से उधार लेने के लिए कोलेटरल के रूप में पात्र होते हैं।

सरकारी प्रतिभूति निर्गम – प्रारंभ में, सरकारी प्रतिभूतियां नियंत्रित दरों पर जारी की जाती थी। 90 के दशक के प्रारंभ में शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के भाग के रूप में, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए नीलामियों के माध्यम से बाजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रक्रिया 1992 में लागू की गई जिसमें राशि अधिसूचित की जाती है परंतु कूपन रेट नीलामी द्वारा निर्धारित होते हैं।

वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों (दिनांकित प्रतिभूतियां – दोनों भारत सरकार और राज्य सरकार एवं खजाना बिल) के सभी निर्गम नीलामी प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं। यह नीलामी प्रतिफल आधारित या कीमत आधारित हो सकती है।

प्रतिफल आधारित नीलामी: इसका प्रयोग नई सरकारी प्रतिभूतियां जारी करने के लिए किया जाता है। इसमें बोलियों को आरोही क्रम में रखा जाता है और नीलामी की अधिसूचित राशि के अनुसार कट ऑफ प्रतिफल का निर्धारण होता है। कट ऑफ प्रतिफल को प्रतिभूति के लिए कूपन रेट माना जाता है। इसमें सफल बोलीदाता वे होते हैं जो कट ऑफ प्रतिफल पर या उससे नीचे बोली लगाते हैं।

कीमत आधारित नीलामी – ये पूर्व में जारी प्रतिभूतियों को पुन: जारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है। बोलीदाता प्रतिभूति के अंकित मूल्य के प्रति 100 रुपए की कीमत के आधार पर बोली लगाते हैं। इसमें बोली को अवरोही क्रम में रखा जाता है और सफल बोलीदाता वे होते हैं जो कट ऑफ कीमत पर या उससे ऊपर की बोली लगाते हैं।

नीलामी का प्रारूप – सफल बोलीदाताओं को आबंटन की पद्धति के आधार पर, नीलामी को समान कीमत आधारित नीलामी और बहु कीमत आधारित नीलामी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। **समान कीमत आधारित नीलामी** में सभी सफल बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे समान दर से अर्थात कट ऑफ दर से, उनके द्वारा उद्धृत दर पर विचार किए बिना, आबंटित प्रतिभूतियों के लिए भुगतान करें। दूसरी ओर, **बहु कीमत आधारित नीलामी** में सफल बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे संबंधित कीमत/प्रतिफल पर अर्थात उनके द्वारा दी गई बोली पर आबंटित प्रतिभूतियों के लिए भुगतान करें।

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों को धारित करने की स्थिति – सरकारी प्रतिभूति अग्रलिखित रूपों में से किसी भी रूप में धारित हो सकती है यथा, सरकारी वचनपत्र जो कतिपय व्यक्तियों को देय हो या के आदेश पर देय हो, धारक को देय धारक बांड, रिज़र्व बैंक के बहि में पंजीकृत भौतिक रूप में धारित स्टाक या संघटक सहायक सामान्य लेजर (सीएसजीएल) खाता और सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खाता में धारक के जमा में ई रूप में धारित, या बांड लेजर खाता (बीएलए) में बांड के रूप में धारित।

भारतीय रिज़र्व बैंक का लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ), मुंबई सरकारी प्रतिभूतियों के लिए रजिस्ट्री और केंद्रीय डिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है। यद्यपि सांविधिक रूप से, 20 मई 2002 से निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियां भौतिक स्टाक या डिमैट फार्म में रखने की अनुमति है तथापि आरबीआई विनियमित सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है कि वे डिमैट फार्म (एसजीएल) में ही सरकारी प्रतिभूतियों को धारित करें और उनका लेनदेन करें।

सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार – विश्व भर में, परंपरागत रूप से, सरकारी प्रतिभूति बड़े टिकट का व्यापार है जहां वित्तीय संस्थाओं के बीच थोक लेनदेन होता है और इसीलिए इसका **काउंटर पर (ओटीसी)** व्यापार होता है। तथापि, भारत में, अज्ञातकृत आर्डर मिलान व्यापार - **तयशुदा लेनदेन प्रणाली – आर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम)** 2005 में अपने शुरुआत से ही काफी लोकप्रिय रही है। वर्तमान में भारत में, सरकारी प्रतिभूतियां द्वितीयक बाजार में (1) काउंटर पर (ओटीसी) खरीदी/बेची जा सकती है और तयशुदा लेनदेन प्रणाली – आर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) को सूचित की जा सकती है या (2) सीधे ही एनडीएस-ओएम पर खरीदी/बेची और सूचित की जा सकती है।

(1) काउंटर पर (ओटीसी)/टेलीफोन बाजार-

इस बाजार में, प्रतिभागी सरकारी प्रतिभूति खरीदने या बेचने के लिए बैंक/प्राथमिक व्यापारी/वित्तीय संस्था से सीधे ही या सेबी में पंजीकृत दलाल के साथ संपर्क कर सकता है और प्रतिभूति विशेष की अपेक्षित मात्रा और उसकी कीमत तय कर सकता है। ऐसी बातचीत सामान्यत: टेलीफोन पर की जाती है और यदि दोनों पक्षकारों के बीच अपेक्षित प्रतिभूति की मात्रा और दर पर सहमति बन जाती है तो सौदा पक्का हो जाता है। ओटीसी बाजार में किए गए सभी व्यापार एनडीएस-ओएम पर निर्धारित समयसीमा में सूचित किए जाते हैं।

(2) तयशुदा लेनदेन प्रणाली – आर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) –

यह भारतीय रिज़र्व बैंक की अज्ञातकृत स्क्रीन आधारित आर्डर मिलान प्रणाली है जिसे सीसीआईएल द्वारा परिचालित किया जाता है। यह प्रणाली सभी प्रकार के केंद्र सरकार प्रतिभूतियों, राज्य सरकार प्रतिभूतियों, विशेष प्रतिभूतियों और खजाना बिलों के द्वितीयक बाजार व्यापार को सुगम बनाती है। अनुमतिप्राप्त प्रतिभागी इस प्रणाली में लाग-इन कर सकते हैं और अपनी बोलियां/प्रस्ताव दे सकते हैं या आर्डर बहि में पहले से उपलब्ध उद्धृत बोलियों/प्रस्तावों को स्वीकार कर सकते हैं। इसका निपटान एसटीपी (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग) आधार पर होता है और सौदे की सूचना सीधे सीसीआईएल को जाती है जो इसमें केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) है। एनडीएस-ओएम प्रणाली में सीधा एक्सेस वर्तमान में केवल वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, बीमा कंपनियों, पारस्परिक निधियों आदि जैसे चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं को ही उपलब्ध है। अन्य प्रतिभागी अपने अभिरक्षकों अर्थात् जिनके यहां उनका गिल्ट एकाउंट है, के माध्यम से इस प्रणाली को एक्सेस कर सकते हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और निपटान – भारत के पास सरकारी प्रतिभूतियों के समाशोधन और निपटान की सर्वाधिक परिष्कृत प्रणाली है। सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभूतियों का निपटान गारंटी आधारित होता है जो बाजार के स्थिरिकरण के लिए महत्वपूर्ण कारक है। सभी ओटीसी व्यापार जब एनडीएस-ओएम पर, इस पर निष्पादित

व्यापारों के साथ सूचित किए जाते हैं तब वे गारंटित निपटान के लिए सीसीआईएल के पास जाते हैं। सीसीआईएल इसमें केंद्रीय प्रतिपक्षकार की भूमिका निभाता है (अर्थात वह क्रेता के लिए विक्रेता और विक्रेता के लिए क्रेता बन जाता है) और प्रत्येक व्यापारी प्रतिभागियों के प्रतिपक्ष जोखिमों को स्वयं पर ले लेता है।

कार्पोरेट बांड बाजार – भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार का महत्व

सुविकसित कॉर्पोरेट बांड बाजार रियल सेक्टर की निवेश संबंधी दीर्घकालिक जरूरतों को वित्तपोषित करने के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सुदृढ़ बैंककारी प्रणाली को पूरित करता है। एक सक्रिय कॉर्पोरेट बांड बाजार बीमा कंपनियों, भविष्य निधि और पेंशन निधियों जैसे संस्थागत निवेशकों को भी गुणवत्तायुक्त दीर्घकालिक वित्तीय आस्तियां दे सकता है और उनकी आस्तियों और देयताओं की विसंगतियों को दूर करने में सहायक हो सकता है।

भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार की वर्तमान स्थिति

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिक निर्गम और द्वितीय बाजार व्यापार परिमाण में वृद्धि हुई है तथापि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हमारे कॉर्पोरेट बांड बाजार का आकार अन्य कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत छोटा है।

ब्याज दर डेरिवेटिव्स - भारत में स्वीकार्य ब्याज दर डेरिवेटिव्स

वायदा दर करार (एफआरए), ब्याज दर स्वैप (आईआरएस), ब्याद दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) और ब्याज दर आप्शंस (आईआरओ)।

वायदा दर करार (एफआरए) और ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) - एफआरए भविष्य में समान मुद्रा में नकदी प्रवाहों के विनिमय के लिए दो पक्षों के बीच किया गया ओटीसी करार होता है।आईआरएस एफआरए की एक श्रृंखला होती है। आईआरएस/एफआरए समान मुद्रा में निष्पादित होते हैं, अत: इसमें मूल धन का विनिमय नहीं होता है। स्वैप को आनुमानिक मूलधन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है।

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) - यह वर्तमान तारीख में निर्धारित कीमत पर भविष्य में निर्धारित तारीख में ऋण लिखतों के क्रय-विक्रय का करार है।

ब्याज दर आप्शंस (आईआरओ) - यह निवेश के साधनों में से एक है जिसका प्रतिफल ब्याज दरों के भावी स्तर पर निर्भर होता है। इसका व्यापार एक्सचेंज या काउंटर पर किया जा सकता है। यह क्रेता को करार अवधि के दौरान पूर्वनिर्धारित ब्याज दर का भुगतान करने और उसे प्राप्त करने का दायित्वरहित अधिकार देता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय बांड बाजार एक वित्तीय बाजार है जहां बाजार प्रतिभागी नए ऋण जारी करते हैं जिसे प्राथमिक बाजार कहा जाता है और ऋण प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करते हैं जिसे द्वितीयक बाजार कहा जाता है। आम तौर पर ये बांड के रूप में होते हैं परंतु इसमें नोट, बिल और ऐसे ही अन्य लिखित शामिल हो सकते हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और ईकेपी

बैंकिंग पर्यवेक्षण का नया आयाम - जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (Risk Based Supervision)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वैश्विक उत्तम प्रथाओं के अनुरूप पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को उत्तरोत्तर बेहतर बनाने हेतु विगत कुछ वर्षों में निष्पादन आधारित 'कैमल्स' (CAMELS अर्थात पूँजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि तथा प्रणाली व नियंत्रण) ढाँचे से अधिक अग्रदर्शी जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (RBS : Risk Based Supervision) की ओर रुख किया है जिससे जोखिम की पहले पहचान की जा सके और यथासमय व यथोचित पर्यवेक्षी हस्तक्षेप संभव हो।

पर्यवेक्षी चक्र 2013-14 में 28, 2014-15 में 2 एवं 2015-16 में 6 प्रमुख बैंकों के आरबीएस प्रणाली के अंतर्गत आने के साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) इस दायरे में आ गये हैं। इनके अलावा, पिछले साल एक/दो शाखाओं वाले 28 छोटे विदेशी बैंकों के लिए भी एक अपेक्षाकृत सरल संक्षिप्त आरबीएस मॉडल तैयार किया गया है। इसके साथ ही 2012-13 में भारत में कार्यरत बैंकों के लिए आरंभ किये गये जोखिम आधारित पर्यवेक्षण यानी आरबीएस का तीसरा चक्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

बैंकों की स्थिति के मूल्यांकन हेतु कैमल्स ढाँचा 1970 के दशक की शुरुआत में अमरीका के केंद्रीय बैंक फेड रिज़र्व द्वारा विकसित किया गया था। इसके अंतर्गत अधिकतया वित्तीय मानदंडों व प्रदर्शन के आधार पर बैंकों का श्रेणी निर्धारण किया जाता था। परंतु 2008 के वैश्विक संकट के पश्चात दुनिया भर में विनिमनकर्ताओं ने जोखिम आधारित पर्यवेक्षण या आरबीएस को अपनाना आरंभ किया ताकि बैंकों को अत्यधिक लाभार्जन की गरज से गैरजरूरी जोखिमों की ओर प्रवृत्त होने से रोका जा सके।

वाणिज्यिक बैंकों की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के पुनरीक्षण पर पूर्व उप गवर्नर के सी चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय संचालन समिति (Highl Level Steering Committee) ने वर्ष 2012 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें तत्कालीन अनुपालन आधारित व लेनदेन/संव्यवहार की जाँच वाले कैमल्स मॉडल को आरबीएस से बदलने का सुझाव दिया गया। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग ने

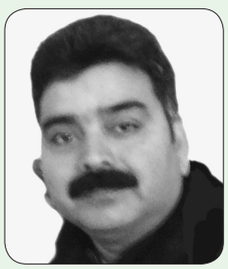

प्रेम रंजन प्रसाद सिंह
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण अपनाया। रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाया गया यह संशोधित पर्यवेक्षी कार्यक्रम 'जोखिम व पूँजी मूल्यांकन हेतु पर्यवेक्षी कार्यक्रम' (SPARC : Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital) कहलाता है।

कैमल्स आधारित व्यवस्था की बुनियाद पर अपनी आधारशिला रखने वाला आरबीएस समकालीन व संभावी दोनों जोखिमों के मूल्यांकन के साथ साथ अभ्यंकुरित समस्याओं की पहचान व त्वरित हस्तक्षेप व निदानात्मक कारवाई का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आरबीएस का मूलभूत उद्देश्य है :

- बैंकों के जोखिम रूपरेखा, उनके कारोबार व प्रबंधन की गुणवत्ता की बेहतर समझ
- बैंक विशेष में उभरते जोखिमों व जोखिम संक्रमण की निर्णयात्मक आधार पर सुस्पष्ट पहचान
- जोखिम की दिशा का संकेत
- प्रभावी जोखिमों व बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया पर अधिक अवधान व पर्यवेक्षीय संसाधनों का समुचित उपयोग

भारत में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) की वर्तमान व्यवस्था

जोखिम व पूँजी मूल्यांकन हेतु पर्यवेक्षी कार्यक्रम (SPARC : Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital) जोखिम आधारित, दूरंदेश व संभावित जोखिमों की पहचान में तत्पर एक विशद कार्यक्रम है जो त्वरित पर्यवेक्षी कार्रवाई के लिए उत्प्रेरित करता है। इसमें गुणात्मक व परिमाणात्मक मूल्यांकनों के विवेकसम्मत मेल के जरेये बैंकों की कुल जोखिम स्थिति को बेहद बारीकी से आँका जाता है। इस ढाँचे को जोखिम अर्थात अप्रत्याशित हानि के मूल्यांकन हेतु तैयार किया गया है और इसीलिए यह बैंक के जोखिमों व जोखिम अवशोषक पूँजी निधियों के अधिसंचय (बफर) का दूरदर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। स्पार्क के अंतर्गत अनुपालन मूल्यांकन बैंक में विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन स्तर का मूल्यांकन करता है जिसे सभी बैंकों में आवश्यक जोखिम प्रबंधन की दहलीज (threshold) माना जा सकता है। अनुपालन मूल्यांकन में बैंक द्वारा प्रत्याशित हानि की पहचान व विनियामक पूँजी की अभिगणना भी शामिल है। साथ ही, पर्यवेक्षकों के गुणात्मक विवेक के जरिये जोखिम व पूँजी के अग्रदर्शी तत्वों का समावेशन भी किया जाता है। इस प्रकार, स्पार्क संरचना के मूलतः तीन अंतर्संबद्ध आयाम हैं, जिनके द्वारा पर्यवेक्षी श्रेणी निर्धारण तक पहुँचा जाता है : 1. जोखिम मूल्यांकन, 2. पूँजी मूल्यांकन, तथा 3. अनुपालन मूल्यांकन।

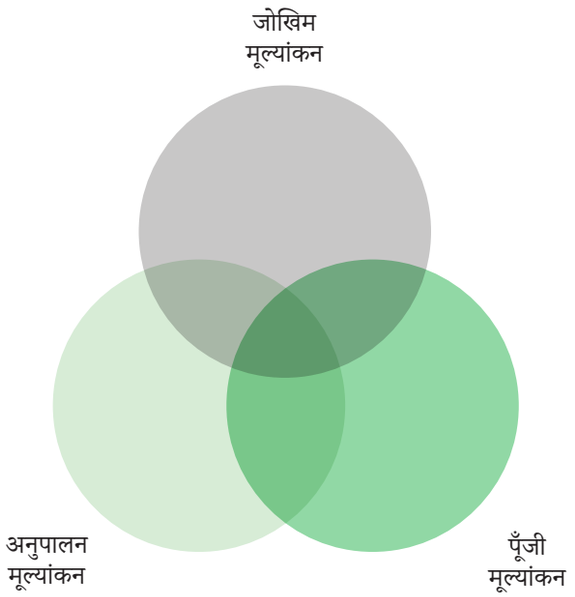

स्पार्क जोखिम केंद्रित है जिसे पर्यवेक्षी प्रक्रिया की प्रभाविता और निपुणता बढ़ाने के अभिप्राय से अभिकल्पित किया गया है ताकि अलग अलग जोखिम रूपरेखा वाले बैंकों को अलग तरह से पर्यवेक्षित किया जा सके। स्पार्क के अंतर्गत प्रत्येक बैंक के दो आयामों को आँका जाता है - बैंक किन जोखिमों का सामना कर रहा है और उसकी पूँजी निधियों की स्थिति क्या है। स्पार्क एक गणनापट आधारित पद्धति है जहाँ बैंक के मूल्यांकन के परिणाम आइरिस्क (IRISc) मॉडल के निविष्ट की तरह काम करते हैं।

आइरिस्क या समेकित जोखिम व प्रभाविता अंकन (IRISc: Integrated Risk and Impact Scoring) मॉडल एक संरचित व बहुस्तरीय प्रतिरूप है जो किसी बैंक में उसकी उपलब्ध पूँजी से समायोजित जोखिम का मूल्यांकन करता है। इसका उपयोग बैंक के विफलता जोखिम, उस विफलता जोखिम अंक (Risk of Failure Score : RoFS) के अनुरूप आवश्यक अतिरिक्त पूँजी (capital add-on) और बैंकिंग व्यवस्था पर उस बैंक की विफलता के प्रभाव के आकलन हेतु किया जाता है। कुल जोखिम और उपलब्ध पूँजी मिलकर किसी बैंक का विफलता जोखिम अंक (आरओएफएस) निर्धारित करते हैं। बैंक के विफलता जोखिम अंक के आधार पर उसे पर्यवेक्षी श्रेणी (रेटिंग) प्रदान की जाती है। बैंक के विफलता जोखिम अंक व बैंकिंग व्यवस्था पर उसके प्रभाव दोनों के आधार पर उसके प्रति पर्यवेक्षीय रुख निर्धारित किया जाता है। पर्यवेक्षी रुख किसी बैंक हेतु पर्यवेक्षण की गहनता, उसके लिए प्रयुक्त पर्यवेक्षी उपकरणों व आवश्यक हस्तक्षेप का सामान्य स्तर कहा जा सकता है।

स्पार्क कार्यक्रम प्रतिरूप प्रेरित परिणामों व पर्यवेक्षक के विशेषज्ञ विवेक का प्रयोग करते हुए बैंकों के जोखिम मूल्यांकन में एक बेहतर संतुलन कायम करता है। मॉडल या प्रतिरूप का प्रयोग कार्यक्रम को अत्यधिक आँकड़ा सघन बनाता है जिसमें आँकड़ों के विस्तृत विवेचन की आवश्यकता होती है। इसके साथ बैंक के मूल्यांकन में प्रयुक्त पर्यवेक्षी विवेक आँकड़ों के विश्लेषण, प्रतिरूप परिणामों एवं संरचित विवरणियों के जरिये बैंक द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा बैंक प्रबंधन से चर्चा इत्यादि पर आधारित होता है।

मूल्यांकन क्षेत्र व आँकड़ों के स्रोत

स्पार्क के अंतर्गत दो प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्र हैं जोखिम तथा पूँजी मूल्यांकन। बैंक के जोखिम मूल्यांकन के दायरे में अंतर्निहित जोखिम (Inherent Risk), नियंत्रण में अंतराल (control gap) जनित जोखिम एवं अभिशासन व अवधान (Governance & Oversight) में अंतराल जनित जोखिम और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन का स्तर भी आता है। ये मूल्यांकन मिलकर बैंक का कुल जोखिम निर्धारित करते हैं।

बैंक के समस्त स्तंभ। व स्तंभ।। अंतर्निहित जोखिमों - यथा ऋण, बाजार, चलनिधि, परिचालनात्मक एवं अन्य स्तंभ।। जोखिमों का मूल्यांकन परिमाणात्मक मापन व गुणात्मक विवेक दोनों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। हर जोखिम श्रेणी के अंतर्गत जोखिम संकेतक (Risk Indicators) होते हैं जो मिलकर जोखिम संकेतक समूह (Risk Indicator Groups) बनाते हैं और संबद्ध संकेतक समूहों के समुच्चय

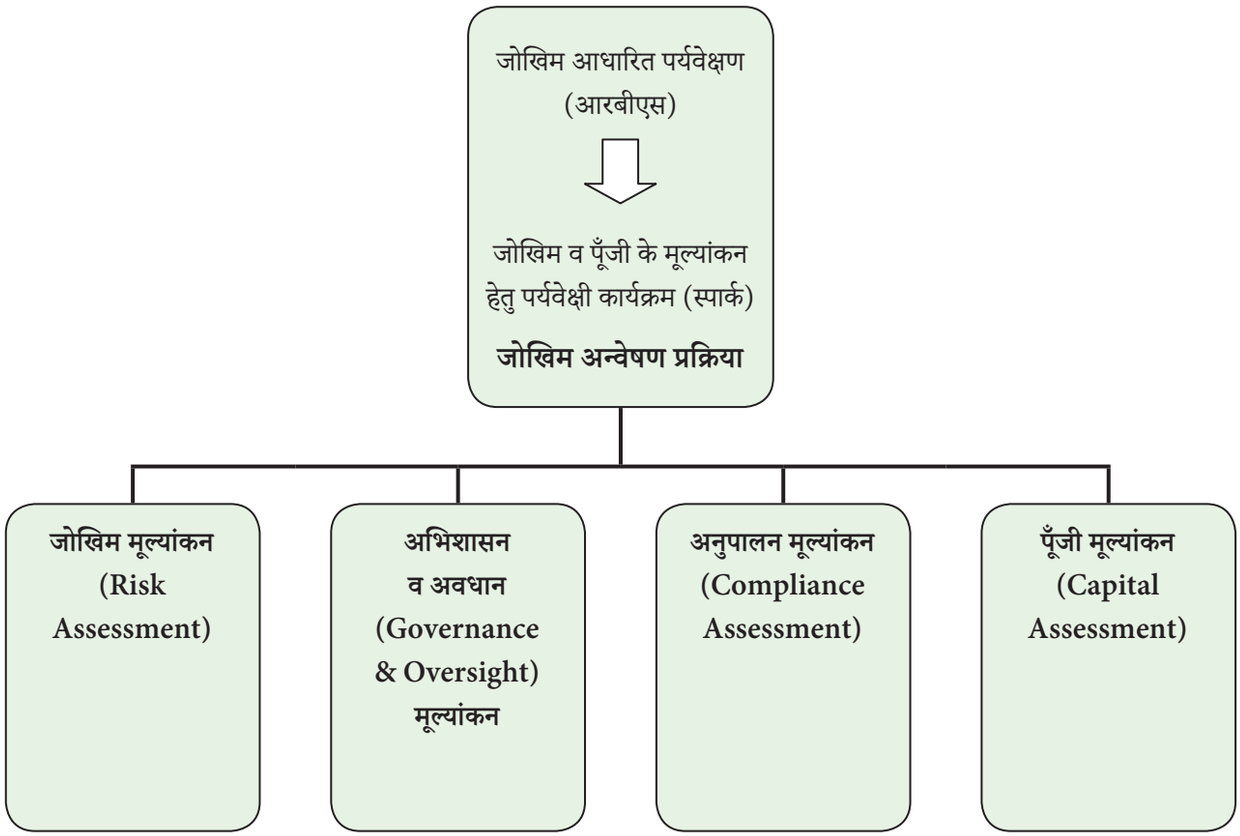

से जोखिम वाहकों (Risk Drivers) की अवस्थिति सामने आती है। नियंत्रण अंतराल जनित जोखिमों का मूल्यांकन (जोखिम व बैंक स्तर दोनों पर) अनिवार्यतः विषयनिष्ठ होता है क्योंकि इसमें अंतर्निहित जोखिम तथा बैंक की समग्र अवस्थिति दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही मूल्यांकनों हेतु कतिपय मापदंड चिह्नित किए गए हैं और मूल्यांकन इन्हीं मापदंडों पर किए जाते हैं। बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी, यथा खेप 1/1अ में दिये गये आँकड़े एवं खेप 2 की सूचनायें इन मूल्यांकनों हेतु निविष्टियों का काम करते हैं। वर्तमान में प्रमुख बैंकों के लिए प्रयुक्त प्रतिरूप के लिए उन्हें 536 आँकड़े खेप 1 एवं 1अ में अपलोड करने होते हैं।

मूल्यांकन	आँकड़ों के स्रोत
अंतर्निहित जोखिम	खेप 1 व 1ए आँकड़े, बैंक रूपरेखा (प्रोफाइल), डीएसबी विवरणियाँ
नियंत्रण अंतराल जनित जोखिम	खेप 2 सूचनायें, मानक सूची दस्तावेज, बैंक प्रबंधन के साथ विमर्श
अभिशासन व अवधान अंतराल जनित जोखिम	खेप 2 सूचनायें, मानक सूची दस्तावेज, बैंक प्रबंधन के साथ विमर्श
अनुपालन	खेप 2 सूचनायें, मानक सूची दस्तावेज

बैंक द्वारा किये जाने वाले किसी भी कारोबार के साथ उस कारोबार से जुड़े जोखिम भी चले आते हैं जिन्हें अंतर्निहित जोखिम के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। बैंकों से अपेक्षित है कि वे उपयुक्त नियंत्रण वातावरण के जरिये इन जोखिमों का शमन करें। यह नियंत्रण वातावरण किसी खास कारोबार जोखिम हेतु हो सकता है या फिर बैंक के पूरे परिचालन के लिए, उसमें मौजूद सभी जोखिमों को संस्पर्शित करता हुआ (बैंक स्तरीय नियंत्रण, यथा अभिशासन व अवधान कार्यकलाप)। इसके अलावा बैंकों को कारोबार करते समय संबद्ध विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है।

स्पार्क के अंतर्गत पूँजी मूल्यांकन 'समय बिंदु पर' तथा 'अग्रदर्शी' दोनों ही तरह से पूँजी का आकलन करता है। परे (ऑफ साइट) व स्थल पर (ऑन साइट) दोनों ही मूल्यांकनों को ध्यान में रखते हुए बैंक के कुल जोखिम का निर्धारण किया जाता है और 'समय बिंदु पर' परिमापित बैंक की उपलब्ध पूँजी को कुल जोखिम हेतु अधिसंचय (बफर) की तरह लिया जाता है। आगे के लिए आवश्यक पूँजी का खयाल पर्यवेक्षी पूँजी निदेश (Supervisory Capital Prescription : SCP) में रखा जाता है, अर्थात एससीपी बैंक के आवश्यक अतिरिक्त पूँजी (आइरिस्क मॉडल प्रदत्त), आगे पूँजी निधियाँ उगाहने की क्षमता, उत्तोलन अनुपात (leaverage ratio), प्रतिधारित अर्जन (retained earnings) तथा आंतरिक पूँजी अभिजनन इत्यादि पर आधारित होता है।

इसके अलावा, बैंक की अनुपालन संस्कृति व अनुपालन स्तर का मूल्यांकन भी स्पार्क के एक हिस्से के रूप में किया जाता है तथा बैंक के जोखिम व पूँजी मूल्यांकन में उचित रूप से समावेशित किया जाता है।

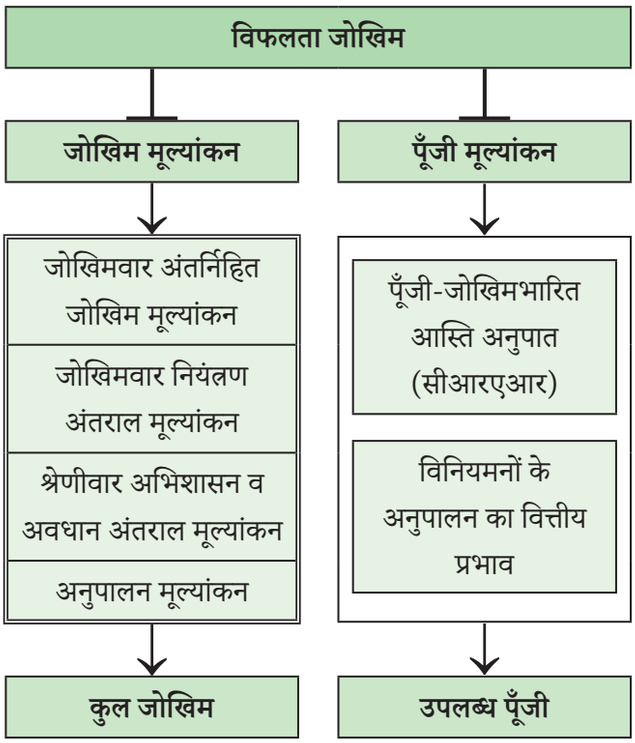

नए परिमार्जन व अद्यतन परिवर्धन :

वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के अंतर्गत अंकन को सतत करना

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का एक मूल सिद्धांत है कि यह एक गतिशील प्रक्रिया प्रवाह है जहाँ पर्यवेक्षित इकाई द्वारा कारोबार योजना को अमल में लाने के क्रम में संभावित जोखिमों को उसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति से पार जाकर समझने व पूर्वानुमानित करने पर अधिक जोर दिया जाता है। आरबीएस के अंतर्निहित गतिशील स्वरूप के साथ उसकी संरचना को भी अनुभव, आवश्यकताओं व नयी सीख के आधार पर परिष्कृत व अनुकूलित करना अपरिहार्य है। तदनुसार, जबकि पिछले वर्षों में आरबीएस कार्यान्वयन आगे बढ़ता रहा है, प्रक्रिया व प्रतिरूप स्तर पर इसे इष्टतम व उपयुक्ततम बनाने के प्रयास भी साथ साथ चलते रहे हैं।

इसी क्रम में, आइरिस्क मॉडल में अंतर्निहित जोखिमों के परिमापन में जोखिम संकेतकों के अंकन हेतु पहले 1 से 4 अंकों के बीच नियत अंकन पट्टियों (score bands) की जगह वर्ष 2016-17 से सतत अंकन (continuous scoring scale) का प्रावधान कर दिया गया है ताकि अंकन व मूल्यांकन में ज्यादा बारीकी आ सके और प्रतिरूप की विभेदात्मक क्षमता बढ़ सके।

बैंक की सापेक्षिक जोखिम स्थिति को चतुर्थांशों (quartiles) के माध्यम से संप्रेषित करना

आरबीएस में प्रयुक्त आइरिस्क मॉडल द्वारा जनित अंक सांख्यिकीय समुच्चयन के परिणाम हैं जो पर्यवेक्षी मूल्यांकन के पूरक मात्र की तरह बनाये गये हैं। जोखिम अंक पर्यवेक्षी मूल्यांकन के प्रतिफल हैं जिसमें परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों आकलन समाहित हैं। 1 से 4 के पैमाने पर आँके गए जोखिम अंक अन्य बैंकों की तुलना में किसी बैंक की जोखिम स्थिति को इंगित करते हैं। यद्यपि अंक अपने आप में बैंक की जोखिमता को संकेतित करते हैं, लेकिन प्राप्तकर्ता को वह अंक मात्र और समझने में कठिन प्रतीत हो सकता है। अस्तु, यह तय किया गया कि 2015-16 से, बैंकों को उनकी सापेक्षिक जोखिम स्थिति बतायी जाए जिससे वे पूरी बैंकिंग व्यवस्था में अन्य बैंकों के सापेक्ष अपनी जोखिम स्थिति को जान और समझ सकें। 2016-17 से, बैंकों को उनकी सापेक्षिक जोखिम स्थिति उन चतुर्थांशों के रूप में बतायी जा रही है जिनमें उनका अपना जोखिम अंक आ रहा है। इस प्रकार वर्ष की सापेक्ष स्थिति उस वर्ष के या उस पर्यवेक्षी चक्र के अंत में बताना संभव हो सकेगा। जोखिमों अंकों का पूरा वर्णपट यानी मूल्यांकित समस्त जोखिम श्रेणियों (ऋण, बाजार, चलनिधि, परिचालनात्मक एवं अन्य स्तंभ।। जोखिमों) व कुल जोखिम अंक एवं विफलता जोखिम अंक की सापेक्षिक चतुर्थांश स्थिति को जोखिम दिशासूचक (Risk Compass) के एक हिस्से के रूप में बैंकों के साथ साझा किया जा रहा है।

जोखिम दिशासूचक (Risk Compass) की शुरुआत

2016-17 से, एक 'जोखिम दिशासूचक' (Risk Compass) रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है जिससे बैंक विभिन्न जोखिम परिमापों में अन्य बैंकों के सापेक्ष अपनी स्थिति देख सकेंगे और जोखिम अंकों के विविध उप-घटकों के बारे में अंतर्दृष्टि भी प्राप्त कर सकेंगे। बैंकवार 'जोखिम दिशासूचक' संबंधित 'जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन' (Risk Assessment Report) के साथ ही प्रकाशित किया जाएगा।

जोखिम अंकों के आधार पर पर्यवेक्षी कार्रवाई

बैंकों का जोखिम स्तर पर्यवेक्षी अवधान का विषय है। स्पार्क की आधारभूत अवधारणा के अनुसार, बैंक का मूल्यांकित जोखिम स्तर, अर्थात बैंक में नियंत्रण स्तर के साथ सकलित अंतर्निहित जोखिम, यदि एक हद या दहलीज (जो कि पर्यवेक्षी जोखिम माद्दा का एक प्रतिपन्न है) के अंदर होता है तो किसी पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। किंतु यदि जोखिम स्तर उस खास हद या दहलीज (threshold) के पार होता है तो जोखिमों के शमन हेतु कार्रवाई निर्धारित की जायेगी जो नियंत्रणों में सुधार के रूप हो सकती है, अंतर्निहित जोखिमों के उच्च स्तर की बाबत हो सकती है या बैंक के किन्हीं

दोषयुक्त व्यवसायों या विनियामक अनुपालनों को ठीक करने से जुड़ी हो सकती है। तदनुसार, पर्यवेक्षी कार्रवाई का एक ढाँचा लागू किया जा रहा है जिसमें जोखिम श्रेणी विशेष के स्तर पर आधारित द्विआयामी कार्रवाई का प्रावधान है :

1 बैंक द्वारा स्वेच्छा प्रतिबद्ध कार्रवाई (Bank's Voluntarily Committed Action : BVCA)

2 निर्देशित पर्यवेक्षी कार्रवाई (Directed Supervisory Action : DSA)

उपरोक्त कार्रवाई प्रत्येक जोखिम श्रेणी के लिए आंतरिक रूप से परिभाषित जोखिम अंक स्तर की हद पर आधारित होगी। जैसा कि नाम से इंगित है, बैंक द्वारा स्वेच्छा प्रतिबद्ध कार्रवाई या बीव्हीसीए तब लागू होगी जब बैंक के जोखिम अंक पहली हद या दहलीज को पार कर जायेंगे। ऐसी स्थिति में, बैंक से अपेक्षा होगी कि वह रिज़र्व बैंक स्थित अपने वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (Senior Supervisory Manager : SSM) के साथ विचार विमर्श कर पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने हेतु सयमबद्ध रूप से अमल में लायी जा सकने वाली स्वेच्छा कार्ययोजना तैयार करे। वहीं निर्देशित पर्यवेक्षी कार्रवाई या डीएसए उस स्थिति में आवश्यक होगी जब बैंक के जोखिम स्तर दूसरी दहलीज को भी पार कर जायेंगे और उस स्थिति में जोखिमों के शमन हेतु निर्धारित अनिवार्य पर्यवेक्षी कार्रवाई लागू की जाएगी। उक्त संरचना के अंतर्गत आंरभ की गयी कार्रवाई जोखिम शमन योजना (Risk Mitigation Plan: RMP) का भी भाग होंगे।

वर्ष 2016-17 में सभी बैंकों के आरबीएस में आ जाने के पश्चात इसके ढाँचे को अगले स्तर पर ले जाने हेतु कुछ अन्य प्रस्तावित कार्यबिंदु इस प्रकार है : (क) बैंकों को आँकड़ा गुणवत्ता के अंक प्रदान करने के उद्देश्य से जोखिम आधारित पद्धति विकसित करना, (ख) परे जोखिम मूल्यांकन (off-site risk assessment) संरचना में सुधार, (ग) सतत पर्यवेक्षण संरचना विकसित करना, (घ) कारोबार जोखिम के आधार पर पर्यवेक्षीय कार्रवाई सूची तैयार करना, (ङ) बैंकों में नियंत्रण वातावरण का मानदंडीकरण (बेंचमार्किंग), (च) बैंकों की जोखिम- रूपरेखा (रिस्क प्रोफाइल) के संप्रेषण की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, (छ) जोखिम शमन योजनाओं को इस तरह बनाना कि वे अधिक सुनियत हों, तथा (ज) भुगतान बैंकों व लघुवित्त बैंकों के पर्यवेक्षण की दिशादृष्टि तय करना।

विश्वास है कि इन उत्तरोत्तर परिष्कार एवं परिमार्जनों के साथ साथ विकसित यह भारतीय जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली पर्यवेक्षण के एक विश्वसनीय उपकरण के रूप में प्रतिष्ठित होकर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ व विश्व मानकों के अनुरूप प्रतिस्थापित करते हुए उसे प्रगति के पथ पर और अग्रसर कर सकेगी।

"अंगुल-चिह्न का इतिहास और बैंक"

यूँ तो अंगुल-चिह्न का महत्व आपराधिक मामलों में विशेष रूप से होता है लेकिन बैंक में अनपढ़ ग्राहकों का लेन-देन भी अंगूठे के निशान द्वारा ही सम्पन्न होता है। इससे सरल उपाय या विकल्प पहचान स्थापित करने के लिए दूसरा हो ही नहीं सकता।

अंगुल-चिह्न का इतिहास कितना पुराना है यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि इन चिह्नों को कई देशों में राजकीय चिह्न के रूप में अंकित किया जाता था। ईसा से 200 वर्ष पूर्व चीनी शासकों द्वारा इस चिह्नों का उपयोग राजकीय मोहर के रूप में किया जाता था। प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि अंगुल-चिह्नों का प्रयोग राजकीय मोहर के रूप में 1278 ईस्वी में तुंग शासनकाल तक भी होता रहा। भारत में शाहजहाँ व अन्य मुगल शासकों के समय 'अति गोपनीय' शाही दस्तावेजों पर मोहर के साथ बादशाह के 'पंजा-चिह्न' अंकित करने के प्रमाण मिलते हैं।

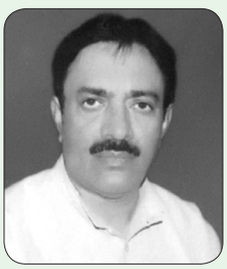

विद्या भूषण मल्होत्रा
अधिकारी (सेवानिवृत्त)
पंजाब नैशनल बैंक, जयपुर

सन् 1823 में जर्मनी के जॉन परकिंजे तथा सन् 1868 में इटली के मारलेसो मेलपिजो व अन्य वैज्ञानिकों द्वारा 'अंगुल-चिह्न' पर शोध कार्य प्रारम्भ किया गया। भारत में भी 1880 के आस-पास कई लोगों द्वारा अंगुल-चिह्नों के संदर्भ में शोध किये गये। बाद में बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक सर रिचर्ड हैनरी ने इस दिशा में अपनी विशेष रुचि दिखाई और सन् 1886 में उन्होंने अंगुल-चिह्नों को मनुष्य की व्यक्तिगत पहचान का मुख्य आधार बनाने कि लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा। मार्च 1897 में कलकत्ता (कोलकाता) में 'फिंगर प्रिंट ब्यूरो' की स्थापना की गई। यह भारत सरकार की ही नहीं बल्कि विश्व का पहला 'फिंगर प्रिंट ब्यूरो' था। बाद में भारत शासन इस विधि की सरलता, सत्यता तथा सफलता से इतना प्रभावित हुआ कि एक विशेष कानून 'एक्ट 5' वर्ष 1899 इण्डियन काउन्सिल बनाकर अंगुल-चिह्न साक्ष्य को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी।

बैंकों ने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोन अपनाया और अशिक्षित ग्राहकों के बैंकिंग लेन-देन या बैंकिंग व्यवहार में 'अंगुल-निशानी' को उनकी पहचान का आधार बनाया। आज भी बैंक अपने अशिक्षित ग्राहकों की पहचान उनकी अँगूठा-निशानी से ही

करते हैं। बैंक पुरुषों के बाँए हाथ का तथा महिलाओं के दाँये हाथ का अंगूठा पहचान चिह्न के रूप में अंकित करवाते हैं। यह एक परम्परा है इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इससे भविष्य में यह पता लगाने में आसानी रहती है कि बाँयें हाथ की अँगूठा-निशानी पुरुष की तथा दाँये हाथ की अँगूठा-निशानी महिला की होगी।

यह सत्य है कि अँगूठे या अँगुलियों पर विद्यमान रेखाएं स्थाई होती हैं। इनका आकार मानव शरीर के साथ घटता या बढ़ता है लेकिन इनकी आकृति, स्थिति तथा गठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्हें स्थाई रूप से हटाया या मिटाया नहीं जा सकता। चोट लग जाने के कारण ये रेखाएं थोड़े समय के लिए अस्पष्ट तो हो सकती हैं लेकिन चोट ठीक हो जाने के पश्चात ये अपने मूल स्वरूप में आ जाती हैं।

कभी भी दो व्यक्तियों की अंगूठा-निशानी पूर्ण रूप से एक समान नहीं हो सकती। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चों के अंगुल-चिह्न एक समान नहीं होते। अंगुल-चिह्न में कुछ ऐसे बिन्दु होते हैं जो उनमें भिन्नता दर्शाते हैं। कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही वैज्ञानिक श्री वोस ने कहा है - "अंगूठा-निशानी तो लगवा लेते हैं लेकिन अँगूठे की छाप में रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देतीं। ऐसी अँगूठा-निशानी का कोई महत्व नहीं रहता।" अतः 'अंगुल-चिह्न' या 'अँगूठा-निशानी' अंकित करवाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अँगूठा साफ हो तथा इसके लिए पैड की काली या बैंगनी स्याही का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि इससे अँगूठे की छाप स्पष्ट आती है। अँगूठा लगाते समय न तो अँगूठे को इधर-उधर घुमाना चाहिए और न ही ज्यादा दबाव डालना चाहिए।

यह सत्य हैं कि आज अशिक्षित व्यक्ति भी अपने भविष्य के प्रति सजग है तथा भावी प्रयोजनों व आर्थिक सुरक्षा के लिए बैंक से जुड़ना चाहता है। आधुनिक बैंकिंग के इस दौर में बैंक सूचना प्रौद्योगिकी की पहुँच ग्रामीण इलाकों में भी सुनिश्चित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं। अतः उनकी सुविधा हेतु विशेष बायोमैट्रिक एटीएम भी गाँवों में लगाये जा रहे हैं। इन एटीएम में पिन नंबर की जगह अँगुली के निशान से सत्यापन, ध्वनि द्वारा निर्देशित कमांड्स एवं एनीमेटेड स्क्रीन द्वारा मार्गदर्शन आदि विशेषताएं हैं जिससे अनपढ़ व्यक्ति को एटीएम का प्रयोग करने में कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे एटीएम भी बैंकों द्वारा तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं। इससे न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बैंक अपनी उत्पादकता और कारोबार बढ़ाने में सफल हो सकेंगे।

एनपीए समस्या समाधान में "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016" की भूमिका

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंक और बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बैंकिंग क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। बैंक जमाएँ स्वीकार करने के साथ आवास ऋण, वाहन ऋण आदि के साथ राष्ट्र विकास व निर्माण में योगदान देने वाली औद्योगिक तथा विनिर्माण इकाइयों को व्यापार स्थापना और विस्तार के लिए भी ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार आर्थिक विकास का यह चक्र एक शृंखला के रूप में चलता रहता है जब तक कि जमा और ऋण में असामंजस्यता की कोई स्थिति उत्पन्न न हो। आंकड़ों के संदर्भ में देखा जाये तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी बैंकिंग क्षेत्र का 7.7% का योगदान हैं। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार सन् 2020 तक भारत का बैंकिंग उद्योग विश्व के पाँच बड़े बैंकिंग उद्योगों की सूची में होगा वहीं 2025 तक यह तीसरी बड़ी बैंकिंग इण्डस्ट्रीज के रूप में उभर कर आयेगा। इस अतीव महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण ही सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाता हैं। वर्तमान सरकार ने इसी संदर्भ में बासेल-III के नियामकों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता के लिए 'इंद्रधनुष-योजना' को आरंभ किया है, वहीं दूसरी ओर विगत कुछ वर्षों से बैंकों के तुलन-पत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में अनवरत वृद्धि ने स्थिति को चिंताजनक बना दिया है। इस ओर ध्यान देते हुए ही सरफेसी एक्ट, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के प्रावधानों के साथ पूर्व में लागू दिवालिया क़ानूनों में व्यापक संशोधन और प्रतिस्थापन्न द्वारा वर्तमान भारत सरकार ने "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016" की व्यवस्था की है।

कुलदीप सिंह भाटी
ग्राहक सहायक
भारतीय स्टेट बैंक

गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) - बैंकों की एक विकट समस्या – "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016" को जानने से पूर्व बैंकिंग क्षेत्र की गंभीर समस्या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में हो रही लगातार वृद्धि पर प्रकाश डालना आवश्यक है। यह समस्या केवल सार्वजनिक बैंकों की ही नहीं हैं वरन् निजी, विदेशी बैंकों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी एनपीए नासूर की तरह बढ़ता जा रहा हैं। इसका मुख्य कारण एक तरफ जहां खराब ऋण (बैड लोन) अर्थात् ऐसे ऋण जिनकी वसूली नहीं की जा सकती, में उतरोत्तर वृद्धि होना है, वहीं दूसरी ओर इसका कारण बैंकों द्वारा ऐसे खराब ऋणों के संबंध में वसूली दर में भी भारी गिरावट होना है। रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में कुल 248200 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में से

खराब परिसंपत्तियों की वसूली दर करीब 12.4 फीसदी यानी 30800 करोड़ रुपये थी वहीं मार्च 2016 के अंत तक देश की कुल 221400 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली दर 2015-16 के मुक़ाबले घटकर तकरीबन 10.3 फीसदी यानी 22800 करोड़ रुपये की रह गई। इतना ही नहीं रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी 'आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट' (फ़ाइनेंशियल स्टेबलिटी रिपोर्ट – एफ़एसआर) में भी मार्च 2017 की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के 9.6% की तुलना में मार्च 2018 तक 10.2% तक होने की आशंका जताई हैं। अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऐसे अनुमान निस्संदेह चिंताजनक हैं। इतना ही नहीं इस संबंध में नीचे उल्लिखित कुछ तथ्य इस कथ्य की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं –

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार एनपीए की वसूली करने के लिए लोक अदालतों, ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा सरफेसी अधिनियम के तहत कुल 46.54 लाख मामले दर्ज किए गए, जिनमें से तकरीबन 44.56 लाख मामलों को मार्च 2016 तक लोक अदालतों से वापस ले लिया गया। इसका मुख्य कारण न्यायिक प्रक्रिया में निर्णयों में होने वाली अत्यंत देरी के कारण प्राप्त होने वाली रकम का उस देय राशि और न्यायिक खर्चों की तुलना में बहुत कम होना है। अत: वित्तीय संस्थाएं सुलह के आधार पर रियायती प्रावधानों के साथ ऐसे मामलों को वापस लेने को विवश हो जाती हैं।
- सरफेसी अधिनियम में भी ऋणी के हितों को ऋणदाता के हितों से ज्यादा महत्त्व दिया गया हैं। इसी कारण सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत जहां वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 25600 करोड़ रुपये की एनपीए वसूली की गई, वही यह वसूली राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में घटकर मात्र 13199 करोड़ रुपये ही रह गई।

लचर कानून व्यवस्था के कारण लाचार बैंकिंग क्षेत्र समझौते की रणनीति अपनाते हैं और संभवतया इरादतन चूककर्ता इसी का लाभ उठाते हैं। कठोर कानूनी नियमों के अभाव में बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में सितम्बर-2015 के 5.1 फीसदी की तुलना में मार्च-2016 में कुल अग्रिम गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में 7.6 फीसदी का उछाल देखा गया। अत: मौजूदा प्रावधानों से एनपीए वसूली के लिए कारगर परिणाम प्राप्त नहीं होने की स्थिति को निम्न सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है।

(राशि – बिलियन रुपये में)

वर्ष		लोक अदालत	ऋण वसूली न्यायाधिकरण	सरफेसी अधिनियम	कुल
2012-13	दर्ज किए गए कुल मामले	840,691	13,408	190,537	1,044,636
	संलग्नित कुल राशि	66	310	681	1,057
	प्राप्त धनराशि	4	44	185	233
	प्राप्त प्रतिशत	6.1	14.2	27.2	22
2013-14	दर्ज किए गए कुल मामले	1,636,957	28,258	194,707	1,859,922
	संलग्नित कुल राशि	232	553	953	1,738
	प्राप्त धनराशि	14	53	253	320
	प्राप्त प्रतिशत	6	9.6	26.6	18.4

वर्ष		लोक अदालत	ऋण वसूली न्यायाधिकरण	सरफेसी अधिनियम	कुल
2014-15	दर्ज किए गए कुल मामले	2,958,313	22,004	175,355	3,155,672
	संलग्नित कुल राशि	310	604	1,568	2,482
	प्राप्त धनराशि	10	42	256	308
	प्राप्त प्रतिशत	3.2	7	16.3	12.4
2015-16	दर्ज किए गए कुल मामले	4,456,634	24,537	173,582	4,654,753
	संलग्नित कुल राशि	720	693	801	2,214
	प्राप्त धनराशि	32	64	132	228
	प्राप्त प्रतिशत	4.4	9.2	16.5	10.3

स्रोत- भारतीय रिज़र्व बैंक

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता - 2016 अथवा बैंकरप्ट्सी कोड – भारत में एनपीए की समस्या निपटाने में वर्तमान बैंकरप्ट्सी कोड 2016 से पहले शोधन अक्षमता संबंधी कई कानून रहे हैं। देश में अब तक शोधन अक्षमता से संबंधित कम से कम बारह के लगभग कानून थे और उनमें से कुछ कानून तो 100 साल से भी पुराने कानून थे। जैसे 1909 का 'प्रेसीडेंसी टाउन इंसोल्वेंसी एक्ट', 'प्रोवेंसियल इंसोल्वेंसी एक्ट 1920' जैसे पुराने कानून के साथ सरफेसी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लोक अदालतों का प्रावधान, अन्य सिविल तथा दीवानी मामलों से संबंधित दिवालिया कानून, जनसमूह एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, सेक्युरटाइजेशन एक्ट जैसे विनियम और अधिनियम भी हैं। लेकिन इतने कानून होने के बावजूद इनकी अस्पष्टता, क्रियान्वयन में पेचीदगियाँ, और जटिलता के कारण घरेलू तथा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने तथा बैंकिंग सैक्टर की बढ़ती एनपीए की समस्या के निराकरण में कारगर नहीं हो सके।

भारत को भविष्य की वैश्विक शक्तियों की अग्रिम पंक्ति में आने के लिए एनपीए की इस समस्या का भी वैश्विक मानदंडों के अनुरूप आवश्यक न्यायिक क्षमता उपलब्ध करा कर समाधान खोजना आवश्यक था। इसी आवश्यकता के अनुरूप भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में एक 'समग्र शोधन अक्षमता संहिता' लाने की घोषणा की। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने पूर्व विधि सचिव डॉ. टी. के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में 'दिवालियापन कानून सुधार समिति' का गठन किया। 4 नवम्बर 2015 को 'दिवालियापन कानून सुधार समिति' ने केंद्रीय वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की रिपोर्ट और प्राप्त सुझावों के आधार पर महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधार हेतु केंद्र सरकार द्वारा बैंकरप्ट्सी कोड यानी शोधन अक्षमता संहिता नाम से विधेयक लाया गया। 5 मई, 2016 को लोकसभा में तथा उसके बाद 11 मई, 2016 को राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ। दिनांक 28 मई, 2016 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर और गज़ट प्रकाशन के साथ ही देश को नया दिवालिया कानून मिल गया। इस कानून के कुछ प्रावधान 05 अगस्त 2016 तथा कुछ 19 अगस्त 2016 को लागू हुए तत्पश्चात् दिसंबर-2016 से इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया।

बैंकों में एनपीए की समस्या निपटाने में दिवालिया कानून – 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इंसोल्वेंसी एक्ट' तथा 'प्रोवेंसियल इंसोल्वेंसी एक्ट 1920' को रद्द करते हुए तथा अन्य कई क़ानूनों के संशोधन के साथ नया दिवालिया कानून -2016 अस्तित्व में

आया। इस कानून के प्रावधानों के अध्ययन के बाद इस विषय पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि यह कानून बैंकिंग सैक्टर की एनपीए की समस्या के निदान में किसी प्रकार से कमजोर हैं। यह कानून वित्तीय संस्थाओं और लेनदारों के पास एनपीए निपटान हेतु अचूक तथा प्रभावी अस्त्र हैं। बैंकों के संदर्भ में एनपीए निपटान में इसकी भूमिका को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं –

(1) चूककर्ताओं के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई के साथ प्रभावशाली कानून – नए कानून अनुसार बैंकों के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियों तथा खराब ऋण (बैड लोन) की वसूली के लिए यदि 75% ऋणदाता सहमत हो तो ऐसे ऋणी पर 180 दिनों में सम्पूर्ण कार्यवाही की जा सकती हैं और उस ऋणी की परिसंपत्तियों को बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने तथा सशक्त कार्रवाई तथा निर्णयन हेतु शोधन अक्षमता की कार्यवाही पर कंपनी के प्रमोटरों तक को कार्यमुक्त कर दिया जाता हैं। साथ ही साथ इस कानून के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर और सशक्त किया गया हैं। इसी के परिणामस्वरूप आरबीआई द्वारा हाल ही में कुल 2 लाख करोड़ के 12 ऐसे बैंक खाते, जिनका कुल एनपीए में 25% के लगभग योगदान है, को बैंकरप्ट्सी कोड के अंतर्गत कार्यवाही हेतु लाया गया है। इन खातों में प्रत्येक में रुपये 5000 करोड़ से अधिक राशि बैंकों की फंसी हुई है। साथ ही 55 बैड लोन के संबंध में 6 माह के भीतर कार्रवाई का निर्देश आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया गया है। निस्संदेह अभी तक एनपीए वसूली में यह सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है जिससे आगामी दिनों में बैंक के एनपीए को कम करने के साथ-साथ नए एनपीए खातों को भी रोकने में सहायता होगी। यह समस्त कार्यवाहियाँ नए दिवालिया कानून के प्रवर्तन से ही संभव हो पाई है।

(2) समयबद्ध निस्तारण – नए दिवालिया कानून में मुख्य विशिष्टता है – अनर्जक आस्तियों तथा एनपीए के संबंध में की जाने वाली प्रक्रिया का समयबद्ध निस्तारण। इससे बैंकिंग क्षेत्र को अपनी वसूली के लिए की जाने वाली लंबी कानूनी कार्यवाहियों से निजात मिली है और बैंक खुलकर कार्यवाही कर सकते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में ऋण वसूली में औसतन 1.7 वर्ष का समय लगता है वहीं भारत में 4.3 वर्ष लगते हैं। यह अवधि संभवतया दक्षिण एशिया में लगने वाली सर्वाधिक समयावधि है। इतना ही नहीं जापान में जहां 6 माह, सिंगापुर में 8 माह तथा संयुक्त राज्य अमरीका में 1.5 वर्ष लगते हैं वहीं भारत में इसके लिए काफी लंबा समय लगता है। नए कानून में शोधन अक्षमता से संबंधित मामलों को निपटारे के लिए जिला न्यायालयों में न भेज ऋण वसूली पंचाट भेजने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे मामले 180 दिन में सुलझाने का समय निश्चित किया गया है। कुछ मामलों में अपवादस्वरूप 90 दिन का समय और बढ़ाया जा सकता हैं। इतना ही नहीं दिवालिया आवेदन की पुष्टि हेतु प्राधिकरण को भी 14 दिन का ही समय दिया गया है। अत: नए कानून के अंतर्गत 'फास्ट ट्रेक रिजोल्यूशन' से बैंकों को वसूली में काफी सहायता मिलेगी।

(3) कॉर्पोरेट ऋणी हेतु सरल द्विस्तरीय प्रक्रिया – नए कानून को पूर्व के क़ानूनों की जटिलताओं से सबक लेते हुए अपेक्षाकृत सरल बनाया गया है। जहां पुराने क़ानूनों में चार से पाँच स्तरों पर प्रक्रिया होती थी वहीं नए दिवालिया कानून में इसे दो चरणों में समाहित किया गया है। पहला चरण है - दिवाला समाधान प्रक्रिया (आईआरपी) तथा दूसरा चरण है – परिसमापन। दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत लेनदारों (ऋणदाताओं) द्वारा आकलन किया जाएगा कि देनदार यानी ऋणी का व्यवसाय इसके बचाव और पुनरुद्धार के विकल्प के रूप में जारी रखने हेतु व्यवहार्य है अथवा नहीं। वहीं

परिसमापन के अंतर्गत दिवाला समाधान प्रक्रिया के विफल होने अथवा लेनदारों द्वारा देनदार की संपत्तियों को वितरित कर वसूली संबंधी कार्यवाही का निर्णय किया जाता है। अत: सरल प्रक्रिया के पालन से वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को इस कानून से बहुत लाभ होगा।

(4) **अन्य क़ानूनों पर अधिमान्य –** नए दिवालिया कानून से पहले बैंकों को सबसे बड़ा नुकसान होता था – शोधन अक्षमता संबंधित अन्य कानून और अधिनियम। इन क़ानूनों का दुरुपयोग कर देनदार अथवा ऋणी बच निकल जाते थे। उदाहरण के लिए भारत के कॉर्पोरेट तथा व्यवसायी ऋणी कर्ज न चुकाने और दूसरे मौद्रिक दायित्वों से बचने के लिए मौजूदा क़ानूनों का बेजा इस्तेमाल करते थे क्योंकि एक बार कंपनी बोर्ड के साथ वित्तीय और औद्योगिक पुनर्निर्माण (बीआईएफ़आर) की याचिका दायर करती है तो कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती और कंपनी से रुपये वसूलने का निवेदन और कंपनी के विरुद्ध सुरक्षा-प्रवर्तन पर भी प्रतिबंध लग जाता। कई बार तो विभिन निकायों – जिला न्यायालयों, कंपनी लॉ बोर्ड, बीआईएफ़आर और डीआरटी के निर्णय भी परस्पर अतिक्रमण करते जिसका ऋणी गलत फायदा उठाकर मामले को लंबित कर देते और बैंकों को अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता था। अब इस समस्या का निराकरण करते हेतु नए दिवालिया कानून को अन्य समकक्ष क़ानूनों पर अधिमान्यता प्रदान की गई है। साथ ही अन्य कानून में नए प्रावधानों के विपरीत नियमों को संशोधित किया गया है। इसी कारण कंपनी अधिनियम 2013 के उस प्रावधान में संशोधन किया गया जिसके तहत कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑफिसीयल लिक्विडेटर जहां पहले 3 से 4 वर्ष में देनदार को पैसा देते थे वहीं अब यह समय अवधि नए कानून के अनुरूप 180 दिन कर दी गई है। इस प्रकार बैंकों को कानूनी आड़ लेकर कानून से बच निकलने वाले चूककर्ताओं से राहत मिलेगी।

(5) **शोधन अक्षमता पर सीमापार संबंधी मुद्दों पर प्रावधान–** नए दिवालिया कानून में शोधन अक्षमता के सीमा पार संबंधी मुद्दों को भी स्थान दिया गया है। पूर्व में मजबूत कानून के अभाव में दिवालिया होने वाले, इरादतन चूककर्ता तथा ऐसे ऋणी जिनके विरुद्ध कोई देनदारी निपटान प्रक्रिया चल रही हो, वसूली से बचने के लिए या तो विदेश में परिसंपत्तियाँ निर्मित कर लेते अथवा देश छोड़कर विदेश भाग जाते थे। किन्तु सरकार द्वारा नए कानून में इस संदर्भ में अन्य देशों के साथ संधि कर ऐसे विशिष्ट मामलों को निपटाने की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे मालिकों तथा कंपनी प्रवर्तकों के विदेश से प्रत्यावर्तन के साथ उनकी विदेशी संपत्ति की जब्ती का प्रावधान भी नए कानून में किया गया है। साथ ही ऐसे देनदार जिन पर देनदारी निपटान प्रक्रिया चल रही है बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विदेश नहीं जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के सहयोग से बैंक को ऐसे लोगों पर कार्रवाई में आसानी होगी जो भारी कर्ज की रकम न लौटा कर विदेश में मौज करते हैं। नए कानून से मालामाल 'माल्या' बनने वाले भगोड़ों की राह मुश्किल अवश्य होगी।

(6) **अन्य क़ानूनों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई का विकल्प–** दिवालिया कानून के अंतर्गत बैंकों द्वारा की जानेवाली कार्रवाई के साथ – साथ यदि ऋणी या देनदार द्वारा कोई अन्य आपराधिक कार्य किया जाता है तो उस संबंध में पृथक् से संबंधित कानून अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। उदाहरण के लिए षड्यंत्रपूर्वक या कूटरचित दस्तावेजों से ऋण प्राप्ति, ऋण के पैसों का कहीं गलत इस्तेमाल या धन शोधन जैसे अन्य मामलों में अलग से एफ़आईआर दर्ज करवाई जा सकती हैं। इससे बैंक और वित्तीय संस्थाओं को बहु आपराधिक कृत्यों पर सभी विकल्पों पर विचार कर कार्रवाई करने से सहूलियत होगी। इससे बैंक को धोखा देने वाले और सार्वजनिक धन पर ऐशों आराम करने वालों में भय व्याप्त होगा।

(7) **सूचना उपयोगिता** – नए कानून के अनुसार सूचना उपयोगिता (इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी) का प्रावधान किया गया है। सूचना उपयोगिता से बैंकों को ऋण लेने वालों के बारे में सभी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। दिवालिया मण्डल के अंतर्गत काम करने वाली इस सूचना उपयोगिता को एकदम अद्यतन (रियल टाइम अपडेट) रखा जाएगा। इस प्रकार क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों तथा विभिन्न ऋण आसूचना ब्यूरो के साथ इस 'सूचना उपयोगिता' के जुडने से बैंकों को सही आर्थिक निर्णय लेने में सहूलियत होगी जिससे संभावित आर्थिक जोखिमों से बैंक खुद को सतर्क रख सकेंगे।

(8) **दुर्भावनापूर्ण मंशा पर जुर्माना तथा सजा** – कई बार इरादतन चूककर्ता वित्तीय संस्थाओं को ऋण न चुकाने के उद्देश्य से कानून की आड़ में धोखाधड़ी तथा दुर्भावनापूर्ण मंशा से अपने दिवालिया होने की प्रक्रिया अथवा परिसमापन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इससे बैंकों को अपनी देय रकम की वसूली न होने से नुकसान होता है। ऐसे मामलों में बैंकों को राहत देते हुए नए दिवालिया कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। नए कानून के तहत ऐसे धोखाधड़ी वाले मामलों में उचित प्राधिकरण द्वारा न्यूनतम एक लाख रुपये और अधिकतम एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं गलत सूचना देने पर दोषी को 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रकार बैंक को नए कानून से दुर्भावनापूर्ण मंशा रखने वाले लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई का मौका मिलेगा और कठोर कार्रवाई के भय से ऐसे लोग हतोत्साहित होंगे।

(9) **कुछ अन्य लाभ** – नए दिवालिया कानून के लिए नियामक निकाय की स्थापना, शोधन अक्षमता संबंधी कार्रवाई के लिए अनुभवी तथा पेशेवर लोगों की नियुक्ति से बैंकों को निष्पक्ष तथा पारदर्शी माहौल मिलेगा। समयबद्ध निस्तारण से तथा फंसी रकम की प्राप्ति से बैंकों की ऋण उपलब्धता में वृद्धि होगी। अनुकूल वातावरण में बैंक के एसएमई तथा एमएसएमई क्षेत्रों में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। दिवालिया होने पर बेची जाने वाली संपत्ति से प्राप्त रकम में ऋण वसूली को प्राथमिकता देने से बैंकों के तुलन पत्र में गैर निष्पादित ऋणों में कमी आएगी। फलत: बैंकों को एनपीए के लिए की जाने वाली प्रावधानीकरण राशि के अतिरिक्त भार से मुक्ति मिलेगी। बैंक अन्य क्षेत्रों में उस पूंजी का उपयोग कर सकेगा। जैसे बासेल-III नियामकों के अनुसार पूंजी बनाए रखने में सहजता होगी। न्यून एनपीए और सुदृढ़ तुलनपत्र से बैंकिंग क्षेत्र में शेयरधारकों का विश्वास भी सुदृढ़ होगा। इस प्रकार नए दिवालिया कानून से भारत के बैंकिंग क्षेत्र में नई आशा का संचार होना निश्चित है।

उपसंहार – नया शोधन अक्षमता कानून वित्तीय संस्थाओं को एनपीए और शोधन अक्षमता की समस्या से निपटने हेतु विस्तृत समाधान प्रदान करता है। विशेषज्ञों के विश्लेषणों के अनुसार नए कानून से लगभग 32 फीसदी तथा अधिक की दर से बैंक एनपीए की वसूली होने में सहायता मिलेगी। इस संदर्भ में शोधन अक्षमता पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन "दिवाला और शोधन अक्षमता : बदलता प्रतिमान" में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के शब्दों में – "इससे (नए शोधन अक्षमता कानून 2016) पहले ..... देनदारों के खिलाफ केवल 'लोहे का पर्दा' प्रदान किया था, अन्यथा वह (पुराने प्रावधान) पूर्ण विफलता थी और .....उससे बहुत कम उद्देश्य ही हासिल किया जा सका"। किन्तु इन सबसे परे 'शोधन अक्षमता कानून 2016' एक सम्पूर्ण आर्थिक सुधार है जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों हेतु आवश्यक एकीकृत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। निष्कर्षत: नया शोधन अक्षमता कानून बैंकिंग क्षेत्र को नवीन प्रभात में एक नवीन प्रारम्भ का अहसास दिलाएगा तथा सुदृढ़ बैंकिंग के लिए सुदृढ़ प्रस्तर सिद्ध होगा।

पुस्तक समीक्षा

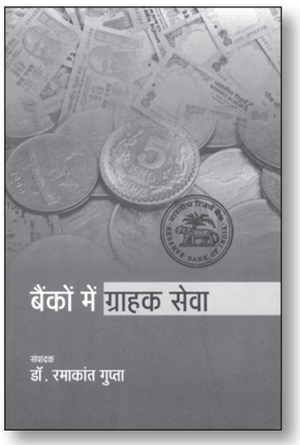

पुस्तक का नाम	:	**बैंकों में ग्राहक सेवा**
संपादक	:	डॉ. रमाकांत गुप्ता
सर्वाधिकार	:	भारतीय रिज़र्व बैंक
प्रकाशक	:	आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, एस.सी.एफ. 267, सेक्टर – 16 पंचकूला-134113 (हरियाणा)
कुल पृष्ठ	:	284
मूल्य	:	₹500/-
प्रथम संस्करण	:	2016

अध्याय प्रथम में ग्राहक सेवा – सिद्धांत एवं संप्रेषण विषय पर डॉ. रमाकांत गुप्ता जी ने बहुत ही बखूबी पेश किया है और विभिन्न मदों को विस्तार से प्रस्तुत किया है, उदाहरणार्थ, ग्राहक सेवा के सिद्धांत, ग्राहक सेवा के प्रति जागरूकता, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए प्रतिबद्धता, ग्राहक केंद्रित कार्यकलाप, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए आयोजन, ग्राहक सेवा हेतु टीम भावना, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा हेतु प्रशिक्षण, ग्राहक संबंध विकसित करना, ग्राहक की विश्वसनीयता अर्जित करना, ग्राहक सेवा और संप्रेषण इत्यादि इन सभी विषयों को अच्छी तरह सरल भाषा में उजागर किया गया है जो कि एक उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के परिचायक हैं।

श्री चरणजीत सिंह
महाप्रबंधक
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, गुरूग्राम

दूसरे अध्याय में ग्राहक संबंध प्रबंधन की उपयोगिता को श्री राजेंद्र सिंह जी ने बहुत सहज एवं सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। बैंक एवं बीमा कार्यालय एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएँ ग्राहक संबंध प्रबंधन का महत्व भली-भांति जानती हैं। इसमें प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं मसलन, ग्राहक संबंध प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा और साथ-ही-साथ इनके चार पहलुओं उदाहरणार्थ, ग्राहक प्रतिधारण, ग्राहक अर्जन, ग्राहक आत्मीयता एवं ग्राहक संतुष्टि। इसके साथ-साथ बैंकों में काउंटर का महत्व, विपणन की भूमिका, ग्राहकों का वर्गीकरण, ग्राहक संबंध प्रबंधन में महत्वपूर्ण अनुसंधान का एक प्रमुख अंग बन गए हैं ताकि समय के साथ-साथ ग्राहकों की रुचि के अनुसार उत्पाद एवं सेवाओं में फेरबदल किया जा सके।

अध्याय -3 में ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर 'सुबह सिंह यादव' जी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जो कि ग्राहकों के काफी समीप है। यह ग्राहकों पर ही निर्भर करता है कि वे समय-समय पर कौन-कौन सी सुविधाएँ बैंकों से लेना चाहते हैं इस डायनेमिक वर्ल्ड में। इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलूओं पर प्रकाश डाला गया है, उदाहरणार्थ, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण की अवधारणा, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण बनाम उत्पाद केंद्रित दृष्टिकोण और इनके जरिए कैसे एक बैंक ग्राहक संतुष्टि से ग्राहक प्रसन्नता और ग्राहक प्रफुल्लता तक पहुँच सकता है के तरीकों को बखूबी प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा वे पहलू भी बताए गए हैं जिनके चलते ग्राहक आपके बैंक के साथ जुड़ा रहे और बैंक के सभी कर्मचारी एक 'टीम' की तरह कार्य करते रहे ताकि दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, ग्राहक सेवा के संदर्भ में।

इस अध्याय में श्री परवेज अख्तर द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 पर विस्तृत चर्चा की है। इसके साथ-साथ उपभोक्ता आंदोलन का इतिहास बखूबी प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात उपभोक्ता के विभिन्न अधिकारों का संक्षिप्त रूप में जिक्र किया गया है। उदाहरणार्थ, सुरक्षा अधिकार, चुनाव/पसंद का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, सुनवाई या अपना पक्ष रखने का अधिकार, उपचार का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार इत्यादि।

इसके साथ-साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 'उपभोक्ता' को क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं उसका जिक्र भी किया गया है। उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराना एवं इसके निवारण हेतु प्रक्रिया को बखूबी दर्शाया गया है।

इसके अगले अध्याय में डॉ. सुबोध कुमार एवं राजपाल सिंह रावत जी ने बैंकिंग प्रतिबद्धता कोड: एक समीक्षात्मक अवलोकन पर प्रकाश डाला है। इस अध्याय में बैंकिंग प्रतिबद्धता कोड की उपलब्धता एवं इसके अंतर्गत आने वाली सभी सेवाओं का बखूबी विवरण दिया गया है। इसके अलावा विस्तृत रूप में क्रेडिट कार्ड विपणन एवं ग्राहक प्रशिक्षण, प्रभार-दर सूची उपलब्धता, निरक्षर ग्राहक, वरिष्ठ नागरिक दायित्व बनाम अवसर, खोए हुए एटीएम कार्ड ब्लॉक कराना, अनधिकृत व्यक्ति को चेक भुगतान, ऋण उत्पाद, आवास ऋण में चूक का उल्लेख किया गया है और क्या-क्या उपाय सुझाए गए है उनका विवरण भी बखूबी दिया गया है।

भाग-3 में ग्राहक सेवा से जुड़ी सरकारी संस्थाएँ एवं समितियाँ किस कदर ग्राहक सेवा पर प्रभाव डालती है उनसे जुड़े हुए पहलुओं पर बहुत ही सरल एवं सहज ढंग से विस्तार से चर्चा की गई है।

बैंकिंग लोकपाल एवं ग्राहक शिकायतें – दशा - अध्याय में निधि चौधरी ने बैंक एवं जनसंख्या और दिशा, समूह-वार एवं श्रेणीवार शिकायतों का विवरण बखूबी किया है। उदाहरणार्थ, कार्ड संबंधी, जमा खाते संबंधी, पेंशन भुगतान संबंधी, ऋण एवं अग्रिम, विप्रेषण आदि शिकायतों का ब्यौरा दिया गया है। (प्रतिशत-वार) इसके साथ-साथ ग्रामीण, अर्धशहरी, शहरी एवं महानगरीय शाखाओं में शिकायतों का समेकित रूप में विवरण दिया गया है। इसके अलावा बैंक समूह के अनुसार ग्राहक शिकायतों का विवरण भी दर्शाया गया है जिसमें स्टेट बैंक समूह, राष्ट्रीयकृत बैंक समूह, निजी बैंक, विदेशी बैंक एवं अन्य को दर्शाया गया है। इसके साथ-साथ इन शिकायतों के निवारण हेतु बैंकिंग एवं लोकपाल एवं आंतरिक बैंकिंग

लोकपाल की भूमिका को भी आँकड़ों सहित बखूबी दर्शाया गया है।

इसके अगले अध्याय में निक्षेप बीमा और ग्राहक हित रक्षा में लेखक श्री एच. पंढरीनाथ ने भारत में जीवन बीमा की सफल यात्रा एवं क्रेडिट गारंटी निगम लिमिटेड (सी.जी.सी.आई.) और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम(डी.आई.सी. जी.सी.) के बारे में बखूबी जिक्र किया है।

इसके अगले अध्याय: ग्राहक सेवा पर गठित समितियों की सिफारिशें – एक विहंगावलोकन, लेखिका श्रीमती सावित्री सिंह द्वारा कई महत्वपूर्ण समितियों उदाहरणार्थ, तलवार समिति(1975), गोईपोरिया समिति (1990), तारापोर समिति (2003), दामोदरन समिति (2010) की सिफारिशों का विस्तृत रूप में विवरण दिया गया है और किस प्रकार इन सिफारिशों ने ग्राहक सेवा में सुधार लाने हेतु एक प्राणवायु का कार्य किया है, का उल्लेख किया गया है।

इसके अगले अध्याय में 'ग्राहक सुरक्षा – विविध प्रावधानों में लेखिका श्वेता जैन ने उन सभी कदमों/पहलों का जिक्र किया है जो भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहक की सुरक्षा हेतु एवं उन्हें अच्छी ग्राहक सेवा मुहैया कराने हेतु उठाए गए हैं। उदाहरणार्थ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बी.सी.एस.बी.आई.), बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006, दामोदरन समिति (2010) और इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का जिक्र किया गया है जो ग्राहक सेवा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रभावित करते हैं।

भाग-4 में 'ग्राहक सेवा संबंधी विभिन्न चुनौतियां' इस भाग में डॉ. रमाकांत गुप्ता जी ने दुर्विक्रय (मिस-सेलिंग) के विभिन्न आयामों का जिक्र किया है कि किस प्रकार ग्राहकों को अनेक प्रकार का प्रलोभन देकर आकर्षित किया जाता है और आगामी समय पर जब ग्राहक को इस बाबत पूर्ण ज्ञान होता है तो वह असमंजस की स्थिति में अपने-आपको असहाय महसूस करता है। इस बाबत मिस सेलिंग से बचने के उपाय और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा और सेबी (एस.ई.बी.आई.) द्वारा क्या-क्या कदम उठाए है उनका बखूबी जिक्र किया गया है।

इसके अगले अध्याय में ''क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी –ग्राहक सेवा की बड़ी चुनौती'' जो कि डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल जी द्वारा रचित है जिसमें लेखक ने क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी रोकने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का बहुत ही सरल एवं सहज रूप में विवरण दिया गया है। इसके अलावा बैंकिंग लोकपाल की भूमिका का भी विवरण बखूबी किया गया है। इस अध्याय में क्रेडिट कार्ड द्वारा विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी के पहलूओं को उजागर भी किया गया है और साथ-ही-साथ उनसे बचने के उपायों को भी दर्शाया गया है।

इसके अगले अध्याय में "आउटसोर्सिंग : एक प्रभावी विकल्प और ग्राहक सेवा'' जिसके लेखक है काजी मुहम्मद ईसा जी। इस अध्याय में लेखक ने आउटसोर्सिंग की परिभाषा से लेकर इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया का बखूबी जिक्र किया गया है और वित्तीय क्षेत्र में किन-किन कार्यकलापों में इसका प्रयोग किया जा सकता है उसका उल्लेख है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बाबत क्या-क्या दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी

किए गए, उन्हें शामिल किया गया है। इसके क्या-क्या लाभ एवं हानि है और इन हानियों से कैसे निजात पा सकते हैं, उसका विवरण भी दिया गया है। इसका ग्राहक सेवा पर क्या सकारात्मक असर पड़ता है उसका भी समावेश है। इस अध्याय में देशी व विदेशी दोनों का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

इसके अगले अध्याय में "ग्राहक सेवा की कसौटी पर निजी बैंक बनाम सरकारी बैंक" जिसके लेखक है श्री सुशील कृष्ण गोरे। इस अध्याय में लेखक ने ग्राहक सेवा से जुड़ी हुई सभी बातों का विस्तृत रूप से जिक्र किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संदर्भ में कौन-कौन सी समितियों का गठन किया गया था उसका विवरण अच्छी तरह से दिया गया है। इसमें ग्राहक सेवा निजी एवं सरकारी क्षेत्र के बैंक किस तरह से प्रदान कराते हैं, उसका तुलनात्मक विश्लेषण भी दिया गया है। इसके अलावा ग्राहक सेवा एवं ग्राहक सुरक्षा को अच्छी तरह से पेश किया गया है।

इसके अगले अध्याय में "ग्राहक सेवा में भाषा की भूमिका" जिसके लेखक हैं श्री विनय कुमार पाठक जी। इसमें लेखक ने बहुत ही सरल एवं सहज तरीके से भाषा का योगदान एक अच्छी एवं बेहतर ग्राहक सेवा मुहैया कराने हेतु जोर दिया गया है जिसमें उपयुक्त भाषा का महत्व, लिखित और मौखिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, सरल एवं सहज भाषा, अमौखिक भाषा और भाषाओं का नए उत्पाद की सफलता हेतु क्या योगदान रहता है का बखूबी वर्णन किया है। बैंकिंग के विभिन्न कार्यकलापों में / सेवाओं में कैसे भाषा का प्रयोग करना है उसका विवरण अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

भाग-5 में सूचना प्रौद्योगिकी और ग्राहक सेवा पर "बैंकिंग के बदलते परिवेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ग्राहक अपेक्षाएँ" जिसके लेखक है डॉ. नरेंन्द्रपाल सिंह जी एवं सह लेखक डॉ. लोकेंद्र सिंह जी ने उक्त विषय पर बहुत सरल एवं सहज ढंग से चर्चा की है।

इस अध्याय में लेखकों ने बहुत ही सुलझे ढंग से बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की अहम् भूमिका का विस्तृत रूप में वर्णन किया है। इसके साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी ने बैंकों के कार्यकलापों को किन-किन रूपों में प्रभावित किया है सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने ग्राहक सेवा पर क्या-क्या प्रभाव डाला है। इसका भी जिक्र बखूबी किया है और किन-किन स्वरूप में सूचना प्रौद्योगिकी एक अवसर या एक चुनौती या एक प्रतिस्पर्धा का दायित्व निभाती है और अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी का क्या परस्पर लाभ मिलता है। आपने कम्प्यूटरीकरण का बखूबी जिक्र किया गया है। इसके अलावा बहुत ही विस्तृत रूप में अनुबंध भी दिए गए हैं।

जहाँ तक इस पुस्तक की महत्ता का संबंध है यह पुस्तक बहुत ही सरल एवं सहज है और विभिन्न लेखों में बहुत ही सरल शब्दों में बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उल्लेख किया गया है जो कि अच्छी ग्राहक सेवा का सूचक है। जहाँ कहीं भी जरूरत महसूस की गई, वहाँ पर उदाहरण देकर विषय को और भी रोचक बना दिया गया है। कुल मिलाकर यह पुस्तक बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र तथा बैंकिंग प्रशिक्षण से जुड़े हुए सभी कर्मियों के लिए उपयोगी है। मैं इस पुस्तक को वित्तीय क्षेत्र के अलावा सभी पुस्तकालयों से इसे खरीदने हेतु अनुरोध करता हूँ ताकि ज्यादा-से-ज्यादा पाठक इसे पढ़ और इससे लाभान्वित हो सके।

बैंकों में सुदृढ़ धोखाधड़ी प्रबंधन

'एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्ज़ामिनर्स' की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग हमेशा से ही धोखाधड़ी का शिकार रहा है। पिछले 02 दशकों के दौरान बैंकिंग की अवधारणा के वैश्विक स्वरूप अख्तियार करने, बैंकिंग लेनदेनों की प्रमात्रा और तरीकों में आए आमूलचूल परिवर्तनों, नित्य नए वित्तीय उत्पादों के लाँच होने, अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों के कई गुणा बढ़ जाने, ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग में हुई अभूतपूर्व वृद्धि आदि के कारण बैंकिग तंत्र में धोखाधड़ी के मामले सुरसा के मुख की तरह बढ़ते जा रहे हैं। 2013-14 में 10170 करोड़ की राशि के मामले सामने आए जबकि मात्र 01 वर्ष के अंदर अर्थात 2014-15 में धोखाधड़ी की यह राशि लगभग 100% बढ़कर 19361 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू गई। इनमें से भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सबसे अधिक नुकसान में रहे - पंजाब नैशनल बैंक को सबसे अधिक यानी 2310 करोड़ रुपये का हुआ, केनरा बैंक ने 2150 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया जबकि हमारे देश में कार्यरत विदेशी और निजी बैंकों में 0% से 10% के हादसे सामने आए। ऐसे में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए धोखाधड़ी प्रबंधन के विषय में कारगर कदम उठाना जरूरी हो गया है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के आज के युग में अति महत्वपूर्ण है कि बैंकर नित-नयी उभर रही चुनौतियों का सामना इतनी कुशलता से करें कि न केवल अपने अस्तित्व को बरकरार रख सकें बल्कि देशी और विदेशी बाज़ारों में अपने पाँव मज़बूती से जमाए रख सकें।

मंजुला वाधवा
सहायक महाप्रबंधक
नाबार्ड, चंडीगढ़

आज सूचना प्रौद्योगिकी के युग में निजी तथा विदेशी बैंक भारतीय बैंकों को कड़ी चुनौती दे रहे है, बैंकिंग जगत में अविनियमन का माहौल है, कड़ी स्पर्धा के चलते बैंक हर दिन नवोन्मेषी उत्पाद बाज़ार में लेकर आ रहे हैं, नये-नये डिलीवरी चैनल अपनाने लगे हैं, बैंक अपना व्यवसाय बढ़ाने और उसमें विविधीकरण लाने की दिशा में प्रयासरत हैं, प्रौद्योगिकी तीव्र गति से बदल रही है, शीर्ष प्रबंध-तंत्र ग्राहक सेवाओं को कार्यकुशल और गुणवत्तापरक बनाने के लिए रात-दिन एक करने में लगे हैं –लिहाजा, उन्हें यह समझ आ चुका है कि नवीनतम तकनीकों के वातायनों से झाँकने में समर्थ बैंक ही ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर अधिकाधिक व्यवसाय जुटा पाएंगे, ज़ाहिर है, नवीनतम तकनीकों से जुड़े जोखिम प्रबंधन हेतु समय रहते समुचित सुरक्षोपाय करना उनकी

प्राथमिकता सूची में ऊपर आ चुका है। सर्वविदित है, जितना बड़ा जोखिम –उतनी अधिक आय और आय बढ़ाने के लिए पुरानी प्रक्रियाएं बदलकर अभिनव और पेशेवर तरीके अपनाना, विशेषकर, बासल- II के प्रावधानों के अनुसार चलना बैंकों के लिए अनिवार्य हो गया है।

आइए, नज़र डालते हैं धोखाधड़ी के उन प्रकारों पर जिनसे हमारा बैंकिंग जगत आजकल जूझ रहा हैः-

- प्रौद्योगिकी संबंधी
- केवाईसी संबंधी
- अग्रिम संबंधी

प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमः-

पिछले 05 वर्षों के आंक़ड़े बताते हैं कि धोखाधड़ी के कुल मामलों का लगभग 65% प्रौद्योगिकी, विशेषकर इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट-कार्ड, प्री-पेड-कार्ड आदि से संबंधित रहे। पिछले कुछ सालों के दौरान समूचे विश्व सहित हमारे देश में साइबर सुरक्षा के कवच को छिन्न-भिन्न करने वाले ऐसे गंभीर मामले उजागर हुए है जिन्होंने रिज़र्व बैंक सहित, सभी बैंकों को हिलाकर रख दिया है। व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, एटीएम उखाड़ लेने, वेबसाइट हैक करने यानी डीडीओएस की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में घटा, एक बड़े सार्वजनिक बैंक के 'स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम' को हैक करके 171 मिलियन की चोरी करने की कोशिश का दुःस्साहसी कदम बैंकर कैसे भूल सकते हैं, शुक्र है कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ और इतना बड़ा हादसा होते-होते बच गया। रैन्समवेयर अटैक, डैबिट कार्ड की घटनाएं, चेक-क्लोनिंग, फिशिंग/विशिंग, एसएमएसशिंग, व्हेलिंग के मामले आए दिन ग्राहकों को डराते और बैंकरों की नींद-चैन हराम करते रहते हैं।

2016 की नोटबंदी में 500/-और 1000/- के नोटों की कानूनी वैधता समाप्त किए जाने के बाद से भारत सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने में लगी है। 'एटीएम-एनेबल्ड आधार कार्ड' हो या 'भीम एप्प' आदि के व्यापक प्रचार-प्रसार से बेशक डिजिटल भुगतान पिछले साल के मुकाबले 271% बढ़ चुके हैं किंतु डिजिटलीकरण की इस प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षा मुद्दों के प्रति जागरूक होने और साइबर सुरक्षा बढ़ाने के पुरज़ोर प्रयास करने भी उतने ही जरूरी हो गए हैं। इसीलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2016 में साइबर सुरक्षा के संबंध में सभी बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए और अपने पर्यवेक्षण विभाग में 'सी-साइट' नाम से एक विशेष कक्ष गठित करते हुए साइबर सुरक्षा के मामले में बैंकों की तैयारी, इसमें कमियों तथा सुधार के उपायों की निगरानी का ज़िम्मा इसे सौंपा। 2017-18 के अंत तक देश के सभी बैंक इस आईटी-जाँच के दायरे में लाए जाने हैं।

अग्रिम संबंधी जालसाज़ी

आंकड़ों की ज़ुबानी, पिछले 05 सालों में, बैंकों में हुए जालसाज़ी के लगभग 64% और अकेले 2016-17 में कुल के 92% मामले अग्रिमों व ऋणों से संबंधित रहे, विशेषकर 01 करोड़ से अधिक राशि के ऋणों में हुई धोखाधड़ी के। निजी और विदेशी बैंकों के मुकाबले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बड़ी राशियों के कन्सोर्शियम-एडवांसिज़ के फ्रॉड जिस तेज़ गति से बढ़े हैं, निश्चय ही चिंताजनक है। रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार ऐसे मामले घटना से 2-6 घंटों के अंदर उन्हें रिपोर्ट किए जाने होते हैं। रिपोर्टिंग के बाद, घटना के –'मूल कारण विश्लेषण' और फॉरेंसिक ऑडिट के निष्कर्ष भी भेजे जाने अपेक्षित हैं जबकि वास्तव में बैंक ऐसे मामले हो जाने पर रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने में ही 12 से 18 माह का समय

लगा देते हैं। परिणामस्वरूप, जालसाज़ों के सीने और चौड़े हो जाते हैं, बचा-खुचा पैसा भी वे इधर-उधर कर डालते हैं और अन्वेषण एजेंसियों की मुश्किल और बढ़ा देते हैं। ऐसी घटनाएं अकसर इसलिए घटती हैं कि ऋण प्रस्तावों की न तो संवीक्षा सही प्रकार से की जाती है, न ही संवितरण के बाद निगरानी, कन्सोर्शियम में भागीदार हर बैंक दूसरे के जिम्मे यह सब छोड़कर लापरवाह हो जाता है, जब वसूली के समय और एनपीए बन जाने के बाद ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं तो सिर धुनने के सिवाय कुछ बाकी नहीं होता।

केवाईसी संबंधी धोखाधड़ी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगातार निदेश दिए जाने के बावजूद, बैंक केवाईसी मानदंडों का पालन करने में ढ़िलाई बरतते हैं – कभी काम के दबाव, तो कभी स्टाफ की कमी के कारण। क्या ही अच्छा हो, ग्राहकों की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एक जगह एकत्र करके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक रूप में एक प्लेटफार्म पर रखा जाए ताकि ऑनलाइन सत्यापन किया जा सके। बहुत से महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे मतदाता पहचानपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं, यदि सम्बद्ध विभागों को सरकार द्वारा इनका रखरखाव ऑनलाइन करने के निदेश जारी किए जाएं तो बैंक खाता खोलते समय ही इन दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं और जालसाज़ी की संभावनाएं घटाई जा सकती हैं।

अब क्रमवार बात करते हैं, उक्त तीनों प्रकार की जालसाज़ियों से बचने के उपायों की सबसे पहले तकनीक की दौड़ के कारण होने वाली जालसाज़ियों से बचाव के उपायों की :-

- जिस प्रकार आज विभिन्न कार्यालयों और बैंकों में कर्मचारियों के कार्य करने के लिए **बायोमैट्रिक व्यवस्था** है, यही व्यवस्था ग्राहकों के हस्ताक्षरों के स्थान पर होनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर जालसाज़ियां जाली हस्ताक्षर को लेकर होती हैं। इससे ऑनलाइन बैंकिंग निगरानी सिस्टम और अधिक मज़बूत होगा।
- बैंकों के एटीएम कक्षों में प्रभावी कैमरे लगवाए जाएं और सभी सीसीटीवी कैमरे ऐसे होने चाहिए जिनमें कार्डधारक की फोटो साफ-साफ आए।
- एटीएम के बाहर सुरक्षा गार्डों की तैनाती अनिवार्यतः की जाए एवं सभी आवश्यक हिदायतों को सूचना पट्ट पर हिंदी-अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा में अवश्य लिखा जाए।
- 'कार्ड नॉट प्रेज़ेंट' वाले लेनदेनों में 02-फैक्टर ऑथेन्टिकेशन, स्ट्रिप-आधारित कार्डों को चिप-आधारित कार्डों में बदलना, डेबिट, क्रेडिट कार्डों में केवल देशीय लेनदेनों की अनुमति देना, विशेष अनुरोध पर एक निश्चित राशि तक के अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों की अनुमति देना, ग्राहकों के साथ समन्वय करके कार्ड-लेनदेनों के पैटर्न पर निगरानी रखना, कार्ड-लेनदेनों के संबंध में एसएमएस एलर्ट बिना चूके भेजना आदि कुछ कारगर कदम हो सकते हैं। चूंकि एनईएफटी और आरटीजीएस 'रियल टाइम' वाले किफ़ायती लेनदेन हैं और इन कारणों से जनता के पसंदीदा भुगतान-अंतरण माध्यम हैं अतः बैंकों के स्तर से कुछ सुरक्षोपाय किए जाने वांछित हैं, जैसे वैल्यू या लाभार्थी सीमा बाँधना, लेनदेन में अतिरिक्त लाभार्थी जोड़े जाने पर एलर्ट भेजना, प्रतिदिन होने वाले लेनदेनों का विलोसिटी चेक, बड़ी राशि के भुगतानों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर शुरू करना, इंटरनेट-प्रोटोकोल चेक, डॉरमेंट खातों में अचानक लेनदेन या ऐसे खातों जिनमें अचानक बड़ी राशि के लेनदेन होने लगें, एलर्ट भेजना आदि।

- ग्राहकों को अख़बार, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमाहॉल, केबल टीवी, एफएम चैनल, सार्वजनिक वाहनों में प्रचार आदि सभी तरीकों से वित्तीय और साइबर दृष्टि से साक्षर करना बेहद जरूरी है कि वे अपने कार्ड संबंधी सूचना किसी से भी साझा न करें। उन्हें साफ तौर पर आगाह किया जाए कि यदि उनके पास रिज़र्व बैंक, बीमा नियामक आदि का फोन आए तो वे तुरंत चौकस हो जाएं कि उन्हें जालसाज़ी का शिकार बनाया जा रहा है क्योंकि ये संस्थान कभी किसी ग्राहक को फोन नहीं करते। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाए कि वे एटीएम में धन निकासी के बाद पर्ची तुरंत फाड़ दें, उसे वहीं फेंकने की गलती न करें। यदि उनका मोबाइल अचानक डी-एक्टिवेट हो जाए तो यह खतरे की घंटी है क्योंकि यह पाया गया है कि वे अपने जरूरी दस्तावेज गलती से, अनजाने में या लालच में आकर जालसाजों को दे देते हैं जो दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल डी-एक्टिवेट करवाकर धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। ऐसे में ग्राहक तुरंत बैंक से संपर्क करके अपना खाता ब्लॉक करवाएं। किसी तृतीय पक्ष के खाते में पैसे जमा करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जाँच अवश्य कर लें।
- बैंकों की शाखाओं ओर केंद्रीय मुख्यालयों में साइबर सेल खोले जाएं जो ग्राहकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें।
- बैंक साइबर अपराधों की जानकारी रिज़र्व बैंक और पुलिस को यथाशीघ्र दें।
- एडवांस्ड एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग पर बल दिया जाए।

यदि बैंक डिलीवरी सिस्टम से जुड़े तकनीक-जोखिमों का प्रबंधन करने में अक्षम रहते हैं तो न केवल ग्राहकों का उनमें बना विश्वास टूटता है बल्कि उनकी ओर से मुकदमेबाजी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, रेगुलेटर यानी रिज़र्व बैंक से भर्त्सना और भारी जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है। अतः ज़रूरी होगा कि बैंक न केवल टैक्नॉलिजी-वेंडरों, अन्य बैंकों, जाँच-एजेंसियों, रिज़र्व बैंक आदि के साथ गहन तालमेल बनाकर रखें अपितु मोबाइल बैंकिंग से होने वाली जालसाज़ियों से बचने के लिए टेलीकॉम सेवा-प्रदाताओं के संपर्क में भी रहें। टेक-रिस्क के प्रबंधन के लिए बैंक बीमा लेने पर भी विचार कर सकते हैं। सर्वोत्तम होगा कि भारत सरकार साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अविभाज्य अंग बना दे।

अग्रिम संबंधी धोखाधड़ी का इलाज क्या ? - उपाय नए न सही पुराने ही, किंतु उनका कार्यान्वयन कड़ाई से करना ज़रूरी है –संपदा के हक-विलेखों की जाँच, उनका लीगल ऑडिट, सभी भागीदार बैंकों के बीच ऋण प्रस्ताव की सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान, लोन पास करते समय साथ जुड़े अन्य प्रौफैशनल्स, सीए, मूल्यांकक, एडवोकेट आदि पर कड़ी नज़र। प्रायः देखा गया है कि बैंकों के उच्च प्रबंध तंत्र के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से हुई ऐसी जालसाज़ियों की छान-बीन में इतने अधिक कार्मिकों को फँसा दिया जाता है कि न केवल छानबीन की प्रक्रिया लंबी खिंचे बल्कि अपने मूल उद्देश्य से भी भटक जाए। अकसर, संवितरण से जुड़े कनिष्ठ अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया जाता है और इतने बड़े ऋण की मंजूरी देने से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों पर आंच न आने देने की कोशिश की जाती है जब तक कि मामला हाई-प्रोफाइल न हो या उसमें व्यक्तिगत दुश्मनी न हो। यदि संवितरण के बाद मामले की निगरानी उच्च प्रबंधतंत्र का काम नहीं समझा जाता तो बेहतर होगा कि वे ऐसे ऋणों की मज़ूरी न करके नीचे डेलीगेट करें। सर्वोत्तम तो यह होगा कि केवल बाह्य जांच एजेंसियों पर निर्भर न रहकर आंतरिक जाँच ईमानदारी

से करते हुए बदनीयत और भ्रष्ट उच्चाधिकारियों की सामूहिक ही नहीं व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय की जाए ताकि नियमों का पालन करते हुए सही ढ़ंग से ऋण पारित करने वाले अधिकारी न डरें और पहले की भांति अपना काम सद्भाव से करते रहें।

सच पूछें तो, उपर्युक्त तीनों प्रकार की जालसाज़ियों के सुदृढ़ प्रबंधन की रामबाण औषधि एक ही है –बैंकों में सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण-तंत्र और उनका प्रभावी कार्यान्वयन। परंतु हां, संबंधित बैंक का धोखाधड़ी के प्रति नज़रिया और वहां की कार्य-संस्कृति भी कम अहम भूमिका नहीं निभाती। तो ये आंतरिक नियंत्रण हैं क्या ? –बैंक के निदेशक मंडल, शीर्ष प्रबंधतंत्र तथा अन्य कार्मिकों द्वारा व्यवहृत वे प्रक्रियाएं जिनसे उस बैंक के व्यावसायिक परिचालन कुशलतापूर्वक निष्पादित हो सकें, दर्शायी गई वित्तीय स्थिति विश्वसनीय हो और निर्धारित नियमों, विनियमों का पालन अवश्य हो। अकसर एक बार नियम कानून, कार्यविधियाँ बना दी तो बनाने वाले निश्चिंत हो जाते हैं। वास्तव में यह तो वह प्रक्रिया है जो सतत गतिशील रहनी आवश्यक होती है। बदलती आर्थिक स्थितियों, कार्यविधियों, नियमों, विनियमों के अनुसार मछली की आँख पर नज़र अगर लगातार गड़ी हो तो न केवल लक्ष्य भेदना आसान होता है अपितु घात लगाए बैठे अन्दरूनी और बाहरी दुश्मन कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचेंगे। इसके अलावा, किसी एक प्रक्रिया को बदलने से बात नहीं बन सकती, लगातार सर्वदृष्टया गहन समीक्षा करने की जरूरत होती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को कारगर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है –बैंक के लेखापरीक्षकों के प्रति स्टाफ के नज़रिए में बदलाव लाना। अक्सर हमारे कर्मचारी अपने ही ऑडिटर्स को बैंक का आंतरिक पुलिस विभाग समझते हैं, यह मानते हुए कि गलतियाँ पकड़ना और सुधारना केवल उन्हीं का काम है, आँखें मूंदे रहते हैं। सच तो यह है कि लेखापरीक्षक धोखाधड़ियों के विरुद्ध हमारी लड़ाई में हमारे सहायक हैं और रहनुमां भी। यदि टीम अप्रोच से चलते हुए आंतरिक नियंत्रण टीम में महत्वपूर्ण विभागों के स्टाफ सदस्य शामिल किए जाएं तो समस्याओं की बेहतर समझ विकसित होगी,आपसी संवाद बढ़ेगा, जवाबदेही बढ़ेगी और धोखाधड़ी के मामले कम होंगे।

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण समूह कैसा हो ?–मेरे विचार में 'टॉप-डाऊन अप्रोच' श्रेयस्कर होगी- सबसे ऊपर लेखापरीक्षा विभाग और उसकी सहायता करने के लिए लेखापरीक्षा समिति। समूची आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी बनाने का एक सशक्त माध्यम है- आपसी संवाद। बहुधा, बैंक में क्या चल रहा है, उच्चाधिकारियों को पता ही नहीं होता अतः सभी विभागों के बीच आपसी संवाद और संप्रेषण को बेहतर बनाने की आवश्यकता है जिसमें पदक्रमानुसार सभी स्तर के अधिकारियों को पहले से ज्ञात हो कि कोई धोखाधड़ी हो जाने पर उनसे किस तरह की भूमिका निभाया जाना अपेक्षित है।

अत्युत्तम होगा कि निदेशक मंडल की सहमति से बैंक का प्रमुख सूचना सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए जो पदक्रम से काफी वरिष्ठ हो और अनुभवी भी, आईटी विशेषज्ञ हो और कोई सुरक्षोपाय ठीक न होने पर उसे हटाने का अधिकार भी उसके पास हो।

हर बैंक में अलग से सुस्पष्ट साइबर सुरक्षा नीति तथा साइबर संकट प्रबंधन योजना बनाई जाए, जिसमें उससे जुड़े हर कार्मिक की स्पष्ट भूमिका का उल्लेख हो ताकि कोई अप्रिय घटना घट जाने पर हर कार्मिक ज़िम्मेदाराना और पेशेवर तरीके से वांछित कदम उठा सके। पुरानी कहावत –इलाज से परहेज़ अच्छा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कई बार देखा जाता है कि कोई नया सिस्टम संस्थापित करते समय बहुत से ज़रूरी

पहलू जैसे पासवर्ड-मैनेजमेंट, पोर्ट-मैनेजमेंट, डिवाइसिज़ का कन्फिगरेशन आदि वेंडरों पर छोड़ दिए जाते हैं। बेहतर होगा, साइबर अटैक का पता लगाने में माहिर प्रोफैशनल तैनात किए जाएं ताकि मर्ज़ लाइलाज होने के कगार तक न पहुंचने पाए।

यहां तक देखा गया है कि शाखा प्रबंधक हादसे की जानकारी देने में ही इतना विलम्ब कर देते हैं कि अपराधियों को अपनी कारगुज़ारी करने के बाद साफ बच निकलने के रास्ते मिल जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि नयी तकनीक तो आ गई पर बैंक स्टाफ को उसका प्रशिक्षण ठीक से नहीं दिया गया या उसे समझने में स्टाफ ने वांछित रुचि नहीं दिखाई। दूसरे बैंक ने नयी टैक्नॉलॉजी लगाई है इसलिए आपने भी लगा ली। ऐसी भेड़चाल से तो लेने के देने पड़ सकते हैं।

यह भी देखने में आ रहा है कि लगभग सभी सार्वजनिक बैंक कम उम्र और अनुभव के स्टाफ की भर्ती एंट्री-लेवल पर कर लेते हैं किंतु उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और एक्सपोज़र देने में असमर्थ रहते हैं। इसके अलावा, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों के बीच तकनीकी जानकारी में भारी अंतराल है। नतीजन, धोखाधड़ी बढ़ने का एक कारण पीपल रिस्क (People Risk) बढ़ना है।

हालांकि, बैंकिंग व्यवसाय का आधार ही आपसी विश्वास है किंतु साइबर सुरक्षा के मामले में 'ज़ीरो-ट्रस्ट पॉलिसी' अपनानी होगी। बैंकों के कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस केवल उन्हीं चुनिंदा स्टाफ को दी जाए जो इनकी पूरी जानकारी रखते हों, प्रशिक्षित हों और जिम्मेदार भी।

रिज़र्व बैंक, नाबार्ड और वाणिज्य बैक आपसी ताल-मेल से अपने स्टाफ और ग्राहकों में साइबर साक्षरता लाना अपने रूटीन का नियमित एजेंडा बना लें तो बेहतर होगा। इज़राइल ने मैट्रिक की कक्षा में साइबर जागरुकता को एक विषय के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया है। हमारे नीति निर्माताओं को भी देर-सवेर इस विषय में चेतना होगा।

एक और बात, आज भी कुछ सहकारी बैंकों में राजनीतिज्ञों का दबदबा इतना अधिक है कि लेखाकार अपने नाम का चेक भी अपने ही हस्ताक्षर से जारी कर लेता है। ऐसे में आवश्यक है कि ड्यूटियां अलग-अलग स्पष्ट रूप से बँटी हों। वित्तीय लेनदेन का काम स्टाफ को रोटेशन से दिया जाता हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक के 06 जुलाई 2017 के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार – यदि बैंक की ओर से सुरक्षा-चूक होने पर ग्राहक को खामियाज़ा भुगतना पड़ता है और वह 03 दिन के अंदर जालसाज़ी की सूचना बैंक को दे देता है तो ग्राहक की ज़िम्मेदारी शून्य और बैंक की सम्पूर्ण होगी।

संक्षेपतः, यदि बैंकों को अपनी नींव सुदृढ़ रखनी है, ग्राहकों का विश्वास बरकरार रखना है, अर्थव्यवस्था को चलाने में अपनी अहम भूमिका सुचारू रूप से निभानी है तो आवश्यक है कि वे अपना कॉरपोरेट गवर्नेन्स सुधारें, दुर्भेद्य आईटी सिस्टम लगाएं, प्रभावी नीतियां और कार्यविधियां बनाएं, मानदंडों का अनुपालन कड़ाई से करें, सर्वोच्च प्रबंध तंत्र न केवल उच्चकोटि की सत्यनिष्ठा के मानक स्थापित करें अपितु वित्तीय अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में कोताही न बरतें, ऐसे जालसाज़ों को आगे से कोई भी बैंक ऋण न दें। सबसे जरूरी बात, बैंकों के सर्वोच्च प्रबंधतंत्र में बैठे लोग अपने दायित्वों के प्रति पूर्णतः सचेष्ट और प्रतिबद्ध रहें।

अंत में एलेन ग्रीनस्पैन के शब्दों में:

'धोखधड़ी, गबन, भ्रष्टाचार हर जगह मौजूद है, खेद है कि मानव जाति की यह स्वभावगत कमज़ोरी है। किसी भी सफल अर्थव्यवस्था को बस इतना जरूर करना चाहिए कि वह इन्हें कम से कम रखे'।

बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

वित्तीय क्षेत्र में सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता और प्रारम्भिक पीसीए प्रावधान:

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के नियामक की भूमिका में भारतीय रिज़र्व बैंक को सदा चौकस रहते हुए यह देखना होता है कि कहीं देश का वित्तीय तंत्र मुश्किल में तो नहीं घिरता जा रहा? और यदि ऐसा है तो उसको इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए कौनसे आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाने अपेक्षित है? इसी भावना से प्रेरित होकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहली बार पीसीए मानदंड 2002 में लागू किए। पीसीए अर्थात 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई'। जैसे ही किसी बैंक की वित्तीय स्थिति के डगमगाने के संकेत मिलते हैं तो भा.रि.बैं. तुरंत पीसीए लागू कर उसको सुधारने के उपाय आरंभ कर देता है। 2002 से लागू पीसीए ढांचे के तहत 3-संकेतकों को आधार बनाया गया था। ये संकेतक थे, पूंजी पर्याप्तता, निवल एनपीए और परिसंपत्तियों पर प्रतिफल। इन संकेतकों के विभिन्न ट्रिगर इस प्रकार से थे (तालिका1):-

दयाराम वर्मा
मुख्य प्रबंधक (संकाय)
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, भोपाल

तालिका:1

	पूंजी पर्याप्तता (CRAR)	निवल एनपीए (NNPA)	परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ROA)
1	6% से < 9%	> 10% to < 15%	< 0.25%
2	3% से < 6%	≥ 15%	
3	< 3%		

किसी बैंक का सी.आर.ए.आर. अनुपात 9% से कम होते ही प्रथम ट्रिगर, 6% से कम होते ही द्वितीय और 3% से भी कम होने पर तृतीय ट्रिगर प्रभावी माना जाता था। दूसरे संकेतक के रूप में, निवल एनपीए के 10% से अधिक होने पर प्रथम और 15% या इससे अधिक होने पर दूसरा ट्रिगर प्रभावी हो जाता था और तीसरा संकेतक 'परिसंपत्तियों पर प्रतिफल' था जो कि 0.25% से कम होने पर प्रभावी था। प्रत्येक ट्रिगर बिन्दु पर दो तरह की कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी- (1) संरचित कार्रवाई, (2) विवेकाधीन क्रियाएँ।

संशोधित पीसीए प्रावधान:

चूंकि 2002 से जारी पीसीए प्रावधान पुराने हो चुके थे और इसी बीच पूंजी पर्याप्तता के बासेल के मानदंडों में भी काफी परिवर्तन आ गया था। अत: इनको नए सिरे से परिभाषित

करने की आवश्यकता थी। तदनुसार भा.रि.बैं. ने अपने परिपत्र संख्या भा.रि.बैं./2016-17/276/डीएसबी.सीओ.पीपीडी.बीसी.संख्या-8/11.01.005/2016-17 दिनांक 13 अप्रैल 2017 को उपरोक्त दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए नए पीसीए दिशानिर्देश जारी किए जो कि दिनांक 01.04.2017 से भारत में संचालित सभी बैंकों (लघु व विदेशी बैंकों सहित) पर समान रूप से लागू हैं।

यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि पीसीए, भारतीय रिज़र्व बैंक का एक पर्यवेक्षी औज़ार है, जिसका उद्देश्य बैंकों के कुछ निष्पादन संकेतकों की शुरुआती चेतावनी अभ्यास के रूप में निगरानी करना है। इन संकेतकों में बैंको के निवल एनपीए एक प्रमुख संकेतक है। भा.रि.बैं. ने इस संबंध में कुछ 'निर्दिष्ट सीमाएं' (Threshold Limits) निर्धारित की है जिनको लांघने पर पीसीए मानदंड प्रभावी हो जाते हैं। इससे बैंको को भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपनी वित्तीय स्थिति को पुन: पटरी पर लाने के लिए एक अवसर मिलता है। यह बैंको को जोखिमपूर्ण गतिविधियों से बचने और पूंजी की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि उनकी बैलेंस शीट मजबूत हो सके।

किसी बैंक को पीसीए के अंतर्गत रखना है या नहीं यह अमुक बैंक के वार्षिक लेखा-परीक्षित (audited) वित्तीय परिणामों के भा.रि.बैं. द्वारा किए गए पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है। तथापि नियामक चाहे तो वर्ष के दौरान बीच में भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किसी बैंक को पीसीए के तहत रख सकता है या पीसीए की दहलीज के स्तर का अंतर-स्थानान्तरण (जैसे 1 से 2 या 3 से 1 आदि) कर सकता है। विस्तार पूर्वक, चार संकेतकों के आधार पर निवर्तमान संशोधित पीसीए प्रावधान इस प्रकार से हैं (तालिका: 2):-

तालिका:2

क्षेत्र	संकेतक	जोखिम निर्दिष्ट सीमा-1	जोखिम निर्दिष्ट सीमा-2	जोखिम निर्दिष्ट सीमा-3
1. न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का उल्लंघन (सीआरएआर या सीईटी-1 अनुपात)	न्यूनतम निर्धारित सीआरएआर (CRAR) + सीसीबी (CCB)	संकेतक से 2.5% तक की कमी	संकेतक से >2.5% -4.0% तक की कमी	----------
	न्यूनतम निर्धारित सीईटी-1(CET-1) + सीसीबी (CCB)	संकेतक से 1.625% तक की कमी	संकेतक से >1.625% -3.125% तक की कमी	## संकेतक से 3.125% से अधिक की कमी
2. परिसंपत्तियों की गुणवत्ता	निवल एनपीए (Net NPA)	≥6.0% परंतु <9.0%	≥9.0% परंतु <12.0%	≥12.0%
3. लाभप्रदता	परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ROA)	लगातार 2 वर्ष तक नकारात्मक परि.पर प्रति. (ROA)	लगातार 3 वर्ष तक नकारात्मक परि.पर प्रति. (ROA)	लगातार 4 वर्ष तक नकारात्मक परि.पर प्रति. (ROA)
4. उत्तोलन (लीवरेज)	टायर-1 लीवरेज अनुपात	≤4.0% लेकिन ≥ 3.5% (लीवरेज, टायर-1 पूंजी के 25% से ज्यादा है)	< 3.5% (लीवरेज, टायर-1 पूंजी के 28.6% से ज्यादा है)	---

पीसीए के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां:

जैसे ही कोई बैंक 'जोखिम दहलीज' के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो भा.रि.बैं., पीसीए के प्रावधान लागू करते हुए निम्नानुसार (तालिका-3) दो प्रकार की कार्रवाई (अनिवार्य और स्वैच्छिक) आरंभ करता है। अनिवार्य कार्रवाई, आवश्यक रूप से प्रभावी की जाती है जबकि स्वैच्छिक प्रावधानों को विभिन्न पहलुओं पर पर्यवेक्षी संवाद करते हुए लागू किया जाता है।

स्वैच्छिक कार्रवाई के अंतर्गत बैंक विशेष के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट सुधारात्मक उपाय इस प्रकार से हैं:-

(1) विशेष पर्यवेक्षी बातचीत: त्रैमासिक या अन्य आवृत्ति पर विशेष पर्यवेक्षी निगरानी बैठकें; विशेष निरीक्षण / बैंक की लक्षित जांच; बैंक का विशेष ऑडिट।

(2) रणनीति संबंधित कार्य: पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत अनुमोदित 'वसूली कार्य योजना' को सक्रिय करना; व्यापार मॉडल की स्थिरता, व्यापारिक लाइनों और गतिविधियों की लाभप्रदता, मध्यम और दीर्घकालिक व्यवहार्यता, बैलेंस शीट अनुमानों आदि के संदर्भ में व्यापार मॉडल की विस्तृत समीक्षा करना; सन्निकट मामलों को सुलझाने पर केंद्रित अल्पकालिक रणनीति की समीक्षा; मध्यम अवधि की व्यावसायिक योजनाओं की समीक्षा, प्राप्त लक्ष्यों की पहचान करना और प्रगति और उपलब्धि के लिए ठोस मील के पत्थर निर्धारित करना; वृद्धि/संकुचन के लिए कार्य क्षेत्र की पहचान करने के लिए सभी व्यवसायिक सीमाओं की समीक्षा करना; उपयुक्त के रूप में व्यवसाय प्रक्रिया की पुनर्रचना और उपयुक्त के रूप में संचालन के पुनर्गठन को शामिल करना आदि।

(3) शासन संबंधी कार्य: भा.रि.बैं. को उचित रूप में माने जाने वाले विभिन्न पहलुओं पर बैंक के बोर्ड के साथ सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहिए; भा.रि.बैं. मालिकों (सरकार /प्रवर्तकों/ विदेशी बैंक शाखाओं के जनक) को नए प्रबंधन/बोर्ड को लाने

तालिका:3

<table>
<tr><th>विनिर्देश</th><th>अनिवार्य कार्रवाई</th><th colspan="2">स्वैच्छिक कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>जोखिम
निर्दिष्ट सीमा-1</td><td>✓ लाभांश वितरण/ लाभ को प्रेषित करने पर रोक,
✓ विदेशी बैंक के संबंध में प्रवर्तक/मालिक/मूल व्यक्ति द्वारा पूंजी का लेकर आना,</td><td colspan="2">निम्न से संबंधित विशेष पर्यवेक्षी संवाद:</td></tr>
<tr><td>जोखिम
निर्दिष्ट सीमा-2</td><td>✓ जोखिम दहलीज-1 में वर्णित सभी अनिवार्य कार्रवाई के अतिरिक्त,
✓ घरेलू या विदेशी शाखा विस्तार पर प्रतिबंध,
✓ कवरेज क्षेत्र (Regime) के अनुसार उच्च प्रावधान,</td><td rowspan="2">✓ रणनीति
✓ प्रशासन
✓ पूंजी
✓ ऋण
✓ जोखिम</td><td rowspan="2">✓ मार्केट जोखिम
✓ एच.आर.
✓ लाभप्रदता
✓ संचालन
✓ कोई दूसरा</td></tr>
<tr><td>जोखिम
निर्दिष्ट सीमा-3</td><td>✓ जोखिम दहलीज-2 में वर्णित सभी अनिवार्य कार्रवाई के अतिरिक्त,
✓ प्रबंधन के मुआवजे और निदेशकों की फीस पर प्रतिबंध, जैसा लागू हो।</td></tr>
</table>

सी.ई.टी.-1 की निर्दिष्ट सीमा-3 के स्तर को पार करने पर बैंक को एकीकरण (amalgamation), पुनर्निर्माण (reconstruction) या समापन (winding up) के लिए उपयुक्त प्रत्यासी माना जाएगा। तथापि, जमाकर्ताओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन न कर पाने की स्थिति में, भा.रि.बैं. द्वारा संभव समाधान प्रक्रिया बिना पीसीए मेट्रिक्स को संदर्भित किए आरंभ किए जा सकते हैं।

के लिए सिफारिश कर सकता है; बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 36-एए के तहत भा.रि.बैं. प्रबंधकीय व्यक्ति को हटा सकता है; इसी अधिनियम की धारा 36-एएसीए के तहत बोर्ड की जगह लेना/ बोर्ड की सिफारिश को लागू करना; भा.रि.बैं. बैंकों से अपेक्षा करता है कि दिये गए धन की वापसी हेतु वे बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के तहत अनुमत अन्य प्रतिबंधों या शर्तों को लागू करें; निदेशकों या प्रबंधन को दिये जाने वाले मुआवजे पर प्रतिबंध।

(4) पूंजी संबंधी कार्य: पूंजी नियोजन की विस्तृत बोर्ड स्तर की समीक्षा; अतिरिक्त पूंजी बढ़ाने के लिए योजनाओं और प्रस्तावों को प्रस्तुत करना; बैंक को प्रतिधारित लाभ (Retained profit) के जरिए कोष (Reserve) को मजबूत करना; सहायक / सहयोगियों में निवेश पर प्रतिबंध; पूंजी के संरक्षण के लिए उच्च जोखिम-भारित संपत्तियों के विस्तार में प्रतिबंध; पूंजी का संरक्षण करने के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के जोखिम में कमी; सहायक कंपनियों और अन्य समूह कंपनियों में बढ़ती हिस्सेदारी पर प्रतिबंध।

(5) ऋण जोखिम से संबंधित कार्य: एनपीए में कमी के लिए समयबद्ध योजना और प्रतिबद्धता की तैयारी; नये एनपीए रोकने के लिए योजना तैयार करना और प्रतिबद्धता; ऋणों की समीक्षा तंत्र को मजबूत बनाना; कुछ रेटिंग ग्रेड के नीचे उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट विस्तार पर प्रतिबंध/कमी; जोखिम परिसंपत्तियों में कमी; बिना रेटिंग के उधारकर्ताओं को ऋण विस्तार पर प्रतिबंध/कमी; प्रतिभूति रहित ऋणों पर रोक; चिह्नित क्षेत्रों, उद्योगों, व्यक्तियों को ऋणों के संकेन्द्रण में कमी; परिसंपतियों की बिक्री; क्षेत्रों की पहचान (भूगोल, उद्योग खंड, उधारकर्ता-वार, आदि) के माध्यम से संपत्ति की वसूली के लिए कार्य योजना और समर्पित वसूली कार्य बल, अदालत आदि।

(6) बाजार जोखिम संबंधित कार्य: अंतर बैंक बाजार से उधार लेने पर प्रतिबंध/कमी; थोक व उच्च दरों वाली जमाराशियों और उनके नवीकरण करने पर प्रतिबंध; व्युत्पन्न (derivatives) गतिविधियों पर प्रतिबंध, डेरिवेटिव जो संपार्श्विक प्रतिस्थापन की अनुमति देते हैं; संपार्श्विक के अतिरिक्त रखरखाव पर प्रतिबंध जो कि प्रतिपक्ष द्वारा किसी भी समय संविदात्मक रूप से मांगा जा सकता है।

(7) मानव संसाधन संबंधित कार्य: कर्मचारियों के विस्तार पर प्रतिबंध; मौजूदा कर्मचारियों की विशेष प्रशिक्षण आवश्यकताओं की समीक्षा।

(8) लाभप्रदता संबंधित कार्य: बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर तकनीकी उन्नयन के अलावा, पूंजीगत व्यय पर प्रतिबंध।

(9) संचालन संबंधित कार्य: शाखा विस्तार योजनाओं पर प्रतिबंध; घरेलू या विदेशी; विदेशी शाखाओं / सहायक कंपनियों / अन्य संस्थाओं में कारोबार में कमी; व्यापार की नई लाइनों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध; गैर-निधि आधारित व्यवसाय में कटौती के जरिये लाभ में कटौती; जोखिम भरा परिसंपत्तियों में कमी; गैर-ऋण परिसंपत्ति निर्माण पर प्रतिबंध; विनिर्दिष्ट के रूप में व्यवसाय करने में प्रतिबंध।

इनके अतिरिक्त बैंक की विशिष्ट परिस्थितियों के संबंध में भा.रि.बैं. द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कोई भी अन्य विशेष कार्रवाई हो सकती है।

पीसीए मानदंडों के विभिन्न संकेतक, बासेल-III और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुपात के संदर्भ में:-

2008 के अमरिका के सब-प्राईम संकट के पश्चात, बैंकिंग जगत में जोखिम को और कम करने के उद्देश्य से बासेल मानकों को अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की गई और दिसंबर 2010 में बासेल कमेटी ने बासेल-III के नए मानदंड जारी किए। तथापि भारत में 01.04.2013 से बासेल-III के मानदंडो को चरणों में लागू किया जा रहा है और 31.03.2019 तक ये पूरी तरह से लागू हो जाएंगे।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात: बासेल III की अनुपालना में, भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशानुसार भारतीय बैंकों का सी.ए.आर. (कैपिटल एडिकेसी रैशियो) या पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी. आर.ए.आर.- कैपिटल टू रिस्क वेटेड एस्सेट्स) मार्च-2019 तक 9% होना चाहिए। इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है-

$$\text{सी.आर.ए.आर.} = \frac{\text{टीयर-I पूंजी + टीयर-II पूंजी}}{\text{जोखिम भारित संपत्तियाँ}}$$

यहाँ टीयर-I पूंजी बैंक की कुल पूंजी (कैपिटल) का मुख्य घटक है और यह प्राय: सामान्य व अधिमान्य (preferential) शेयर और अन्य उच्च तरलता वाले लेख-पत्र के रूप में होती है। टीयर-I पूंजी, बैंक की जोखिम भारित सम्पत्तियों का न्यूनतम 7% होना चाहिए और शेष 2% टीयर-II के रूप में। सारांशत: भारतीय बैंको के लिए बासेल-III मानक निम्नानुसार हैं (तालिका 4):- *(स्रोत-भा.रि.बैं.-बासेल-III के अनुसार पूंजी नियमन 2016)*

तालिका:4

क्रमांक	मापदंड	मार्च-18	मार्च-19
अ	न्यूनतम सीईटी-1 अनुपात	5.50%	5.50%
ब	पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)- सामान्य ईक्विटी के रूप में	1.875%	2.50%
स	कुल (अ+ब)	7.375%	8.00%
द	अतिरिक्त टीयर-I पूंजी	1.50%	1.50%
य	न्यूनतम टीयर-I अनुपात (अ+द)	7.00%	7.00%
र	टीयर-II पूंजी	2.00%	2.00%
ल	कुल न्यूनतम पूंजी अनुपात (य+र)	9.00%	9.00%
व	कुल न्यूनतम पूंजी अनुपात (ब+ल)	10.875%	11.50%

सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों का वर्तमान परिदृश्य:

तालिका-5 में मार्च व जून 17 तिमाहियों के सभी 21 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निवल एनपीए के आंकड़े % में दर्शाये गए हैं।

तालिका:5

मार्च' 2017			जून' 2017		
बैंक का नाम	क्रम	निवल एनपीए %	बैंक का नाम	क्रम	निवल एनपीए %
इण्डियन ओवरसीज बैंक	1	13.99%	आईडीबीआई बैंक	1	15.80%
आईडीबीआई बैंक	2	13.21%	इण्डियन ओवरसीज बैंक	2	14.97%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3	11.76%	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3	12.48%
देना बैंक	4	10.66%	देना बैंक	4	11.22%
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5	10.20%	कॉरपोरेशन बैंक	5	11.14%
यूनाइटेड बैंक	6	10.02%	यूनाइटेड बैंक	6	11.10%
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	7	8.96%	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	7	11.04%
यूको बैंक	8	8.94%	यूको बैंक	8	10.63%
इलाहाबाद बैंक	9	8.92%	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	9	9.56%
कॉरपोरेशन बैंक	10	8.33%	इलाहाबाद बैंक	10	8.96%
पंजाब नेशनल बैंक	11	7.81%	पंजाब नेशनल बैंक	11	8.67%
आंध्रा बैंक	12	7.57%	आंध्रा बैंक	12	8.09%
पंजाब और सिंध बैंक	13	7.51%	पंजाब और सिंध बैंक	13	7.94%
बैंक ऑफ़ इंडिया	14	6.90%	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	14	7.47%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	15	6.57%	बैंक ऑफ़ इंडिया	15	6.70%
केनरा बैंक	16	6.33%	केनरा बैंक	16	6.69%
सिंडीकेट बैंक	17	5.21%	सिंडीकेट बैंक	17	6.27%
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	18	5.19%	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	18	5.97%
बैंक ऑफ बड़ौदा	19	4.72%	विजया बैंक	19	5.24%
इंडियन बैंक	20	4.39%	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	20	5.17%
विजया बैंक	21	4.36%	इंडियन बैंक	21	4.05%

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि 21 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से मात्र 4 बैंक ही ऐसे हैं जिनका निवल एनपीए जून 17 को 6% (पीसीए-जोखिम दहलीज-I) से कम है और शेष 17 बैंकों का निवल एनपीए (6% या अधिक) को पार कर चुका है। जबकि मार्च 17 में ऐसे 16 बैंक थे। जून 17 में 9 बैंक पीसीए-जोखिम दहलीज-II (निवल एनपीए 9% या अधिक) के स्तर को पार कर चुके हैं जिनमें से सात पर पीसीए प्रावधान लागू हो चुके हैं, इनको उपरोक्त तालिका में गहरे अक्षरो में रेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब और सिंध बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ

इंडिया का जून 17 तिमाही का निवल एनपीए पिछली तिमाही से अधिक हो गया है। तथापि इन सबके विपरीत अपेक्षाकृत बड़े आकार के बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई (सहायक बैंकों के विलय के पश्चात) अपनी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का प्रतिशत 6% से कम रखने में सफल रहे हैं जो कि थोड़ा राहत का विषय है।

अभी तक जिन 7 सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर पीसीए लागू किया गया है उसका मुख्य कारण उनके निवल एनपीए की अधिकता व ऋणात्मक लाभप्रदता रही है। ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इस श्रेणी में सातवाँ बैंक है। तालिका-6 में इन सभी बैंकों के पीसीए प्रावधान लागू होने के दिनांक और कारण दर्शाये गए हैं।

स्थिति की गंभीरता

चूंकि जून 17 के गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के आंकड़ों के अनुसार किसी भी निजी क्षेत्र के बैंक का निवल एनपीए 10% या अधिक नहीं था। अतएव निजी क्षेत्र अभी तक पीसीए-II की परिधि से बाहर है। लेकिन हाल ही में (अक्तूबर 17) भा.रि. बैं. ने अपनी 'जोखिम आधारित वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट' के आधार पर एक्सिस बैंक के रु. 5632 करोड़ राशि के 9 बड़े खातों को एनपीए घोषित किया है, इनमें से 8 खाते संघीय (consortium) खाते हैं। यद्यपि इसके बावजूद एक्सिस बैंक, अधिक प्रावधान के सहारे, अपने सितंबर-17 तिमाही के निवल एनपीए का स्तर 5.9% रख पाने में सफल रहा है। लेकिन इन 8 संघीय खातों के कारण अन्य बैंकों के संबंधित खाते

तालिका-6

क्रमांक	बैंक	प्रभावी दिनांक	संकेतक
1	इण्डियन ओवरसीज बैंक	05.10.2015	ऋणात्मक 'परि.पर प्रतिफल' (बढ़े हुए एनपीए और नकारात्मक 'परि.पर प्रतिफल' के कारण बैंक अभी भी पीसीए के अंतर्गत है)
2	यूको बैंक	05.05.2017	31.03.2017 को निवल एनपीए 8.94% और ऋणात्मक 'परि.पर प्रतिफल' (-1.25%) (परि.पर प्रतिफल)
3	आई.डी.बी.आई. बैंक	05.05.2017	31.12.2016 को निवल एनपीए 9.61% और ऋणात्मक 'परि.पर प्रतिफल' (-2.32%)
4	देना बैंक	02.06.2017	31.03.2017 को निवल एनपीए 10.66% और ऋणात्मक 'परि.पर प्रतिफल' (-0.67%)
5	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	13.06.2017	31.03.2017 को निवल एनपीए 10.20% और ऋणात्मक 'परि.पर प्रतिफल' (-0.80%)
6	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	15.06.2017	31.03.2017 को निवल एनपीए 11.76% और ऋणात्मक 'परि.पर प्रतिफल' (-1.09%)
7	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	07.10.2017	30.06.2017 को निवल एनपीए 9.56% और ऋणात्मक 'परि.पर प्रतिफल' (-0.77%)

भी एनपीए वर्गीकृत होने की संभावना होने के कारण बैंकिंग उद्योग में इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (सितंबर-2017) में लगभग 42000 करोड़ नए एनपीए जुडने की गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है *(स्रोत:- लाईव-मिंट 22.10.2017)*।

रेटिंग एजेंसी इक्रा के एक अनुमान के अनुसार मार्च 2018 तक बैंकों का कुल एनपीए 8.8 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ और सकल एनपीए का प्रतिशत 10% तक पहुँच सकता है। भा.रि.बैं. की जून 2017 में प्रकाशित 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' के अनुसार 'अभी अत्यधिक बुरा समय' आना शेष है और सकल एनपीए का अनुपात मार्च 2017 के 9.6% से बढ़कर मार्च 2018 तक 10.2% होने की संभावना है।

तालिका 7 में वर्ष 2009 से 2016 तक के राष्ट्रीयकृत बैंकों की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, सकल व निवल एनपीए और सीआरएआर के आंकड़े दर्शाये गए हैं। इनके अवलोकन से स्पष्ट है कि सीआरएआर में वर्ष 2012 के बाद लगातार कमी हो रही है (2016 को छोड़कर); सकल व निवल एनपीए लगातार बढ़े हैं जबकि वर्ष 2015 से 2016 में अप्रत्याशिक रूप से लगभग दुगुने हो गए। परिसंपत्तियों पर प्रतिफल भी 2011 के बाद लगातार गिरता हुआ 2016 में ऋणात्मक हो गया।

संभावनाएं और आगे की राह:

नि:संदेह भारतीय बैंकिंग उद्योग एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। इससे उबरने के लिए बैंकों को अपने सभी प्रकार के कार्यकलापों का समेकन करना होगा। पीसीए ढांचा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं अपितु भा.रि.बैं. की एक सुधारात्मक कार्रवाई है। इसके अंतर्गत भा.रि.बैं. द्वारा की जाने वाली अनिवार्य कार्रवाई के साथ-साथ बैंकों को अपनी रणनीति, प्रशासन, पूंजी, ऋण, जोखिम, मार्केट जोखिम, मानव संसाधन, लाभप्रदता और संचालन आदि सभी क्षेत्रों की वर्तमान नीतियों की पुनर्समीक्षा कर पीसीए के स्वैच्छिक प्रावधानों की रोशनी में इनको सुदृढ़ और सुसंगत बनाना होगा।

तालिका 7

वर्ष	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
सीआरएआर *	13.13%	13.26%	13.37%	12.98%	12.15%	11.12%	11.29%	11.60%
सकल एनपीए **	2.0%	2.2%	2.4%	3.3%	3.6%	4.4%	5.0%	9.3%
निवल एनपीए **	0.9%	1.1%	1.2%	1.5%	2.0%	2.6%	2.9%	5.7%
परि. पर प्रति.***	0.98%	0.98%	0.98%	0.85%	0.73%	0.41%	0.46%	-0.20%

स्रोत: सीआरएआर वर्ष 2009 से 2014, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया –डाटा वेयरहाउस, इसमें भारतीय महिला बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के आंकड़े शामिल नहीं हैं। आंकड़े वर्ष 2016-'India's Leading BFSI Companies 2017'-Dun & Bradstreet;*

*स्रोत-सकल व निवल एनपीए** आंकड़े रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया –डाटा वेयरहाउस*

स्रोत-परि. पर प्रति.*** आंकड़े वर्ष *2009 से 2014, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया –डाटा वेयरहाउस, इसमें भारतीय महिला बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के आंकड़े शामिल नहीं हैं।, स्रोत: आंकड़े 2015 से 2016- बैंकों का रूझान-भा.रि.बैं.-2015-16 (सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आंकड़े)}*

एनपीए का बड़ा भाग, निगमित एनपीए होने के कारण उसकी वसूली खुदरा, कृषि व लघु, सूक्ष्म व मध्यम उपक्रमों के एनपीए की तुलना में न केवल जटिल है बल्कि अनिश्चित और लंबी प्रकिया भी है। बैंकों को वसूली के लिए सभी संभव कानूनी उपायों, एकमुश्त समझौता, पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण, चुनिन्दा एनपीए को 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों' (एआरसी) को बिक्री आदि उपायों का प्रकरण दर प्रकरण सहारा लेना होगा। तथापि यह भी कटु सत्य है कि निगमित ऋणों के मामले में बैंकों को लंबी वसूली प्रक्रिया के पश्चात भी बकाया राशि का एक छोटा हिस्सा ही मिल पाता है। वसूली के लिए ऋणी से लगातार संपर्क और संवाद की निरंतरता अति आवश्यक है और यह तभी संभव है जबकि प्रत्येक कर्मचारी मनोयोग से इस अभियान से जुड़े। इस हेतु प्रबंधन को अपने कर्मचारियों को प्रत्येक चूककर्ता से सतत संपर्क रखते हुए वसूली हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित करना होगा।

उपरोक्त सभी उपायों के समानान्तर, बैंकों को सभी प्रकार के परिचालनात्मक खर्चों में यथासंभव कटौती, फिजूलखर्ची पर रोक, तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली के विशेष अभियान, नए होने जा रहे एनपीए को कड़ाई से रोकने के प्रयास, भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कम जोखिम वाले ऋणों का संवितरण और अतिरिक्त पूंजी का प्रबंधन आदि हर छोटे-बड़े पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए कम लागत की जमाओं (कासा) में वृद्धि और गैर-निधि आधारित व्यवसाय, तृतीय पक्ष व्यवसाय आदि में वृद्धि जैसी रणनीति भी कुछ योगदान कर सकती है। हाल ही में 24 अक्तूबर, 2017 को भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में अगले दो साल में 2.11 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने की घोषणा की है। इसमें से 1.35 लाख करोड़ रुपये बॉन्ड के जरिए जुटाये जाएंगे और शेष 0.76 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय बजट से दिये जाएंगे। 0.76 लाख करोड़ की राशि केंद्र द्वारा पूर्व में इंद्रधनुष के अंतर्गत घोषित की गई, 0.70 लाख करोड़ की पूंजी की शेष अवितरित राशि 0.18 लाख करोड़ को मिलाकर है। इंद्रधनुष के तहत 2015-16 में 0.25 लाख करोड़, 2016-17 में 0.25 लाख करोड़ और 2017-18 व 2018-19 में 0.10 लाख करोड़ प्रति वर्ष पूंजी प्रदान करने का प्रावधान है। आने वाले समय में बैंकों के लिए सरकार की ओर से और अधिक सुधार किए जाने अपेक्षित है।

जहां बैंक मुश्किल वाले दौर से गुजर रहे हैं वहीं हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ संकेतक थोड़ी राहत भरे प्रतीत होते हैं। जैसे कि मुद्रा स्फीति लगातार 2014 से कम होती जा रही है और इस वित्त वर्ष (2017-18) में इसके 4% के अंदर रहने की संभावना है। साथ ही इसी अवधि में चालू खाते का घाटा 2% से कम व राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.2% के लक्ष्य के दायरे में रहने की संभावना है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 400 अरब डालर से अधिक है। संकट का समय, एक ओर जहां चुनौतियाँ खड़ी करता है वहीं ऐसे समय में नवोन्मेषी विचार, नए रास्तों का सृजन भी करते हैं और सरकार, प्रबंधन और कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयासों से देर-सवेर भारतीय बैंकिंग तंत्र वर्तमान कठिन समय से अवश्य ही बाहर निकल आएगा।

विमुद्रीकरण और कैशलेस इंडिया

भारत देश को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए बहुत सी व्यवस्थाओं को देश के कोने-कोने तक समान रूप से पहुंचाना होगा, जिसके लिए हमको अपनी कुछ पुरानी आदतों को बदलना होगा। पूरी दुनिया जब नकदी रहित समाज की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है तो भारत देश को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस व्यवस्था से शुरुआत में कुछ कठिनाई तो हो सकती है लेकिन एक बार नकदी रहित लेनदेन की आदत पड़ गई फिर यह व्यवस्था सरल हो जाएगी। भारत में अब विमुद्रीकरण के बाद का नया दौर शुरू हो गया है और अधिकांश भारतीयों ने डिजिटल पेमेंट की तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया है जिसका जीता जागता प्रमाण लकी ग्राहक योजना के विजेताओं की बढ़ती हुई सूची है। तकनीक आधारित डिजिटल भुगतान की प्रणाली अर्थव्यवस्था में लागत की प्रगतिशीलता और मौद्रिक लेनदेन के लचीलेपन व सुगमता के साथ साथ पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अनिल कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक एवं संकाय
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, लखनऊ

क्या है विमुद्रीकरण

जब किसी देश की सरकार किसी पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है तो इसे विमुद्रीकरण (डीमोनेटाइजेशन) कहते हैं। विमुद्रीकरण के बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती है और उससे किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं किया जा सकता है। सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा बंद किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उनकी जगह नए नोट लेने के लिए समय सीमा तय कर दी जाती है ताकि जिन लोगों के पास पुराने नोट हों उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जैसा कि गत वर्ष नवंबर 2016 में किया गया, लोगों को पुराने नोट बदलने व अपने खाते में जमा करने के लिए नोटबंदी के दिन से 50 दिनों का पर्याप्त समय दिया गया।

विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल इंडिया

विमुद्रीकरण का साहसिक फैसला देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने की ओर उठाया गया एक स्वागतयोग्य कदम है जो राष्ट्र के अर्थायाम को नई दिशा देगा। उम्मीद है कि लोगों को जाली नोटों की परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा, ई-कामर्स को बढ़ावा मिलेगा, टैक्स चोरी को रोकना सरल होगा, बैंकिंग, कर व्यवसाय और निगरानी की आधुनिक व्यवस्था होगी जिससे अपराध और आतंकवाद की फंडिंग लगभग असंभव हो जायेगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का विशेष स्थान होता है। बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इसे न तो कमजोर होना चाहिए और न ही कमजोर दिखना

चाहिए। डिजिटल होना और डिजिटल व्यवस्था को समय के साथ समाहित करना ही सफल होने का मार्ग है। यह बैंक के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस माध्यम से लेन-देन में बहुत कम खर्च आता है। यह कागज़ के बिना बैंकिंग की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। बैंक कर्मचारी इस बारे मे जागरूकता फैलाने मे भरपूर योगदान दे रहे हैं।

डिजिटल इंडिया ने बनाया कैशलेस इंडिया

हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि एक जमाना था जब सिक्के और नोट नहीं थे, आदान प्रदान का प्रचलन हुआ करता था। आपको अगर सब्जी चाहिए थी तो बदले में इतने गेहूं दे दो, आपको नमक चाहिए तो बदले में इतनी सब्जी दे दो। आदान-प्रदान से ही कारोबार चलता था। धीरे-धीरे मुद्रा का चलन आरंभ हुआ, उसके पश्चात सिक्के आए और नोट छपने लगे। लेकिन वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी आधारित नकदी रहित व्यवस्था द्वारा हम धन प्रेषित कर सकते हैं, धन मांगने का अनुरोध कर सकते हैं, वस्तु की खरीद कर सकते हैं, बिल भी चुका सकते हैं। इस प्रकार के लेनदेन में कभी ज़ेब कटने का तो सवाल ही नहीं उठेगा।

प्रधानमंत्री ने मई 2016 में अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में लोगों से नकदी-रहित लेनदेन को अपनाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ''यदि हम नकदी-रहित लेनदेन करना सीख लेते हैं और उसके अनुकूल बन जाते हैं तो हमें नोटों की जरूरत नहीं होगी। व्यवसाय स्वचालित हो जाएंगे जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता आएगी। गलत तरीके से लेनदेन बंद हो जाएगा जिससे कालेधन का प्रभाव कम होगा। इसलिए मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि हमें कम से कम शुरूआत तो करनी ही चाहिए। एक बार हमने शुरू किया तो हम बहुत आसानी से आगे बढ़ते जाएंगे। बीस साल पहले किसने सोचा होगा कि हमारे हाथों में इतने सारे मोबाइल होंगे। धीरे-धीरे हमने आदत डाली और अब हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। शायद यह नकदी रहित समाज भी ऐसा ही बन जाए। यह जितनी जल्दी होगा, उतना ही देश बेहतर होगा।''

सरकार ने नकदी या कैशलेस होने के बहुत से फायदे पहले भी बताए और विमुद्रीकरण के बाद कैशलेस होने की प्रक्रिया में गति आ गई है। विमुद्रीकरण से काले धन पर अंकुश लगने की पूरी संभावनाएं भी हैं। कैशलेस होने से अर्थव्यवस्था में तेजी तो आएंगी, परंतु उस तेजी के लिए भारत को बहुत इंतजार करना है, कैशलेस होने के लिए बहुत सी समस्याएँ भी हैं, उनसे भी निपटना होगा और हर उस वर्ग को साथ लेकर चलना होगा जो केवल कैश पर ही भरोसा करता है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर चलाये जाने की आवश्यकता है। इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक शाखा व सरकारी तंत्र को डिजिटल माध्यमों का प्रचार प्रसार करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं।

वित्तीय जागरूकता ही नकदी रहित समाज/कैशलेस इंडिया का आधार

वित्तीय जागरूकता ही नकदी रहित समाज का आधार है। विमुद्रीकरण से बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ जाएगी और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बैंकों की साख सृजन की क्षमता में वृद्धि होकर सामान्य जन में बैंकिंग आदत का विकास होगा जो देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। विमुद्रीकरण का कदम, देश में आर्थिक असमानता समाप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सरकार की कैशलेस योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय जागरूकता अहम् भूमिका निभाकर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेगी।

इस कड़ी में विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों में डिजिटल जागरूकता कार्यशाला आयोजित की जाने लगी हैं। पूर्व में हम देख चुके हैं कि बैंकों ने वित्तीय समावेशन में शत-प्रतिशत समावेशन का सफल कार्य किया है। इस बार चुनौती सरल नहीं है, अब न केवल बैंक को डिजिटल बैंकिंग उत्पादों का प्रचार-प्रसार करना है अपितु ग्राहकों में यह विश्वास भी जगाना है कि नकदी रहित बैंकिंग माध्यम परंपरागत बैंकिंग माध्यम से सरल, सहज, समय की बचत वाला, ब्याज बचाने वाला, न्यूनतम जोखिम वाला है।

विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल बैंकिंग उत्पाद जो नकदी रहित समाज की रचना के लिए जारी किए गए हैं – "बैंकिंग कहीं भी कभी भी" की परिकल्पना

- **मोबाइल वालेट :** इसमें फ़ंड ट्रान्सफर, रीचार्ज, वालेट में पैसे का भरा जाना, ऑनलाइन खरीदी आदि की सुविधा उपलब्ध है।
- **भीम-यूपीआई :** यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस का नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) तेजी से विस्तार कर रहा है। यूपीआई की मदद से एक से ज्यादा बैंक एकाउंट को एक साथ परिचालित किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें किसी भी बैंक एकाउंट में पेमेंट करने के लिए एकाउंट नंबर की जरूरत नहीं होगी। भीम भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है जो कि यूपीआई का ही एक रूप है।
- **पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन :** पुरानी मुद्रा बंद होने के बाद से अब पर्स में कैश नहीं लोग केवल प्लास्टिक कार्ड ही रखेंगे तथा रेडीमेड शोरूम से लेकर जनरल स्टोर तक कार्ड से खरीदी कर सकेंगे।
- **एटीएम या डेबिट कार्ड- रुपे कार्ड :** एटीएम मशीन में बैंक के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बैंकिंग लेनदेन के लिए किया जा सकता है। ऑनलाइन खरीदी और अन्य बैंकिंग सेवाओं जैसे फण्ड ट्रान्सफर, चेक रिक्वेस्ट, मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण, टैक्स जमा, धन जमा व निकासी की सुविधा एटीएम कार्ड द्वारा ली जा सकती है।
- **मोबाइल बैंकिंग :** इसके द्वारा फण्ड ट्रान्सफर, बैलेंस जानकारी, मिनी स्टेटमेंट, रिचार्ज, पीपीएफ खाते में धन प्रेषण, बिल जमा, बीमा पॉलिसी प्रीमियम जमा, चेक बुक आग्रह, आधार नंबर जोड़ना आदि सुविधाएँ ली जा सकती हैं।
- **मोबाइल पासबुक :** पंजीकृत मोबाइल नंबर वाले खातों की जानकारी एक समय में कई भाषाओं में ली जा सकती है।
- ***99# एनयूयूपी :** *99# जो बेसिक फ़ोन में काम करेगा। इसके द्वारा फण्ड ट्रान्सफर, बैलेंस जानकारी, मिनी स्टेटमेंट आदि सुविधाएँ ली जा सकती हैं इसमें किसी भी प्रकार के महंगे मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं होती है, इंटरनेट हेतु कनैक्शन की ज़रूरत नहीं है, कम लेनदेन की सीमा के कारण जोखिम भी न्यून है। यह काफी सरल और आसान है।
- **आधार समर्थ भुगतान प्रणाली :** यह एक अंतरकार्यकारी प्रणाली है जिसमें कोई भी ग्राहक व्यावसायिक प्रतिनिधि केंद्र से, जिसके बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर दर्ज़ है, चाहे वह हमारी बैंक का हो या किसी अन्य बैंक का, बैंकिंग सेवाओं जैसे नकद जमा, धन निकासी, बैलेन्स पूछताछ एवं धन अंतरण (आधार से आधार) का लाभ प्राप्त कर सकता है।

- **एम-वीसा और भारत-क्यूआर कोड :** मोबाइल बैंकिंग व क्यूआर कोड आधारित बैंकिंग अब प्रचलित हो रही है क्योंकि इस प्रकार के भुगतान त्वरित और आसान हैं। एम-वीसा और भारत-क्यूआर कोड माध्यम में व्यापारी या किसी व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मात्र कोड को स्कैन किया जाता है और भुगतान कर दिया जाता है। एम-वीसा और भारत-क्यूआर कोड माध्यमों में बस ज़रा सा फर्क है, एम-वीसा में भुगतान के लिए केवल वीसा कार्ड का ही प्रयोग किया जा सकता है किन्तु भारत-क्यूआर में वीसा, मास्टर और रूपे किसी भी कार्ड से भुगतान संभव है। विभिन्न कंपनियों के द्वारा एम-वीसा और भारत-क्यूआर कोड माध्यमों से भुगतान प्राप्त करने पर कुछ प्रोत्साहन राशि की योजना भी समय समय पर दी जाती है।

विमुद्रीकरण के संभावित प्रभाव

बैंकों की लाभप्रदता पर विमुद्रीकरण का असर

ई- बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, कार्ड बैंकिंग ई-लॉबी आदि सूचना प्रोद्यौगिकी पर आधारित वैकल्पिक वितरण चैनल्स के ही विभिन्न रूप हैं, जहां ग्राहकों के लेन-देन, नकद जमा-निकासी, उनकी जमाराशियां, ऋण खातों में जमा करने योग्य धनराशियां व बैंक के आय-व्यय सहित सभी जानकारियां कंप्यूटर, मोबाइल या ई-लॉबी केंद्र के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती हैं। सभी बैंक आज अपने ग्राहकों को वैकल्पिक वितरण चैनल्स की सुविधा प्रदान करा रहे हैं ताकि उनके नेटवर्क व सेवाओं का दायरा बढ़ सके। बैंकिंग अब किसी एक शाखा तक ही सिमट कर नहीं रह गई है, जिसमें किसी व्यक्ति को नकद जमा करने या निकालने या बैंक स्टेटमेंट के लिए किसी की मदद लेनी पड़े। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी व्यक्ति घर, कार्यालय या कहीं से भी किसी भी समय बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट पर बैंकिंग संबंधी मिलनेवाली एक सुविधा है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर, मोबाइल, ई-लॉबी अथवा एटीएम के द्वारा ग्राहक बैंकों के नेटवर्क और उसकी वेबसाइट पर अपनी पहुंच बना सकता है और घर बैठे ही खरीददारी, पैसे के अंतरण के अलावा अन्य तमाम कार्यों को करने और जानकारी के लिए बैंकों से मिलने वाली तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। यह बैंक के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस माध्यम से लेन-देन में बहुत कम खर्च आता है। बैंक कर्मचारी इस बारे में जागरूकता फैलाने मे भरपूर योगदान दे रहे हैं। यदि लेन-देन वैकल्पिक वितरण चैनल्स से किया जाएगा तो लागत, समय और पर्यावरण सभी की बचत होगी।

काले धन पर शिकंजा

काला धन दशकों से देश के लिए एक समस्या बना हुआ है। सरल भाषा में परिभाषित किया जाय तो आपराधिक कृत्यों के जरिये अर्जित धन और उस धन, जिसके स्रोत को छुपा कर उस पर कर की गई हो, को काले धन की श्रेणी में रखा जाता है। हमारे देश में ऐसे वित्तीय संव्यवहारों की संख्या बहुत है, जिनमें इस प्रकार के धन का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए रियल इस्टेट के सौदों को ले लें, इनमें काले धन का उपयोग होना सामान्य बात है। अधिकतर सौदों में इसकी सही राशि नहीं बताई जाती है, सौदा अधिक मूल्य पर होता है लेकिन कम मूल्य पर दर्शाया जाता है ताकि सरकार को देय राजस्व से बचा जा सके। लोग अघोषित आय या छुपाई गई आय का उपयोग ऐसी संपत्ति खरीदने में करते हैं। यहाँ उच्च मूल्य संवर्ग के नोटों का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। विमुद्रीकरण के बाद इस क्षेत्र की कीमतों में कमी आने की

संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि कालेधन की समग्र राशि बैंकों में आ जाती है तो भविष्य में आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों में कमी आने से आम नागरिकों को लाभ होगा जिसके संकेत वित्त मंत्री दे चुके हैं।

नकली नोट पर चोट

नकली नोट जिस गति से पकड़े जाते हैं उससे दुगुनी गति से बाज़ार में आ जाते हैं। इस प्रकार से नोटों का व्यवसाय आपराधिक तत्व तो करते ही हैं अपितु कुछ पड़ोसी देशों के द्वारा षड्यंत्र के तहत भी हमारे देश में नकली नोट भेजने की कोशिश की जाती रही है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अपने स्थान से विस्थापित करना है। विमुद्रीकरण से जाली मुद्रा का खात्मा होगा और पड़ोसी देश में नकली नोटों की बड़ी खेप जो भारत आने के लिए तैयार थी वह मूल्यहीन हो जाएगी। एक कथन है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नकली नोट पर काबू पाने और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है विमुद्रीकरण।

आतंकी गतिविधियों पर लगाम

कोई भी आतंकवादी गतिविधि को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और यह धन सामान्यतः गैरकानूनी स्रोतों से एकत्रित किया हुआ होता है। भारत को आतंकवाद का खतरा देश के भीतर और बाहर दोनों जगहों से है। आतंकी संगठनों को यदि धन मिलना बंद हो जाए तो उनके लिए हथियार खरीदना, कैंप चलाना इत्यादि लगभग असंभव हो जाएगा जिससे आतंकवादी गतिविधियों में निश्चित रूप से कमी आएगी। आतंकी संगठनो के लिए खुले में आकर उनके पास मौजूद प्रतिबंधित नकदी को वैध मुद्रा में बदलना निहायत मुश्किल है। आतंकवादियों की कमर टूट गई है। श्रीनगर में पत्थर फेंकने वाले गायब हो गए हैं। स्कूल और बाज़ार को जलाने वाली घटनाएँ बंद हो गई हैं। इसलिए विमुद्रीकरण को आतंकी घटनाओं का अवरोधक के रूप में देखना यथोचित होगा।

भ्रष्टाचारियों को संदेश

विमुद्रीकरण से ड्रग माफिया, हवाला कारोबारी और देश के भीतर अंदर छिपे देश के भ्रष्टाचारियों द्वारा संग्रहित अकुत सम्पदा मिट्टी में बदल गई है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और यह कदम देश के आर्थिक विकास में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करेगा जिससे आर्थिक विकास दर में काफी वृद्धि आएगी। इससे भ्रष्टाचारियों व कालाबाजारी करने वालों में यह संदेश जाएगा कि भारत में उनका अब काम बनने वाला नहीं है और वे गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर आएंगे। अंततः राष्ट्र कि छवि निखरेगी और साथ ही साथ अनुकूल आर्थिक वातावरण का निर्माण होगा। विदेशी निवेश में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

भारत विमुद्रीकरण के पश्चात तीव्र गति से नकद-आधारित समाज से नकदी-रहित समाज की ओर बढ़ रहा है। यह हमारे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है जब हमारा देश पुरानी आदतों को छोड़ रहा है और नए माध्यमों को तीव्र गति से अपना रहा है, जो वास्तविक रूप में आधुनिक युग में प्रवेश दिलाएगा। कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के बाद हम भी अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों की कतार में आ जाएंगे। ये इतनी जल्दी संभव नहीं है, इसके लिए हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धीरे-धीरे ही सही हमें इसका लाभ दिखाई देने लगा है। हमारी विकासशील कही जाने वाली अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में भी इस विमुद्रीकरण की अहम भूमिका होगी। यही संभावना नज़र आ रही है कि वह दिन दूर नहीं जब विमुद्रीकरण भारत की भावी अर्थव्यवस्था के लिए वरदान सिद्ध होगा।

भविष्य की मुद्रा – कूटमुद्रा (Cryptocurrency)

मुद्रा के आविष्कार से पूर्व वस्तु-विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। लेकिन, इसकी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ऐसी वस्तुओं की तलाश की जाने लगी जो सभी प्रकार के विनिमय के लिए मानक का काम कर सके। भुगतान के सुगम माध्यम के रूप में कौड़ियों, शंखों, सीपियों तथा कीमती पत्थरों आदि के प्रयोग से गुजरते हुए धातुओं के सिक्कों तक की यात्रा का अपना एक अलग इतिहास है। यह तलाश कागज की मुद्रा पर आकर रुकी। एक लंबे समय तक कागज की मुद्रा ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। पर, बैंकिंग प्रणाली के विकास के साथ-साथ नकदी के अलावा भुगतान के नए-नए तरीके भी विकसित हुए जिन्होंने भुगतान के लिए नकदी की जरूरत को सीमित कर दिया। इनमें शामिल हैं – चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल, डाक अंतरण, तार अंतरण, भुगतान आदेश, लाभांश या ब्याज वारंट, यात्री चेक, बैंकर चेक आदि।

डॉ. रमाकांत शर्मा
महाप्रबंधक (सेवा निवृत्त)
भारतीय रिज़र्व बैंक

सूचना प्रौद्योगिकी और भुगतान के नए तरीके

बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रवेश के बाद भुगतान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने जहां इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधि अंतरण की सुविधा उपलब्ध कराई, वहीं क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड आदि के जरिए भुगतान के लिए नकदी की जरूरत को लगभग समाप्त कर दिया।

भुगतान के लिए मुद्रा की आवश्यकता पर नज़र डालें तो यह अब भी उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भुगतान का तरीका कोई भी हो उसके पीछे वैध मुद्रा का बल मौजूद रहता है। लेकिन, मुद्रा का रूप समय के साथ-साथ लगातार बदला है। आज हम कूटमुद्रा की बात करने लगे हैं। बात ही नहीं कर रहे हैं, इसका धड़ल्ले से प्रयोग भी हो रहा है। मुद्रा का यह गैर-परंपरागत रूप सचमुच चौंकाने वाला है और भविष्य के वैश्विक अर्थतंत्र को प्रभावित करने वाला है। आइये, मुद्रा के इस सर्वथा नए रूप पर हम एक विहंगम दृष्टि डालें।

क्या है कूटमुद्रा

कूटमुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसी अंकीय या कल्पित (डिजिटल या वर्च्युअल) मुद्रा है जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से कूटलेखन का प्रयोग किया जाता है। इस सुरक्षा विशेषता के कारण इसकी नकल करना बहुत मुश्किल होता है। इसे किसी केंद्रीय प्राधिकारी जैसे रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता, अत: इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। इसे निम्नानुसार परिभाषित

किया जा सकता है –

"यह ऐसी अंकीय मुद्रा है जिसमें मुद्रा की इकाइयां उत्पन्न करने को विनियमित करने के लिए तथा निधियों के अंतरण के सत्यापन के लिए कूटरचित तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसे केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना परिचालित किया जाता है।"

इसे सार रूप में निम्नानुसार निरूपित किया जा सकता है-

- कूटमुद्रा अंकीय या कल्पित मुद्रा है, जिसे कूट (कोड) देकर सृजित किया जाता है और इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में ठीक उसी प्रकार किया जाता है जैसे किसी भी देश की मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है।

- कूटमुद्रा आंकड़ों या आधार-सामग्री की एक ऐसी कूटरचित संरचना है जो मुद्रा की एक इकाई को दर्शाने का काम करती है।

- इस पर सरकार की निगरानी नहीं होती क्योंकि कूटमुद्रा अर्थव्यवस्था पर निगरानी पीयर-टू-पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा रखी जाती है।

पीयर-टू-पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल

आगे बढ़ने से पहले **पीयर-टू-पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल** को समझ लेना बेहतर रहेगा। यह कंप्यूटरों का एक समूह होता है, जिनमें से प्रत्येक कंप्यूटर उक्त समूह के भीतर फाइलें / सूचनाएं शेयर करने के केंद्र के रूप में काम करता है। प्रत्येक कंप्यूटर उसमें संगृहीत फाइलों के लिए सर्वर का काम करता है। जब एक पीयर-टू-पीयर नेटवर्क इंटरनेट पर स्थापित किया जाता है तब फाइलों का इंडेक्स बनाने के लिए एक केंद्रीय सर्वर का उपयोग किया जा सकता है या जहां संबंधित नेटवर्क के सभी उपयोगकर्ताओं के बीच फाइलों की शेयरिंग विभाजित हो वहां 'डिस्ट्रिब्यूटेड नेटवर्क' स्थापित किया जा सकता है।

इस प्रकार, कूटमुद्रा को **"ई-मुद्रा"** भी कहा जा सकता है। यह नोटों की तरह नहीं होती, केवल कंप्यूटर पर ही दिखाई देती है। यह हमारी जेब में नहीं आती, इसलिए इसे अंकीय या आभासी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। चूंकि इसके इस्तेमाल के लिए कूट-लेखन (क्रिप्टोग्राफी) का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्रिप्टोकरेंसी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ऑन-लाइन ही किया जा सकता है, अत: इसे दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से अंतरित किया जा सकता है। इसे किसी भी प्रकार की करेंसी जैसे, डालर, येन, यूरो, रुपया आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको जमा करना "माइनिंग" कहलाता है।

कूटमुद्रा को एक उदाहरण से समझें।

वास्तव में, कूटमुद्रा एक ऐसे डाटाबेस में सीमित प्रविष्टियों की तरह है जिन्हें तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर दिया जाता। हम इसे अपने बैंक खाते के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। माना हमने एक बैंक खाता खोल कर उसमें 100 रुपये जमा किए हैं। तुरंत ही ये सौ रुपये एक प्रविष्टि के तौर पर हमारे खाते में जमा दिखाई देते हैं। अब यह प्रविष्टि ही, न कि वास्तविक मुद्रा, हमारे पास बैंक में 100 रुपये जमा होने का प्रतिनिधित्व करती है। इस स्थिति में तभी परिवर्तन हो सकता है जब बैंक द्वारा लगाई गई शर्तों तथा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया जाए। जैसे उक्त 100 रुपये में से यदि हम पचास रुपये निकालना चाहें तो हम ऐसा तभी कर सकेंगे जब आहरण-पर्ची भरें या चेक काटें या अन्यथा रूप से बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों / प्रक्रियाओं को पूरा करें। इस प्रकार, यदि हम देखें तो मुद्रा को खातों में

उपलब्ध आंकड़ों, नामे / जमा शेषों तथा लेनदेनों की प्रविष्टि के सत्यापन के तौर पर ही लिया जा सकता है। बिलकुल ठीक इसी प्रकार से कूटमुद्रा को भी सृजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप कूटमुद्रा में लेनदेन करने वाले ट्रेडर से ऑन-लाइन एक डालर के बदले एक कूटमुद्रा खरीद सकते हैं जो आपका खाता खोल कर उसमें एक कूटमुद्रा के रूप में जमा कर देगा। यदि आप एक डालर या एक कूटमुद्रा की कोई चीज ऑन-लाइन खरीदते हैं तो उसके भुगतान के लिए अपने उस खाते में जमा कूटमुद्रा को कुछ शर्तें पूरी करते हुए विक्रेता के खाते में आसानी से अंतरित करा सकते हैं।

कूटमुद्रा का इतिहास

विकीपीडिया के अनुसार वर्ष 1998 में वी-डाइ (wei dai) ने एक अनाम, संवितरित नकदी प्रणाली के रूप में "बी-मनी" की अभिकल्पना प्रस्तुत की थी। उसके कुछ ही समय बाद निक स्जाबो (Nick Szabo) ने "बिटगोल्ड" की रचना की। बिटगोल्ड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा प्रणाली थी जिसमें इसके उपयोगकर्ताओं को एक ऐसा कूटरचित कार्य पूरा करने का प्रमाण देना होता था जिसका समाधान भी कूटरचित तरीके से दिया और प्रकाशित किया जाता था। इस कारण वास्तविक उपयोगकर्ता ही इसका प्रयोग कर सकता था। बाद में, वी-डाइ तथा निक स्जाबो के कार्य का अनुगमन करते हुए हाल फिन्ने (Hal Finney) ने 'कार्य के पुन:उपयोग प्रमाण' पर आधारित एक मुद्रा प्रणाली विकसित की थी।

पहली विकेंद्रीकृत कूटमुद्रा "बिटकॉइन" सतोषी नकामोटो के छद्म नाम से एक डेवलपर द्वारा वर्ष 2009 में सृजित की गई। इसने कार्य के प्रमाण के रूप में एक कूटरचित हैश फंक्शन एसएचए-256 का प्रयोग किया। अप्रैल 2011 में इसी प्रकार का एक प्रयास "नेमकॉइन" के नाम से किया गया। अक्तूबर 2011 में "लाइटकॉइन" जारी किया गया। यह पहली ऐसी सफल कूटमुद्रा थी जिसमें हैश फंक्शन के रूप में एसएचए-256 के बजाय स्क्रिप्ट (scrypt) का प्रयोग किया गया। इसके बाद "पीयरकॉइन" नाम की एक और कूटमुद्रा सामने आई। इसी प्रकार अन्य बहुत सी कूट मुद्राएं सृजित की गईं, पर उनमें से कुछ ही सफल हो पाईं क्योंकि उनमें कोई ज्यादा तकनीकी नवोन्मेष दिखाई नहीं दिया। वर्ष 2014 में यू.के. ने अपनी ट्रेज़री को कूटमुद्रा तथा यू.के. में उसकी संभावित भूमिका और उस पर विनियमन की आवश्यकता तथा उसके स्वरूप के अध्ययन का काम सौंपा, जिससे कूटमुद्रा की स्वीकृति और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर उसके पड़ने वाले प्रभावों के महत्व का पता चलता है। आज भारत सहित सभी प्रमुख देश इसका अध्ययन कर रहे हैं और अपनी कूटमुद्रा लाने का प्रयास कर रहे हैं।

यह कहा जा सकता है कि 'बिटकॉइन' दुनिया की पहली कूटमुद्रा थी। उसके बाद उसका अनुगमन करते हुए कई अन्य कूटमुद्राएं प्रचलन में आईं, जिनमें से कुछ का ऊपर उल्लेख किया गया है। इनमें 'बिटकॉइन' सबसे लोकप्रिय कूटमुद्रा है। एक घरेलू बिटकॉइन एक्सचेंज का कहना है कि हर दिन उसके 2500 उपयोगकर्ता बढ़ रहे हैं और डाउनलोड 5 लाख से अधिक पर पहुंच गए हैं।

कूटमुद्रा कैसे काम करती है?

यह जानने के लिए कि कूटमुद्रा कैसे काम करती है, हमें इसकी कुछ आधारभूत बातों अर्थात् डिज़िटल वालेट, पब्लिक लेजर, लेनदेन तथा माइनिंग को समझना होगा। आइये, इन पर एक नज़र डालते हैं।

– कूटरचित वालेट या **डिज़िटल वालेट** का उपयोग 'बिटकॉइन' जैसी डिज़िटल मुद्रा को स्टोर करने, प्राप्त करने

तथा भेजने के लिए किया जाता है। वास्तव में, वालेट में स्वयं कूटमुद्रा स्टोर नहीं होती, इसके बजाय एक निजी 'की' (प्राइवेट 'की') स्टोर की जाती है, जो एक पब्लिक 'की' के स्वामित्व को प्रदर्शित करती है, जिसकी जानकारी सिर्फ आपको और आपके वालेट को ही होती है,। पब्लिक 'की' एक डिज़िटल कोड होता है जो कूटमुद्रा की एक निश्चित राशि से जुड़ा होता है। इस प्रकार, आपका डिज़िटल वालेट आपकी प्राइवेट और पब्लिक 'की' को स्टोर करता है और आपको कॉइन प्राप्त करने और भेजने की सुविधा देने के साथ-साथ लेनदेनों के व्यक्तिगत लेजर का भी काम करता है। इसलिए अपने वालेट पासवर्ड तथा प्राइवेट 'की' को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।

- किसी कूटमुद्रा के सृजन के प्रारंभ से ही सभी पुष्टिकृत लेनदेनों को एक बही में दर्ज किया जाता है, जिसे **पब्लिक लेजर** के नाम से जाना जाता है। जिनके पास कॉइन होते हैं उनकी पहचान को गुप्त रखा जाता है तथा रिकार्ड रखने की वैधता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली द्वारा अन्य कूटरचित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उक्त लेजर यह सुनिश्चित करता है कि तदनुरूपी डिजिटल वालेट व्यय-योग्य शेषों की सटीक गणना कर सकते हैं या नहीं। साथ ही, नए लेनदेनों की भी यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से जांच की जा सकती है कि प्रत्येक लेनदेन में केवल उन्हीं कॉइनों का उपयोग किया जाता है जो उस समय व्ययकर्ता के स्वामित्व में हैं। दूसरे शब्दों में, यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहले उपयोग किए जा चुके कॉइनों का कहीं फिर से तो उपयोग नहीं किया जा रहा। इस प्रक्रिया को "ट्रांजेक्शन ब्लॉक चेन" के नाम से भी जाना जाता है।

- दो डिज़िटल वालेट के बीच निधियों के अंतरण को **लेनदेन** कहा जाता है। यह लेनदेन पब्लिक लेजर को प्रस्तुत किया जाता है और पुष्टि की प्रतीक्षा की जाती है। जब कोई लेनदेन किया जाता है तो इस बात का एक गणितीय प्रमाण देने के लिए कि यह लेनदेन वालेट के स्वामी द्वारा ही किया जा रहा है, वालेट द्वारा एक कूटरचित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (कुछ कूटरचित आंकड़ों) का प्रयोग किया जाता है। लेनदेन की पुष्टि करने और उसे पब्लिक लेजर में चढ़ाने में लगभग दस मिनट का समय लगता है।

- लेनदेनों के पुष्टिकरण तथा उसे लेज़र में चढ़ाने की प्रक्रिया को **माइनिंग** कहा जाता है। माइनर को एक जटिल गणितीय पहेली हल करनी होती है। पहेली को हल करने वाला पहला माइनर लेज़र में कई लेनदेनों का एक ब्लॉक जोड़ता है। जिस तरह से लेनदेन, ब्लॉक तथा पब्लिक ब्लॉकचेन एक साथ काम करते हैं उससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से जब चाहे तब ब्लॉक में कोई परिवर्तन नहीं कर सके। नए सृजित कॉइन, लेनदेनों के लिए कुछ शुल्क सहित, माइनर के वालेट में जमा कर दिए जाते हैं। यह माइनिंग प्रक्रिया ही है जो कॉइनों को मूल्य प्रदान करती है और इसे ही "प्रूफ-ऑफ वर्क–सिस्टम" के नाम से जाना जाता है। वास्तव में, अधिकांश कूटमुद्राएं कार्य के प्रमाण (प्रूफ-ऑफ-वर्क) की इस प्रणाली का प्रयोग करती हैं। कूटमुद्रा माइनिंग के दोहन को सीमित करने के लिए ही गणना में कठिन, लेकिन आसानी से सत्यापित की जा सकने वाली गणितीय पहेली का प्रयोग किया जाता है।

- कारगर मुद्रा के लिए यह आवश्यक है कि उसका कोई मूल्य हो। इसी को ध्यान में रखते हुए रुपये के पीछे सोना-चांदी तथा विदेशी प्रतिभूतियां रखी जाती हैं जिनका मूल्य इनकी दुर्लभता के कारण ही होता है। कूटमुद्रा भी ठीक इसी प्रकार की अवधारणा पर काम करती है। माइनर द्वारा

कॉइन उपर्युक्तानुसार सृजित किए जाते हैं और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ये स्वामित्व के रिकार्ड के अलावा और कुछ नहीं होते।

- माइनर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो "प्रूफ-ऑफ-वर्क" पहेली का समाधान करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए विशेषीकृत हार्डवेयर पर प्रोग्राम चलाते हैं। कॉइन माइनिंग के पीछे का कार्य ही उन्हें मूल्य प्रदान करता है। इन कॉइनों की मांग और दुर्लभता ही इनके मूल्यों में उतार-चढ़ाव लाते हैं। कूटमुद्रा को मूल्य देने के लिए कार्य का विचार ही 'प्रूफ-ऑफ-वर्क' कहलाता है। कॉइनों को वैधता प्रदान करने की अन्य विधि 'प्रूफ-ऑफ-स्टेक' कहलाती है। पब्लिक लेजर में लेनदेन जोड़ते समय भी मूल्य-सृजन होता है क्योंकि सत्यापित "लेनदेन ब्लॉक" सृजित करते समय भी कुछ विशेष कार्य करना होता है।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि कूटमुद्राओं में बिना बैंक में जाए मुद्रा जमा करने और सुरक्षित भुगतान करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता हैं। इन मुद्राओं के लिए विकेंद्रीकृत पब्लिक लेजर 'ब्लॉकचेन' का इस्तेमाल किया जाता है जो मुद्राधारक द्वारा धारित मुद्रा तथा सभी लेनदेनों का रिकॉर्ड होता है।

कूटमुद्रा का उपयोग

किसी के भी मन में यह एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है कि जब वैध मुद्राएं उपलब्ध हैं और उन्हीं के जरिए कूटमुद्रा खरीदी जानी है तो फिर कूटमुद्रा क्यों खरीदी जाए, या उसमें निवेश क्यों किया जाए? इसका उत्तर निम्नलिखित तथ्यों में खोजा जा सकता है –

- कूटमुद्रा को किसी भी "आल्टकॉइन एक्सचेंज" के जरिए आसानी से ऑन-लाइन खरीदा – बेचा जा सकता है। इस हेतु कूटरचित वालेट का उपयोग किया जाता है जिसका परिचालन पूरी तरह गोपनीय होता है और सिवाय आपके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

- पूरे विश्व में कभी भी, कहीं भी अति अल्प समय में भुगतान किया और प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑन-लाइन की जाती है।

- कूटमुद्रा में लेनदेन करना पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसमें जाली मुद्रा की तथा लेनदेनों में धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं होती। लेनदेनों को रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए भी इसे भुगतान का एक सुरक्षित माध्यम कहा जा सकता है।

- कूटमुद्रा में लेनदेन करने वाले का नाम पूरी तरह गुप्त रहता है। इसे इसकी एक विशेषता के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन इसकी यही विशेषता तब इसके अवगुण में बदल जाती है जब इसके कारण इसके गैर-कानूनी इस्तेमाल की संभावना बन जाती है।

- कूटमुद्रा में निवेश करना सुरक्षित तो है ही, फायदेमंद भी है। इसकी मांग और पूर्ति की स्थिति के साथ इसके मूल्यों में भी ठीक उसी प्रकार उतार-चढ़ाव आते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य मुद्राओं के मूल्यों में आते हैं। बिटकॉइन के मूल्य में तो रॉकेट की रफ्तार से तेजी दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन का मूल्य जो मार्च 2017 में 1268 अमरीकी डालर था, 28 सितंबर 2017 को बढ़कर 4211 अमरीकी डालर से भी अधिक पर पहुंच गया था। इस प्रकार, एक बिटकॉइन का भारतीय रुपये में मूल्य लगभग 2,78,804/- हो गया था।

- कूटमुद्रा के विकेंद्रीकृत स्वरूप के कारण वह हर किसी को उपलब्ध होती है जबकि बैंक में यदि मुद्रा जमा करनी हो तो

बैंक अपने विवेकाधिकार से यह तय करता है कि कौन उसके यहां खाता खोल सकता है और कौन नहीं।

- दान आदि देने के लिए कूटमुद्रा को सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि आप विश्वभर की उन समस्त वास्तविक संस्थाओं को निस्संकोच दान दे सकते हैं जिनकी सूची ऑनलाइन उपलब्ध हो और निश्चिंत हो सकते हैं कि जिसे आप दान देना चाहते थे, उस तक ही आपका दान पहुंचा है। साथ ही, आप बिना अपना नाम घोषित किए दान दे सकते हैं।

- विदेशों में रेस्त्रां जैसे कई संस्थान अब कूटमुद्रा को स्वीकार करने लगे हैं, अत: इसके द्वारा छोटे-छोटे भुगतान भी किए जा सकते हैं। ऐसी कई ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसियां भी सामने आई हैं जो कूटमुद्रा स्वीकार करती हैं। मकान, दुकान, कार आदि जैसी चीजें भी कूटमुद्रा स्वीकार करने वालों से खरीदी जा सकती हैं।

- विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए भी कूटमुद्रा का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, साइप्रस स्थित निकोसिया विश्वविद्यालय प्रवेश तथा अन्य शुल्कों के लिए कूटमुद्रा स्वीकार करता है। यही नहीं, वह डिजिटल मुद्रा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाता है।

इस प्रकार, धीरे-धीरे विभिन्न वस्तुओं आदि की खरीद-बेच के लिए सुरक्षित कूटमुद्रा का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है।

कूटमुद्रा में डीलिंग कैसे और कहां से

किसी भी क्रिप्टो-एक्सचेंज पर, उदाहरणार्थ Bittrex, yunbi, Bithumb, poloniex आदि पर, कूटमुद्रा की खरीद-बेच की जा सकती है। सामान्यत: इन्हें 'आल्टकॉइन एक्सचेंज' कहा जाता है। कॉइनमार्केटकेप (coinmarketcap) साइट पर सभी क्रिप्टो-एक्सचेंजों की सूची उपलब्ध है। इनमें से किसी एक्सचेंज पर आपको अपना खाता खोलना होगा और अपनी पहचान को सत्यापित कराना होगा। अपने खाते में आपको डालर, यूरो या जिस मुद्रा का आप उपयोग करते हैं, उसकी एक निश्चित राशि जमा करानी होगी ताकि आप कूटमुद्रा की खरीद-बेच कर सकें। 'बिटकॉइन डी' (Bitcoin De) जैसे कुछ एक्सचेंजों पर अपने खाते में ऐसी कोई राशि रखने की जरूरत नहीं होती और आप अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सीधे ही लेनदेन कर सकते हैं।

कूटमुद्रा की ट्रेडिंग में संलग्न एक बड़ी कंपनी "बिटबे" ने हाल ही में घोषणा की है कि वह भारत में कूटमुद्रा के व्यापार और विनिमय के लिए एक प्रतिबद्ध प्लेटफार्म शुरू करने जा रही है। 'बिटबे' दुनिया के शीर्ष दस क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफार्मों में से एक है। फिलहाल, इसके दो लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। इसका उपयोग बिटकॉइन, लिटक्वॉइन, इथर, लिस्क, मोनेरो, डैश और गेमक्रेडिट्स जैसी कूटमुद्राओं को खरीदने, बेचने और व्यापार करने के माध्यम के रूप में किया जा सकेगा।

भविष्य की मुद्रा का भविष्य

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि कूटमुद्रा की स्वीकार्यता और उसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक अपनी कूटमुद्रा जारी करने, उसके विनियमन तथा उपयोग की दिशा में सक्रियता दिखा रहे हैं। लेकिन, कूटमुद्रा की कुछ सीमाएं हैं जो इसके भविष्य को निश्चित रूप से तय करेंगी। आइये, इन पर एक नजर डालते हैं –

- **कंप्यूटरीकृत आधार -** कूटमुद्रा का पूरा साम्राज्य कंप्यूटर पर टिका है। कंप्यूटर क्रेश होने पर, यह ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर सकता है। किसी भी व्यक्ति का डिजिटल भाग्य कंप्यूटर क्रेश होने पर पूरी तरह रसातल में समा सकता है। साथ ही, हैकिंग की संभावना से भी इनकार नहीं किया

जा सकता। हालांकि, 'प्रूफ-ऑफ-वर्क' जैसी दुरूहताओं के कारण कूटमुद्रा के लेनदेन को सुरक्षित बनाने का पूरा प्रयास किया गया है, फिर भी बेहतर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि इस आभासी तिजोरी को कंप्यूटर क्रेश होने पर भी सुरक्षित रखा जा सके और इसकी हैकिंग की संभावना न के बराबर हो।

- **विनियमन** – फिलहाल कूटमुद्रा पर सरकारी / केंद्रीय बैंकों का नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता को देखते हुए विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा इसे विनियमित करने के तरीके खोजने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। इससे कूटमुद्रा के अस्तित्व का मूलाधार ही समाप्त हो सकता है।

- **सामान्य स्वीकृति** – यह सच है कि कूटमुद्रा स्वीकार करने वाले व्यापारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पर यह भी सच है कि अभी भी इनकी संख्या अत्यधिक कम है। कूटमुद्रा का और अधिक व्यापक उपयोग तभी हो सकेगा जब इसे उपभोक्ताओं के बीच व्यापक सामान्य स्वीकृति मिले। लेकिन, परंपरागत मुद्रा के मुकाबले कूटमुद्रा की प्रक्रियागत जटिलता इसकी स्वीकार्यता में बड़ी बाधा बनी हुई है। जब तक उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से लेनदेनों की पूर्ण सुरक्षा के साथ प्रक्रिया को सरल नहीं बनाया जाता, उपभोक्ताओं के बीच इसकी स्वीकार्यता सीमित ही बनी रहेगी।

- **करवंचन और धनशोधन** – किसी भी तरह के विनियमन के अधीन न होने के कारण कूटमुद्रा का प्रयोग करवंचन, धनशोधन तथा ऐसे ही अन्य गलत और गैर-कानूनी कामों के लिए किए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। विभिन्न देशों की सरकारों के लिए यह एक गंभीर चिंतनीय मुद्दा बना हुआ है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय निवेशकों द्वारा कूटमुद्रा यानी क्रिप्टोकरेंसी में किए जाने वाले निवेश पर कर विभाग के अधिकारियों और जांच एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। दरअसल, ऐसी आशंकाएं जोर पकड़ रही हैं कि गैर-कानूनी निधियों और काले धन की आवा-जाही के लिए कूटमुद्रा को जरिया बनाया जा रहा है। कूटमुद्रा में हो रहे बड़े निवेश से चिंता को और बल मिला है।

कालेधन से जुड़े मामलों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए विशेष जांच दल ने कूटमुद्रा को लेकर चिंता जताई है। इसने तो अपनी मसौदा रिपोर्ट में कूटमुद्रा में ट्रेडिंग पर रोक लगाने तक का सुझाव दिया है। उधर, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय नोटबंदी के बाद कूटमुद्रा में हुए निवेशों की जांच में लगे हैं।

भारत सरकार कूटमुद्रा के संबंध में क्या नीति अख्तियार करेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है, पर भारतीय रिज़र्व बैंक इससे बचने की सलाह जरूर दे रहा है। कार्यपालक निदेशक श्री सुदर्शन सेन ने 13 सितंबर 2017 को अपने एक वक्तव्य में कहा है कि जहां तक बिना भौतिक आस्तियों वाली कूटमुद्रा का संबंध है, हम इसे लेकर सहज नहीं हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि कूटमुद्रा ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। इसे भविष्य की मुद्रा के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि विभिन्न देशों की सरकारें और केंद्रीय बैंक इसे गंभीरता से ले रहे हैं। वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की इसकी क्षमता तथा इसके गैर-कानूनी प्रयोग की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए इसके विनियमन की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं और स्वदेशी कूटमुद्राएं लाने पर पर विचार किया जा रहा है।

भारत में कृषि को लाभदायक बनाने हेतु ऋणमाफी और अन्य आवश्यक कदम

कृषि ऋणमाफी पिछले कई दशकों से चर्चा का विषय रहा है। पिछले कुछ वर्षों से कई प्रदेशों में कर्ज न चुका पाने से हताश किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है। पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश आदि कई राज्य इस समस्या से ग्रसित हैं और उनमें फौरी राहत के तौर पर कृषि ऋण या तो माफ किए गए हैं या माफी प्रस्तावित है या उसकी मांग की जा रही है।

कृषि ऋण माफी का सिलसिला 1987 में हरियाणा में शुरू हुआ था। इसके बाद 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की केंद्र सरकार ने किसानों के 10,000 रुपये तक के कर्ज माफ किए थे। सबसे महंगी थी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की 2008 की ऋणमाफी योजना, जिसमें 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि प्रदेशों में भी पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार की कुछ योजनाएँ कार्यान्वित की गईं। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि राहत देने की व्यवस्था राज्य सरकारें अपने स्रोतों से करें।

बिबेकानंद पांडा
मुख्य प्रबंधक (अर्थशास्त्री)
स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद

हीरालाल करनावट
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद

बाजार तंत्र में भरोसा रखने वाला प्रबुद्ध वर्ग इस प्रकार के कदमों का विरोध करता है। वह मानता है कि इससे वित्तीय क्षरण के साथ-साथ नैतिक संकट भी पैदा होता है। इनमें से कइयों का तर्क यह है कि ऋणमाफी एक क्षणिक समाधान है और यह नैतिक संकट लेकर आता है, क्योंकि जो लोग कर्ज का भुगतान कर सकते हैं वे भी इस उम्मीद में भुगतान बंद कर देते हैं कि कोई न कोई ऋणमाफी योजना फिर आएगी। इससे ऋण-अनुशासन में ढिलाई आती है और बैंक किसानों को ऋण देने में झिझकने लगते हैं।

नैतिकता के ही एक अन्य दृष्टिकोण से देखने पर ऋणमाफी योजनाएँ बहुत आवश्यक लगती हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे गई-गुजरी हालत से निकालकर लाभदायक कार्यकलाप बनाना सरकार का कर्तव्य है। जब अर्थव्यवस्था के कमजोर होने पर सरकार कारपोरेट जगत को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs), करमुक्त परिचालन, रियायती ऋण, जमीन का निःशुल्क पट्टा आदि अनेक तरह से संबल प्रदान करती है तो कृषि के संकट में होने पर ऋणमाफी जैसे कदम से आसमान नहीं टूट पड़ेगा, बशर्ते इसे बार-बार न किया जाए, क्योंकि बार-बार की माफी से व्यवस्था में विसंगतियाँ पैदा होती है और कुल मिलाकर गरीब किसान तथा बैंकर राजनैतिक इरादों के शिकार हो जाते हैं। इससे देश की बैंकिंग व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जो पहले ही कारपोरेट जगत की निर्बल आस्तियों

और कारपोरेट ऋणों की बड़े पैमाने पर पुनर्संरचना से जूझ रही है।

यहाँ यह देखना रोचक होगा कि बैंकों की अलाभकारी आस्तियों में कृषि ऋणों का हिस्सा ज्यादा नहीं है। अक्तूबर 2017 के आँकड़ों के अनुसार समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि और उससे जुड़े कार्यों के लिए दिए गए ऋण 9,810 बिलियन रुपये थे। यह राशि इन बैंकों द्वारा दिए गए कुल (खाद्येतर) ऋणों का महज 13.9 प्रतिशत है, जबकि उद्योगों को कुल ऋणों का 36.8 प्रतिशत और सेवाक्षेत्र को 24.6 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। वहीं, दिसंबर 2017 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार 30 सितंबर 2017 को सकल अनर्जक आस्तियों में कृषि क्षेत्र का हिस्सा इस क्षेत्र को दिए गए कुल ऋणों का केवल 6.4 प्रतिशत था। यह उद्योग क्षेत्र के 19.3 प्रतिशत से काफी कम है। दबावग्रस्त अग्रिमों में भी यही स्थिति है। कृषि में यह प्रतिशत 6.9 है तो उद्योगों में 23.9। इसका मतलब यह है कि उद्योग क्षेत्र बैंकों के लिए ज्यादा जोखिम भरा है। बढ़ती हुई निर्बल आस्तियों में कृषि क्षेत्र का हिस्सा उनकी तुलना में बहुत कम है।

कृषि ऋणमाफी और इसके परिणाम

भारत में कृषि ऋणमाफी की योजनाएँ तैयार करते समय किसानों के हितों का, विशेषकर दीर्घकालीन हितों का, कभी ध्यान नहीं रखा गया। ये योजनाएँ मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित थीं कि भारतीय कृषि की मुख्य समस्या ऋणग्रस्तता है और छोटे तथा सीमांत कृषक इस संकट से सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। ऋणमाफी से मिलने वाला लाभ अत्यंत अल्पजीवी होता है। अगले ही मौसम में ये लोग फिर कर्ज के जाल में फँस जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ऋण की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं हो सकती। समस्या के दीर्घकालीन समाधान का दृष्टिकोण रखे बगैर न तो उत्पादकता बढ़ सकती है और न ही उपज। परिणाम? किसान हमेशा ऋण चुकाने में असमर्थ बने रहेंगे।

कृषि क्षेत्र के लिए सरकार का सहयोग अनिवार्य है। भारत में सिंचाई, जल संरक्षण, भंडारण की बेहतर व्यवस्था, बाजार तक पहुँच आदि क्षेत्रों में बड़े भारी निवेश की आवश्यकता है। भारतीय कृषि की ये समस्याएँ संरचनात्मक होने से इन्हें दीर्घकालीन समाधान की जरूरत है। ऋणमाफी से समस्या इस मायने में और जटिल हो जाएगी कि इस पर हुए खर्च के कारण कृषि में दीर्घकालीन निवेश के लिए सरकार के पास कम धन बचेगा।

कृषि ऋणमाफी का एक अन्य परिणाम है नैतिकता का संकट। इससे ऋण न चुकाने की दर बढ़ती जा रही है और वे ईमानदार किसान निराश हो रहे हैं जिन्होंने कर्ज चुकाने के लिए बेहिसाब परेशानियाँ झेलीं। जो किसान खेती में निवेश के लिए ऋण लेने के बजाय अपनी बचत का उपयोग करते हैं, उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने से उनमें भी असंतोष पैदा होता है। इसके अतिरिक्त ये योजनाएँ केवल फसल ऋणों पर लागू होने से जिन्होंने संरचनात्मक सुविधाओं के लिए ऋण लिया है, उनके साथ भी भेदभाव होता है, जबकि उन्हें अपने ऋण फसल से प्राप्त धन से ही चुकाने होते हैं। कुछ किसान तो साहूकारों से कर्ज लेकर भी बैंक का ऋण चुकाते हैं। ऐसे में इन किसानों को इन योजनाओं के दायरे से बाहर रखना, इनके साथ घोर अन्याय है। यह तो ईमानदारी से कर्ज चुकाने वालों को दंडित करने जैसा हो गया।

यहाँ कृषि ऋणमाफी योजना के बारे में हुए कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों के निष्कर्षों की चर्चा करना समीचीन होगा। शॉन ए. कोल ने अपने वर्ष 2008 के अध्ययन में दर्शाया था कि ऋण बाजार में राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण सरकारी बैंकों के कृषि ऋण और चूक (डिफॉल्ट) में चुनावी वर्ष में वृद्धि होती है।

अध्ययन में पाया गया था कि कर्जों को बार-बार माफ करने से कर्जदार इसी में बुद्धिमानी मानते हैं कि किसी तरह ऋण न चुकाया जाए। इस प्रकार एक दीर्घकालीन दुष्चक्र शुरू हो जाता है, जिसमें न चुकाए गए ऋण माफ किए जाते हैं और ऋण माफ होने की उम्मीद में ऋण नहीं चुकाए जाते हैं।

इसी प्रकार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेन्टल रिसर्च के अध्ययन में सामने आया था कि यह बात तो सही है कि कर्ज के भारी बोझ के चलते किसान आत्महत्या करते हैं किंतु इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि उत्पादों की लागत और बाजार में उनकी कीमत के बीच असंगति कर्ज का कारण बनती है। किसानों को कर्ज के कारण आत्महत्या के फंदे में फँसने से बचाने के लिए बाजार-तंत्र में सुधार लाने को इस अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया था। केवल कर्ज के इंतजाम से कृषि की सारी समस्याएँ खत्म होने वाली नहीं हैं। सही उर्वरक और बढ़िया असली बीज समय पर प्राप्त होना सबसे जरूरी है। वितरण श्रृंखला में विपणन घटक कमजोर है। सरकार को अनाज, फल और सब्जियों के भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए ताकि फसल को मजबूरी में बेचने की स्थिति न आए।

झेविअर ज़ीन और मार्टिन कांज़ के अध्ययन में दर्शाया गया है कि जिन जिलों में ज्यादा ऋण माफी हुई, वहाँ बैंक ऋण देने से दूर हो गए। हो सकता है कि आगे भी बैंक बहुत नापतौल कर ऋण दें या प्रत्यक्ष कृषि ऋण से पल्ला ही झाड़ लें, जिसका सीधा असर धीरे-धीरे कृषि उत्पादन पर पड़ेगा।

कृषि है भारत की रीढ़

स्मरणीय है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इससे तीन ध्येय जुड़े हुए हैं – (क) समावेशी विकास, (ख) ग्रामीण आय में वृद्धि, (ग) खाद्यपदार्थों की कमी न होने देना। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में 14 प्रतिशत हिस्सा है तो निर्यात में 15 प्रतिशत। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 54.6 प्रतिशत जनसंख्या का जीवनाधार है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र (328.7 मिलियन हेक्टर) में वर्ष 2013-14 के भू-उपयोग (land use) आँकड़ों के अनुसार निवल जोत-क्षेत्र है 141.4 मिलियन हेक्टर। (फिलहाल यही अद्यतन आँकड़ा उपलब्ध है) देश में कुल 200.9 मिलियन हेक्टर में पैदावार होती है और फसलों की गहनता है 142 प्रतिशत। इस प्रकार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 43 प्रतिशत में खेती होती है। खेती के लिए प्रयोग होने वाली जमीन का 68.2 प्रतिशत भाग सिंचित है।

अपनी 129 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। देश की बढ़ती जनसंख्या की खाद्यपदार्थों और अन्य कृषि पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए या तो और अधिक क्षेत्र में खेती करनी होगी या वर्तमान कृषि क्षेत्र से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना होगा, किंतु भारत के स्वतंत्र होने से अब तक कृषि क्षेत्र में 20 प्रतिशत की वृद्धि तो हो ही चुकी है। इसे अब और ज्यादा बढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए जो विकल्प बचता है वह यही है कि वर्तमान कृषि क्षेत्र से ही ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जाए। एक कृषि वर्ष में पहले से ज्यादा बार फसलें उगाई जाएँ।

कृषि में कम होता जा रहा है सरकारी निवेश

योजित सकल मूल्य की दृष्टि से कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों (भूमि और सिंचाई साधनों का उन्नयन, नए फलोद्यान और बागान लगाना, कृषि यंत्रों और औजारों की खरीद, कृषि संबंधी निर्माण कार्य, पशुधन, मछलीमार नौकाओं, जाल आदि में वृद्धि) में सकल पूंजी निर्माण घटता जा रहा है। वर्ष 2011-12 में यह 18.3 प्रतिशत था, जो 2015-16 में 16.3 प्रतिशत रह गया। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सकल पूंजी निर्माण

(32 प्रतिशत) के मुकाबले यह लगभग आधा है। सबसे खास बात यह है कि कृषि में सकल पूंजी निर्माण 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.9 प्रतिशत था जो नब्बे के दशक की बाद की अवधि में बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गया था और 2004-05 में 1.7 प्रतिशत रह गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सी एस ओ) के आँकड़े, जिनमें 2011-12 आधार वर्ष है, बताते हैं कि कृषि में सरकारी पूंजी निर्माण में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। वर्ष 2011-12 में यह सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत था और 2015-16 तक भी केवल लगभग 2.8 प्रतिशत तक ही पहुँचा।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कृषि क्षेत्र में अधिकांश निवेश निजी क्षेत्र कर रहा है। सरकारी निवेश कम होता जा रहा है। वर्ष 1990-91 में यह 30 प्रतिशत था, जो 2015-16 में 17 प्रतिशत पर आ गया। इस पर निरंतर चिंता जताई जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोक-व्यय का एक बड़ा हिस्सा आस्तियों के सृजन के बजाय खाद्यपदार्थों, सिंचाई, उर्वरक, बिजली, ऋण और कृषि संबंधी अन्य निविष्टियों (inputs) पर सबसिडी देने में चला जाता है। इससे कृषि क्षेत्र की समस्या का तात्कालिक हल तो निकल आता है, पर कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाता।

भारतीय कृषि के सम्मुख चुनौतियाँ

भारतीय कृषि के सम्मुख कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं। कृषि संबंधी कामकाज के लिए भूमि की कमी, जलस्तर में कमी, कृषि मजदूरों की कमी, खाद-बीज आदि की कीमतों में बढ़ोतरी, उपज के वाजिब दाम न मिलना, भंडारण की अपर्याप्त सुविधाएँ आदि कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं, जो कृषि को स्वाश्रित नहीं बनने दे रही हैं। उर्वरक आदि की क्षमता में कमी भी भारतीय कृषि की बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे उपज और लाभप्रदता प्रभावित हो रही है।

वर्तमान में कृषि ऋण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कृषि निविष्टियों की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण घटकों को नजरअंदाज कर ऋण उपलब्ध कराने पर ही जोर देने से यह होगा कि किसान को ऋण तो मिल जाएगा किंतु अगर वह बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि न खरीद पाया तो वह धन (ऋण) किस काम आएगा। इससे उत्पादकता बाधित होगी। वास्तविक उत्पादन अपेक्षित उत्पादन से कम होगा।

स्वतंत्रता के बाद के छह दशकों में भारतीय कृषि ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। कृषि से बस गुजर-बसर हो जाया करती है। यह क्षेत्र अब भी ज्यादातर मानसून और मौसम के मिजाज पर निर्भर है। योजित सकल मूल्य (जी वी ए) में कृषि और सहबद्ध कामकाज का अंश कम-ज्यादा होता रहा है। वर्ष 2011-12 की आधार कीमतों पर कृषि और सहबद्ध कामकाज में 2012-13 में 1.5 प्रतिशत, 2013-14 में 5.6 प्रतिशत, 2014-15 में -0.2. प्रतिशत तथा 2015-16 में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि ही हुई। वर्ष 2016-17 में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

कृषि यंत्रीकरण

कृषि में यंत्रीकरण की बहुत आवश्यकता है। उत्पादकता बढ़ाने और खाद, बीज, पानी आदि के खर्च में किफायत लाने में यंत्रीकरण से बहुत मदद मिलती है। वर्ष 2010-11 के कृषि संबंधी आँकड़ों के अनुसार भारत में कृषि जोत का औसत आकार 1.15 हेक्टर है। जोत में और हिस्से होते जाने से छोटे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय 85 प्रतिशत भूमि छोटे किसानों के पास है। कृषि संबंधी महंगे यंत्र खरीदना इनके लिए फायदे का सौदा नहीं होता। इसलिए सरकार को कृषि संबंधी यंत्र किफायती किराये पर किसानों को उपलब्ध कराने चाहिए। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनका जीवन-स्तर उन्नत होगा।

खाद्य प्रसंस्करण

खाद्य प्रसंस्करण से कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ता है और रोजगार का सृजन भी होता है। भारत में फसल की कटाई, परिवहन, भंडारण और वितरण के दौरान काफी नुकसान होता है। अच्छी सड़कें, गोदाम आदि न होने के कारण ज्यादातर किसानों को अपनी फसलें औने-पौने दामों पर गाँवों में ही बेच देनी पड़ती है। ऐसे में अगर गाँवों में ही खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाएँ सृजित की जाएँ तो किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनाज, फल और सब्जियों के प्रसंस्करण की इकाइयाँ स्थापित करने की नीति बनाए जाने की जरूरत है। ये इकाइयाँ ग्रेडिंग और पैकिंग दोनों कार्य करें। फिर इस कार्यकलाप को और सुदृढ़ करने के लिए वातानुकूलित वाहन तथा पैकिंग, कैनिंग या बॉटलिंग करने वाली इकाइयों की आवश्यकता भी है। इससे गाँवों में रोजगार का सृजन भी होगा और कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी। इसलिए सरकार को खाद्य प्रसंस्करण संबंधी आधारभूत संरचना तैयार करने की नीति बनानी चाहिए। साथ ही, प्रसंस्करण में काम में आने वाली प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना चाहिए, गुणवत्ता संबंधी मानक लागू करने चाहिए और खाद्य प्रसंस्करण में अधिक निवेश करना चाहिए।

कृषि क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए सरकार के प्रयास

सरकार ने कृषि के विकास के महत्व को अच्छी तरह स्वीकार किया है। वर्ष 2017 के केंद्रीय बजट में कृषि और उससे जुड़े कार्यों के लिए अधिक राशि आबंटित की गई है। किसानों की आमदनी अगले पाँच वर्ष में दुगुनी करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। ग्रामीण विकास की गति बढ़ाई जा रही है। किसानों को पर्याप्त ऋण मुहैया कराया गया है और 2017-18 में कृषि ऋण 10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 60 दिन के ब्याज की माफी का लाभ भी किसानों को दिया गया है। फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2016-17 में कुल जोत क्षेत्र का 30 प्रतिशत इस बीमा के दायरे में था। इसे 2017-18 में 40 प्रतिशत और 2018-19 में 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार कोशिश कर रही है कि प्राथमिक कृषि साख समितियों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय खाद्यपदार्थ पर्याप्तता मिशन इस समय 19 राज्यों के 482 जिलों में कार्यरत है। धान, गेहूँ और दालों का उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसके लिए खेती का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने, भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता को पूर्ववत करने, रोजगार के अवसर सृजित करने और कृषिगत अर्थव्यवस्था में किसानों का भरोसा दुबारा कायम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

सुझाव

ऋणमाफी और कृषि संकट जैसे मुद्दों से निपटने के कुछ सुझाव इस प्रकार हैं

- ऋणमाफी के बदले राज्य सरकारों को छोटे और सीमांत कृषकों को पानी, खाद, बीज, कीटनाशक आदि रियायती दरों पर उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र को लाभ पहुँचाना चाहिए। इससे सभी कमजोर किसानों को लाभ मिलेगा चाहे उन्होंने किसी भी स्रोत से ऋण लिया हो।

- भविष्य में ऋणमाफी जैसी घटनाएँ न घटे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय को राज्य सरकारों को यह आदेश देना चाहिए कि वे ऋण माफी जैसा कोई कार्य न करें। मुख्य रूप से तो राजनैतिक दलों को यह आदेश दिया जाना चाहिए कि वे अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस प्रकार का कोई वादा न करें।

- मनरेगा पर होने वाले खर्च से कृषि में काम आने वाली स्थायी आस्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इस मामले में अन्य राज्य गुजरात का अनुकरण कर सकते हैं, जहाँ इस

योजना के अंतर्गत तालाब खुदवाए गए, जिससे पानी की समस्या दूर हुई।

- केंद्र सरकार राज्यों के लिए यह अनिवार्य करे कि वे किसानों को फसल बीमा योजनाओं द्वारा सुरक्षा प्रदान करें। छोटे और सीमांत किसानों की प्रीमियम राज्य सरकार भरे और बीमा कंपनियों को कहे कि मुआवजा देने के मामले में वे अपने कड़े नियमों को ढीला करें।

- कृषि में काम आने वाली स्थायी आस्तियों के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही निवेश बढ़ाएँ, ताकि इस क्षेत्र को नुकसानी से बचाकर स्वाश्रित बनाया जा सके। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, दालों और सब्जियों के लिए कीमत स्थिरीकरण निधि, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्यपदार्थ पर्याप्तता मिशन आदि पर निरंतर विस्तृत नजर रखी जानी चाहिए।

- कृषि उत्पादों की कीमते केंद्र सरकार द्वारा लगातार इस प्रकार संशोधित की जानी चाहिए कि उससे रिज़र्व बैंक के महंगाई नियंत्रण के लक्ष्य पर कम से कम प्रभाव पड़े।

- कृषि ऋणों की भुगतान-अनुसूची (payment schedule) को रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए कि कोई अनहोनी होने पर किसानों को ऋण चुकाने के लिए अगले मौसम तक का समय मिल सके।

- ऋणग्रस्तता के कुछ सामाजिक कारण भी हैं। शराब या किसी भी प्रकार की नशे की लत और दहेज, मृत्युभोज आदि कुरीतियाँ भी किसानों को ऋण के चक्रव्यूह में डाल देती हैं। इनसे बाहर आने के लिए प्रभावी सामाजिक अभियानों की जरूरत है।

निष्कर्ष

कृषि क्षेत्र को सरकार का आलंबन तो चाहिए, पर ऋणमाफी समस्या का समाधान नहीं है। इससे कृषि क्षेत्र के स्थायी विकास में कोई मदद मिलने वाली नहीं है, बल्कि इसके बहुत-से नुकसान भी हो सकते हैं। ऋणमाफी में अब तक जितना धन खर्च हुआ है, उतने से तो कृषि क्षेत्र में कई आधारभूत सुधार हो सकते थे और उनसे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता था। भारत के कृषि क्षेत्र की अकुशलताओं को दूर कर, उसकी आय बढ़ाकर, उत्पादन लागत घटाकर और उसे बीमा योजनाओं द्वारा सुरक्षा प्रदान कर कृषि को गई गुजरी स्थिति से स्वाश्रित स्थिति में लाना है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र की बड़ी समस्या है घटती उत्पादकता और संरचनात्मक सुविधाओं की कमी। उत्पादकता में कमी का कारण है बढ़ती लागत और खाद-बीज आदि भलीभाँति न मिल पाना। जब तक किसानों के पास आय के निश्चित स्रोत नहीं होंगे तब तक उन्हें कर्ज के दुश्चक्र से निकाल पाना मुश्किल होगा। इस प्रकार सरकारी नीतियाँ ऐसी हों जिनसे कृषि की उत्पादकता बढ़े और किसानों को इतनी आमदनी होने लगे कि वे अपने कर्ज चुका सकें। उन्हें ऋणमाफी तो क्या सबसिडी तक की जरूरत न पड़े।

संदर्भ

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (2007), कृषि ऋणग्रस्तता पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट
- टाटा सामाजिक शोध संस्थान (2005). Causes of Farmer Suicides in Maharashtra: An Enquiry.
- भारतीय रिज़र्व बैंक डेटा बेस एवं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17
- कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

रेग्युलेटर की नज़र से

[रेग्युलेटरी एजेंसी विधायिका द्वारा बनाई गई एक सरकारी संस्था होती है, जिसका निर्माण विशिष्ट क़ानूनों को कार्यान्वित करने और प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की एजेंसी के पास अर्ध-विधायी (Quasi-legislative), कार्यकारी (Executive) और न्यायिक (Judicial) कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः क्षेत्र विशेष के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय क्षेत्र की रेग्युलेटरी एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है। इनकी इस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए संपादकीय समिति ने इनकी भूमिका के बारे में एक नया स्तम्भ शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें *वित्तीय क्षेत्र के* विभिन्न विनियामकों द्वारा की गई पहलों को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत जून 2015 के अंक से की गई। प्रस्तुत है इस कॉलम का ..... लेख।]

1 बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन - कार्यक्षेत्र मे वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को व्यापक बनाते हुए उसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा बीमा/म्यूच्युअल फंड/अन्य थर्ड पार्टी निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली कमियों को शामिल किया है। संशोधित योजना के अंतर्गत ग्राहक भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का पालन न करने पर बैंकों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

अवार्ड पास करने के लिए बैंकिंग लोकपाल के धन-संबंधी अधिकार क्षेत्र को मौजूदा एक मिलियन रुपए से बढ़ाकर दो मिलियन रुपए किया गया है। समय की हानि, वहन किए गए खर्च, उत्पीड़न और शिकायतकर्ता द्वारा झेली गई मानसिक पीड़ा के लिए बैंकिंग लोकपाल द्वारा शिकायतकर्ता को ₹1,00,000 तक की क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिया जा सकता है। संशोधित योजना 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होगी।

श्री एल. एन. उपाध्याय
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

2 अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों में ग्राहकों के दायित्वों को सीमित करना

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों के दायित्वों को सीमित करने के उद्देश्य से इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। वित्तीय समावेशन और ग्राहक संरक्षण पर अत्यधिक बल देने एवं अनधिकृत लेनदेनों के चलते ग्राहकों के खातों/ कार्डों में राशि डेबिट होने की बढ़ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में रिज़र्व बैंक ने ये दिशानिर्देश जारी किए हैं।

संशोधित दिशानिर्देश और मानदंडों में प्रणालियों और प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण, ग्राहकों द्वारा अनधिकृत लेनदेनों की बैंकों को रिपोर्टिंग, ग्राहक संरक्षण के लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति, अनधिकृत लेनेदेनों को साबित करने का दायित्व, ग्राहक का अधिकतम दायित्व, रिपोर्टिंग और निगरानी आवश्यकताएं आदि विषय शामिल हैं।

3 निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी करना

रिज़र्व बैंक द्वारा 1 अगस्त 2016 को जारी किए गए निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देश में उल्लेख किया गया था कि पारदर्शिता सुनिश्चित

करने के लिए बैंक लाइसेंस के लिए आवेदकों के नाम आवधिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2017 को निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। उक्त तारीख तक रिज़र्व बैंक को यूएई एक्सचेंज एंड फाइनैंशिएल सर्विसेज लिमिटेड से लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आगे भी रिज़र्व बैंक तिमाही आधार पर आवेदकों के नाम प्रकाशित करता रहेगा।

4 चलनिधि मानकों पर बासल III रूपरेखा

रिज़र्व बैंक ने 2 अगस्त 2017 को बासल III रूपरेखा - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटन मानक के दिशानिर्देशों पर बासल III रूपरेखा के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया।

बैंकों के लेवल 1 आस्ति में अब निम्नलिखित शामिल होंगे और इन आस्तियों को बिना किसी सीमा के और बिना किसी बदलाव के चलनिधि आस्ति के स्टॉक में शामिल किया जा सकता है:

(i) आवश्यक सीआरआर से अधिक आरक्षित नकदी राशि सहित नकद राशि।

(ii) न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां।

(iii) अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत, आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियां।

(iv) चुनिंदा शर्तों को पूरा करने पर विदेशी सावरेन द्वारा जारी या गारंटीकृत बाजार योग्य प्रतिभूतियां।

5 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹200 और ₹50 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में **₹200 और ₹50** मूल्यवर्ग के बैंकनोट क्रमश: 25 अगस्त 2017 और 18 अगस्त 2017 को जारी किए। दोनों मूल्यवर्ग के नोटों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. ऊर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर हैं।

₹200 मूल्यवर्ग के बैंकनोट की शुरुआत से आम आदमी के लिए विनिमय लेनदेन सुगम होने और छोटे मूल्य के लेनदेनों के लिए मूल्यवर्ग की पूरी श्रृंखला उपलब्ध होने की संभावना है। ये नोट आने वाले समय में और अधिक मात्रा में जनता के लिए उपलब्ध होंगे।

महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹200 और ₹50 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

₹200

आकार : 66 मिमी 146 मिमी

थीम: पृष्ठभाग पर सांची स्तूप का रूपांकन जिसपर देश की सांस्कृतिक विरासत को चित्रित किया गया है।

रंग : चमकीला पीला

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए : महात्मा गांधी का चित्र इंटैलियो या उभरी हुई छपाई में, अशोक स्तंभ प्रतीक, माइक्रो-टेक्स्ट ₹200 के साथ उभरा हुआ पहचान चिह्न H, नोट के बायीं ओर दायीं तरफ लाइनों के बीच दो वृत्तों के साथ चार कोणीय ब्लीड लाइनें

मूल्यवर्ग अंक 200 के साथ लेटेंट चित्र

रंग बदलाव सहित ''भारत'', RBI के साथ विंडोज सुरक्षा धागा

नोट को तिरछा करके देखने पर धागे का रंग हरे से नीले में परिवर्तित होता है

दायीं तरफ नीचे रंग परिवर्तक स्याही (हरा से नीला) में ₹200 चिह्न के मूल्यवर्ग अंक

₹50

आकार : 66 मिमी 135 मिमी

थीम : पृष्ठभाग पर रथ के साथ हम्पी का रूपांकन जिसपर देश की सांस्कृतिक विरासत को चित्रित किया गया है

रंग : फ्लोरोसेंट नीला

उत्कीर्ण लेख ''भारत'', RBI के साथ विंडोड गैर-धातुई सुरक्षा धागा

6 विदेशों में रुपया मूल्यवर्ग की कांड जारी करना

रिज़र्व बैंक ने 22 सितंबर 2017 को भारत सरकार के साथ परामर्श करके 3 अक्तूबर 2017 से कॉरपोरेट बांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश की सीमा से, जारी किए गए रुपया मूल्यवर्गित बांड (आरडीबी) की राशि को अलग कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, डिपॉजिटरियों के लिए आरडीबी लेनदेन की अतिरिक्त ईमेल रिपोर्टिंग को बंद कर दिया गया है। हालांकि, मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) मानदंडों के अनुसार आरडीबी की रिपोर्टिंग जारी रहेगी।

7 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश - अक्तूबर-दिसंबर 2017 के लिए सीमाओं में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 28 सितंबर 2017 को अक्तूबर-दिसंबर 2017 तिमाही के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एपीआई) द्वारा निवेश की सीमाएं बढ़ाकर केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में 80 बिलियन और राज्य विकास ऋण में 62 बिलियन भारतीय रुपए कर दी है।

संशोधित सीमाएं 3 अक्तूबर 2017 से प्रभावी होंगी।

आईएसएसएन कोड

अंतर्राष्ट्रीय मानक सीरियल नंबर (आईएसएसएन) एक आठ अंकीय कोड है जिसका उपयोग सीरियल प्रकाशन की विशिष्ट पहचान करने के लिए किया जाता है। आईएसएसएन एक ही शीर्षक से प्रकाशित दो अनुक्रमों के बीच अंतर स्पष्ट करने में विशेष रूप से सहायक होता है। आईएसएसएन का उपयोग क्रमबद्ध साहित्य, आदेश, कैटलॉगिंग, एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान प्रदान करने आदि के लिए किया जाता है। इस कोड का इस्तेमाल अखबारों, पत्रिकाओं, जर्नल, संग्रह, वेबसाइटों, डेटाबेस, ब्लॉग्स और सभी प्रकार के मीडिया प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। कई देशों में वहाँ के कानूनों के अधीन सभी प्रकाशनों के लिए आईएसएसएन संख्या अनिवार्य है।

आईएसएसएन प्रणाली को पहली बार 1971 में अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में तैयार किया गया था और इसे 1975 में आईएसओ 3297 के रूप में प्रकाशित किया गया था। आईएसओ उपसमिति टीसी 46 / एससी 9 इसका मानक बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

कोड आबंटित करना

आईएसएसएन कोड आईएसएसएन नेशनल सेंटर के नेटवर्क द्वारा आबंटित किए जाते हैं, जो आमतौर पर राष्ट्रीय पुस्तकालयों में स्थित होते हैं और पेरिस में स्थित आईएसएसएन इंटरनेशनल सेंटर द्वारा समन्वित होते हैं। इंटरनेशनल सेंटर 1974 में यूनेस्को और फ्रांस सरकार के बीच एक समझौते के माध्यम से बनाया गया एक अंतरसरकारी संगठन है। इंटरनेशनल सेंटर दुनिया भर में निर्दिष्ट सभी आईएसएसएन के डेटाबेस का रखरखाव करता है, आईएसडीएस रजिस्टर (इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम) अन्यथा आईएसएसएन रजिस्टर के रूप में जाना जाता है। 2016 के अंत में, आईएसएसएन पंजीकरण में 1,943,572 वस्तुओं के रिकॉर्ड शामिल थे।

विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने एवं पीएचडी करने के लिए आपको अपना लेख किसी स्तरीय जर्नल या किसी बड़े हाउस द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका से ही छपवाना होता है। स्तरीय जर्नल से तात्पर्य यह है कि उसे आईएसएसएन कोड प्राप्त होना चाहिए। यूजीसी की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक अब किसी भी संस्थान में सीधे रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए एकेडेमिक परफोर्मेंस इंडीकेटर (एपीआई) के तहत न्यूनतम निर्धारित अंक अर्जित करने होंगे। इसी तरह अगर आईएसबीएन नंबर वाली किसी रेफर्ड जर्नल में आपका शोध-पत्र छपा है तो उसके लिए आपको निर्धारित अंक मिलेंगे।

इतिहास के पन्नों से

आईडीबीआई बैंक

आईडीबीआई बैंक लि. भारत के प्रमुख बैंकों में से एक है। अपनी तिरपन वर्ष से भी लंबी इस यात्रा के पहले चरण में विकास वित्तीय संस्था के रूप में और फिर बाद में वाणिज्यिक बैंक के रूप में राष्ट्र के निर्माण में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना रिज़र्व बैंक की एक सहायक संस्था के रूप में संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1964 में हुई थी। तब देश को आज़ाद हुए मात्र 17 वर्ष ही हुए थे। देश विकास के शुरुआती दौर से गुजर रहा था। ऐसे में यह संस्था एक बड़े उद्देश्य और व्यापक नज़रिये के साथ स्थापित की गई थी। संस्था का लक्ष्य था देश के औद्योगिक विकास में महती भूमिका निभाते हुए नए उद्योगों की स्थापना, संचालन और विकास में सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करना। विकास वित्तीय संस्था के रूप में आईडीबीआई ने इस्पात, पेट्रो रसायन, उर्वरक, सीमेंट, वस्त्र जैसे कई उद्योगों का वित्तपोषण

आईडीबीआई टॉवर, मुंबई

के जरिये उन्नयन किया। साथ ही देश में उद्यमवृत्ति की एक नई चेतना का उद्भव किया। आईडीबीआई की ही वजह से सक्रिय पूंजी बाजार भी अस्तित्व में आया।

लगभग बारह वर्ष तक रिज़र्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान करते रहने के बाद इसे वर्ष 1976 में रिज़र्व बैंक से अलग करते हुए भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था के रूप में तब्दील कर दिया गया। आरंभ में आईडीबीआई की मात्र महानगरों में शाखाएँ थीं, फिर इसने देश के सभी राज्यों में अपनी एक-एक शाखाएँ खोलीं। अपने इस रूप में आईडीबीआई ने भारत की औद्योगिक तथा आर्थिक प्रगति और देश की वित्तीय संरचना में उत्प्रेरक का कार्य किया।

शशांक युगल किशोर दुबे
उप महाप्रबंधक (राजभाषा),
आईडीबीआई बैंक, प्रधान कार्यालय, मुंबई

आईडीबीआई बैंक की सहायता से स्थापित पोर्ट

देश में बड़े उद्योगों की स्थापना पर ध्यान देने के साथ-साथ आईडीबीआई ने लघु उद्योगों को भी तवज्जो दी और आयात-निर्यात को भी सुकर करने का प्रयास किया। इसी दिशा में आईडीबीआई के सहयोग से भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक की स्थापना की गई। इस संस्था ने एक शीर्ष निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में वित्त प्रदान करना प्रारंभ करते हुए अपने विभिन्न उत्पादों व सेवाओं के जरिए उद्योगों और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम किया। भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के संवर्द्धन में भी इस संस्था ने अहम भूमिका अदा की। आईडीबीआई ने लघु उद्योग क्षेत्र के उन्नयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रमाणित करते हुए सिडबी की स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभाई। सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) की स्थापना आईडीबीआई की अनुषंगी संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के तहत हुई। यह लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में जुटी हुई है।

लगभग 18 वर्ष तक आईडीबीआई के कामकाज का प्रमुख हिस्सा पुनर्वित्त रहा और इसके लिए आईडीबीआई को निधियाँ भारत सरकार द्वारा रियायती दरों पर मिलती रहीं। नब्बे के दशक में देश की बदलती आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में आईडीबीआई ने अपनी ओर से भी संसाधन जुटाने की शुरुआत की और इस दिशा में 1992 में फ्लेक्सी बॉण्ड के जरिये जनता से धनराशि जुटाई। फ्लेक्सी बॉण्ड एक नया नाम था और जिस आईडीबीआई को उद्योग जगत व सामान्य ज्ञान में अपेक्षया ज्यादा रुचि रखने वाले लोग ही जानते थे, अब जन सामान्य और मध्य वर्ग भी जानने लगा। उसी साल 1992 में आईडीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। यह देश का सबसे बड़ा, आधुनिक, प्रौद्योगिक दृष्टि से सुसंपन्न स्टॉक एक्सचेंज है। इसी दौरान आईडीबीआई ने देश के कुछ मझौले केन्द्रों पर भी अपनी छोटी-छोटी शाखाएँ खोलीं।

आईडीबीआई के स्वरूप में एक और बदलाव 1994 में आया जब भारत सरकार ने आईडीबीआई अधिनियम में संशोधन करते हुए इसका निजी क्षेत्र में स्वामित्व 49% तक करने

1985 में आईडीबीआई में संस्थापित पहले कंप्यूटर के साथ तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस एस नाडकर्णी

आईडीबीआई के शेयर धारकों की 29 नवंबर 1995 को सम्पन्न पहली वार्षिक साधारण सभा

का निर्णय लिया। इसी सिलसिले में 1995 में आईओपी के जरिए सरकारी हिस्सेदारी को कम करके 72% किया गया। इस आईपीओ को अभूतपूर्व सफलता मिली। इसके माध्यम से आईडीबीआई ने 10 रुपये के 16.8 करोड़ शेयर 120 रुपये की प्रीमियम की दर से जारी कर 2184 करोड़ रुपये जुटाए और इसे अपने समय का सबसे बड़ा पूंजी निर्गम माना गया। इस दौर में आईडीबीआई ने कॉर्पोरेट वित्तपोषण के जरिये उद्योगों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। साथ ही आईडीबीआई ने औद्योगिक तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल प्लेटफॉर्म तैयार किया। दूसरी ओर आईडीबीआई ने अपने कार्य का विशाखन करने व निधियों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से 1995 में आईडीबीआई बैंक के रूप में एक प्राइवेट बैंक की स्थापना की। बैंक का पंजीकृत कार्यालय इंदौर में रखा गया और शुरुआत महानगरीय शाखाओं से की। जल्द ही बैंक ने रिटेल जगत में अपनी पहचान बना ली और लगभग हर राज्य में इसकी शाखाएँ खुलनी शुरू हो गईं। 1996 में आईडीबीआई ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजीटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के रूप में एक डिपोजीटरी की स्थापना की।

वर्ष 2003 से 2005 तक का समय बैंक के लिए परिवर्तन के कई दौर लेकर आया। वर्ष 2003 में संसद में बैंकिंग कंपनी में परिवर्तित करने के लिए आईडीबीआई निरसन अधिनियम पारित किया गया और वर्ष 2004 में आईडीबीआई अपने विकास वित्त संस्था वाले पुराने स्वरूप से बदल कर आईडीबीआई लि. के नाम से एक ऐसा पूर्ण सेवी वाणिज्यिक बैंक बन गया, जिसे विकास वित्त के लिए भी अधिदेश प्राप्त था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2005 में आईडीबीआई बैंक लि. के साथ आईडीबीआई लि. का समामेलन कर दिया गया। अब आईडीबीआई के पास अपनी विकास वित्त वाली पुरानी शाखाओं के साथ आईडीबीआई बैंक की 100 से अधिक वाणिज्यिक शाखाएँ भी थीं। अपने इस नेटवर्क का और भी अधिक विस्तार करते हुए आईडीबीआई ने 2006 में निजी क्षेत्र के सहकारी बैंक यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक का विलय कर लिया। अब बैंक के पास एक बड़ा नेटवर्क था। बस ज़रूरत थी तो इसे एक नेट से जोड़ने की। आईडीबीआई ने इस मामले

वर्ष 1989 में आईडीबीआई के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एस. नाडकर्णी को विकास बैंकिंग में अभिनव योगदान के लिए पद्मभूषण से सम्मानित किया गया

बैंकिंग और प्रशिक्षण के क्षेत्र में आईडीबीआई बैंक द्वारा हैदराबाद में स्थापित एशिया का प्रमुख संस्थान 'जवाहरलाल नेहरू विकास बैंकिंग संस्थान' (नया नाम: 'जवाहरलाल नेहरू बैंकिंग व वित्त संस्थान')

में भी ज़्यादा देर नहीं की और वर्ष 2008 पूरा होने से पहले अपनी तमाम शाखाओं को 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग के साथ जोड़ दिया। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला आईडीबीआई देश का पहला सरकारी बैंक था। इसी वर्ष आईडीबीआई ने अपना नाम बदलकर आईडीबीआई बैंक कर दिया। आईडीबीआई का प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म इतना उन्नत था कि इसे प्रौद्योगिकी के सर्वोत्कृष्ट इस्तेमाल के लिए देश भर की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जाने लगा।

आज अपनी प्रौद्योगिकी सम्पन्न तथा कॉर्पोरेट, रिटेल, एसएमई व कृषि उत्पादों व सेवाओं की बहुविध श्रृंखला के जरिए यह लाखों भारतीयों की जीवनशैली का हिस्सा बन गया है। आईडीबीआई बैंक को एक ऐसे बैंक के रूप में जाना जाता है, जिसमें धनराशि की सुरक्षा की गारंटी किसी सरकारी बैंक की तरह और सेवाओं की सुविधा किसी आधुनिक निजी बैंक की तरह है। आईडीबीआई बैंक के पास बेहतर प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म के अलावा तीन चार और प्रमुख बातें हैं। इसका देश भर में विशाल नेटवर्क है। 1426 केन्द्रों में इसकी 1926 शाखाएँ और 3817 एटीएम हैं। बदलते समय के साथ इसने विदेश में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इसकी दुबई में शाखा है। कुछ अरसा पहले इस शाखा के माध्यम से आईडीबीआई बैंक ने डिम सुम बॉन्ड जारी किए, जोकि एक नई पहल थी। दूसरी ओर जन-जन तक बैंकिंग पहुंचाने के सरकार के संकल्प के मद्देनज़र इसने दूरस्थ इलाकों में अपनी कई वित्तीय समावेशन शाखाएँ खोली हैं।

आईडीबीआई बैंक ने हमेशा ऐसी बैंकिंग को अपनाया है जिसमें अधिक से अधिक ग्राहकों को कम से कम समय में अनुकूल सेवाएँ दी जा सकें। इसकी ग्राहक रुपरेखा विविधीकृत है जिसमें ब्लू-चिप कंपनियां, छोटे एवं मझौले आकार के व्यवसाय, रिटेल ग्राहक, स्वयं-सहायता समूह, उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति आदि शामिल हैं। बैंक का पचास लाख से अधिक का सुदृढ़ ग्राहक आधार है और ब्रांड इक्विटी काफी मजबूत है। आईडीबीआई की वित्तीय सुदृढ़ता को

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए 14 सितंबर 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा से राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एच. खान

अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों ने भी माना है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्थाएं आईडीबीआई बैंक को दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रेटिंग के लिए अच्छी रेटिंग प्रदान करती रही हैं। अपनी आक्रमक विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसके पास कुशल एवं समर्पित मानव पूंजी है। इससे भी अधिक, इसके मानव संसाधन प्रतिभा पूल में लेखाकार, इंजीनियर, अर्थशास्त्री, आईटी विशेषज्ञ, विधि, प्रबंधन, कृषि एवं ट्रेजरी परिचालनों जैसे प्रोफेशनल शामिल हैं।

समय समय पर आईडीबीआई ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए एक्ज़िम बैंक, सिडबी, एनएसई, एनएसडीएल, केयर (क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड), एनईडीएफ़सी (पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम), ईडीआईआई (उद्यमिता विकास संस्थान) और टीसीओ (तकनीकी सलाहकार संगठन) जैसी कई संस्थाओं की स्थापना करते हुए उद्यमियों के विकास को बढ़ावा दिया है और देश के वित्तीय ढांचे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईडीबीआई बैंक ने विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ाते हुए आईडीबीआई फेडरल, आईडीबीआई म्यूचुअल, आईडीबीआई इंटेक, आईडीबीआई केपिटल और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के माध्यम से अपना एक मजबूत परिवार तैयार किया है, जो कॉरपोरेट जगत के साथ-साथ आम लोगों के लिए बहुविध प्रोडक्ट और सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

आईडीबीआई बैंक के स्टाफ सदस्यों की औसत उम्र 33 वर्ष है, जो बैंकिंग जगत में सबसे कम में से एक है। बैंक को बुनियादी क्षेत्र/कॉर्पोरेट/एमएसएमई वित्तपोषण, रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास, रिटेल उधार, ट्रेजरी परिचालनों, निधियों के संग्रहण, रिटेल आस्तियों एवं देयता योजनाओं के विपणन, वसूली प्रबंध, जोखिम प्रबंध आदि के क्षेत्र में सुदीर्घ अनुभव एवं विशेषज्ञता है। बैंक ने आपदा की स्थिति में कारोबार जारी रखने (ग्राहकों के आंकड़े, सूचना एवं रिकार्ड के खोने, क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट होने से रोकने) के लिए आधुनिकतम डाटा सेन्टर तथा डिजास्टर रिकवरी साइट स्थापित कर अपने को सुरक्षित बनाया है।

आईडीबीआई बैंक बोर्ड द्वारा प्रबंधित संगठन है। इसके बोर्ड में अध्यक्ष तथा उप प्रबंध निदेशक के अलावा सरकार के प्रतिनिधि और वित्त व उद्यमिता क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति शामिल होते हैं। समय समय पर आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में पूर्व प्रधान मंत्री व अर्थ शास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह, महान उद्योगपति श्री अरविंद मफ़तलाल, रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. आई.जी. पटेल, 'मिल्कमेन ऑफ इंडिया' के नाम से प्रसिद्ध श्री वर्गीस कुरियन, उद्यमी श्री हंसमुख भाई परिख जैसी हस्तियाँ रही हैं, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से संस्था को गौरवान्वित करते हुए देश को लाभान्वित किया है। आईडीबीआई बैंक को अपने लाखों रिटेल ग्राहकों के साथ-साथ उद्योग जगत की सभी प्रमुख हस्तियों का साथ मिलता रहा है। अपनी पाँच दशक से भी अधिक लंबी इस यात्रा में अर्थ जगत में निरंतर अपनी छाप छोड़ते हुए आज भी यह संस्था राष्ट्र की प्रगति में भागीदारी के लिए तैयार है।

घूमता आईना

13 साल बाद मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में किया सुधार

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'मूडीज इंवेस्टर सर्विस' (Moody's) ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर बीएए2 कर दिया है। रेटिंग में यह सुधार 13 वर्ष बाद हुआ है। इससे पहले 2004 में देश की रेटिंग को सुधारकर बीएए3 किया गया था। उसने वर्ष 2015 में रेटिंग परिदृश्य को सकारात्मक से स्थिर किया था। क्रेडिट रेटिंग में ताजा सुधार से विदेशी निवेशकों की भारत के प्रति विश्वसनीयता में इजाफा होगा जिससे विदेशी निवेश में वृद्धि के साथ-साथ अपेक्षाकृत कम ब्याज पर विदेशी ऋण की उपलब्धता हो सकेगी। यह देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायक होगा।

सार्वभौम रेटिंग किसी भी देश के निवेश माहौल का सूचक होता है। यह निवेशकों को किसी देश में निवेश से संबंधित जोखिमों से अवगत कराता है। इन जोखिमों में राजनीतिक जोखिम भी शामिल होता है। लंबे समय से भारत को रेटिंग एजेंसियां निवेश की सबसे निचली श्रेणी बीएए3 में रखती आई हैं।

के. सी. मालपानी
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी

विश्व बैंक की ईज आफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट : भारत शीर्ष 100 में शामिल

सरकार द्वारा हाल ही के वर्षों में अपनाई गई नीतियों तथा कारोबार चलाने के लिए विभिन्न मामलों तथा आवश्यकताओं को सुगम करने के प्रयासों के चलते विश्व बैंक की ईज आफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में पर्याप्त सुधार हुआ है। भारत 30 स्थानों की छलांग लगाते हुए 100वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत 130वें स्थान पर रहा था। *उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक हर साल यह सूची जारी करता है।*

विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता के मामले में इस बार शीर्ष स्थान न्यूजीलैंड को मिला है जिसके पश्चात क्रमश: सिंगापुर, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया व हांगकांग (चीन) के स्थान है। यू.एस.ए. तथा यू.के. तथा इस रैंकिंग में क्रमश: छठे तथा सातवें स्थान पर हैं। भारत ने छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा, ऋण उपलब्धता और विद्युत उपलब्धता के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत को छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के पैमाने पर विश्व में चौथे स्थान पर रखा गया है।

रिज़र्व बैंक ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) में कमी की

देश में ज्यादा से ज्यादा लोग डेबिट कार्ड से खरीदारी कर सकें, इसके लिए रिज़र्व बैंक ने इस पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को नए सिरे से तय किया है। अब 20 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी को अधिकतम 0.40 प्रतिशत जबकि इससे ज्यादा का कारोबार करने वाले व्यापारी को 0.90 प्रतिशत से ज्यादा एमडीआर नहीं चुकाना होगा। इसके साथ ही क्विक रिस्पांस यानी क्यूआर कोड के लिए भी अलग दरें तय की गई है। इस व्यवस्था में बीते वर्ष जिस कारोबारी ने 20 लाख रुपये तक का कारोबार किया होगा, उन्हें

छोटा जबकि इस रकम से ज्यादा का कारोबार करने वालों को बड़ा व्यापारी माना गया है। यह आदेश एक जनवरी 2018 से लागू हो गया है।

छोटे कारोबारी के लिए पीओएस पर एमडीआर की दर 0.40 प्रतिशत तथा क्यूआर कोड के आधारित ट्रांजेक्शन पर 0.30 प्रतिशत तक हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में एक ट्रांजेक्शन पर एमडीआर ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये तक हो सकता है। बड़े कारोबारी के लिए एमडीआर की दर अधिकतम 0.90 प्रतिशत होगी तथा क्यूआर कोड की सूरत में एमडीआर की यह दर 0.80 प्रतिशत होगी। दोनों ही स्थिति में एक ट्रांजेक्शन पर एमडीआर ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपये हो सकता है।

एमडीआर को दूसरे शब्दों में ट्रांजेक्शन फीस भी कहते हैं जो कारोबारी पर लगता है। यह शुल्क कार्ड जारी करने वाला बैंक / वित्तीय संस्था लेती है। बड़ी दूकान, मॉल, होटल वगैरह इस फीस का बोझ खुद ही उठाते हैं, जबकि कुछ छोटे व मंझोले दुकानदार यह शुल्क ग्राहकों से वसूलते हैं।

जानिए आपके आधार का इस्तेमाल कब - कब हुआ ?

अब इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि आपकी आधार संख्या का इस्तेमाल कब- कब हुआ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इसे चेक करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस तरह कर सकते हैं आप अपने आधार के इस्तेमाल की जांच –

1. आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पेज पर https://resident.uidai.gov.in/notificationaadhaar लिंक पर जाएं
2. यहां अपना आधार नंबर और फोटो में दिया हुआ सिक्योरिटी कोड डाले।
3. इसके बाद वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जनरेट करने के लिए क्लिक करें।
4. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
5. ओटीपी को भरें और सबमिट कर दें। ओटीपी भरने से पहले आपको वह समय सीमा भी चुननी होगी, जिसकी डिटेल आपको चाहिए।
6. इसके बाद आपको तारीख और समय के हिसाब से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपके आधार को कहां- कहां इस्तेमाल किया गया है। इससे आप जान सकते हैं आपके आधार के प्रमाणन के लिए यूआईडीएआई के पास कब-कब रिक्वेस्ट आई है।

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (National Anti-profiteering Authority) के गठन का मार्गप्रशस्त

सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण के गठन के लिए मंजूरी दी है। इस प्राधिकरण के गठन के पीछे मकसद नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में घटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। यदि किसी ग्राहक को लगता है कि उसे घटी कर दरों का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह प्राधिकरण में इसकी शिकायत कर सकता है।

जीएसटी कानून में उल्लिखित मुनाफाखोरी विरोधी उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढांचे की व्यवस्था करते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी की घटी हुई दरों का पूर्ण लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। इस संस्थागत ढांचे में एनएए, एक स्थायी समिति, प्रत्येक राज्य में छानबीन समितियां और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) में सेफ गार्डस महानिदेशालय शामिल हैं।

ऐसे प्रभावित उपभोक्ता जो ऐसा महसूस करते हैं कि वस्तुएं या सेवाएं खरीदने पर उन्हें जीएसटी की कीमतों में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है तो वे अपने संबंधित राज्य में छानबीन समिति के समक्ष राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि मुनाफाखोरी की स्थिति में अखिल भारतीय स्तर पर बृहत जन-उपभोग की वस्तु से संबंधित मुनाफाखोरी की स्थिति में आवेदन सीधे स्थायी समिति को दिए जा सकते हैं। प्रथम दृष्टया विचार करने के पश्चात यदि इसमें मुनाफाखोरी का मामला बनना पाया जाता है, तो स्थायी समिति मामले की विस्तृत जांच के लिए सेफ गार्डस महानिदेशालय (सीबीईसी) को भेज सकती है, जोकि अपनी जांच रिपोर्ट एनएए को भेजेगी।

यदि एनएए यह पुष्टि करती है कि मुनाफाखोरी विरोधी उपायों को लागू करने की आवश्यकता है तो इसे आपूर्तिकर्ता/संबंधित व्यवसाय को उसकी कीमत घटाने या वस्तुओं या सेवाओं पर इस गैर-कानूनी लाभ को ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यदि गैर-कानूनी लाभ को उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाया जा सकता तो इसे उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा करने का आदेश दिया जा सकता है। बहुत गंभीर स्थिति में, एनएए चूककर्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगा सकती है और जीएसटी के अंतर्गत उसका पंजीकरण भी रद्द कर सकती है।

एनएए का गठन उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाएगा क्योंकि विशेष रूप से जीएसटी की दरों में हाल ही में की गई कटौती और सामान्य रूप से जीएसटी के लाभ उन तक पहुंचेंगे।

15 वें वित्त आयोग का गठन

केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्त के विभाजन के लिए नया फॉर्मूला निर्धारित करने के लिए 15 वें वित्त आयोग का गठन सरकार ने 27 नवंबर 2017 को किया। संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के तहत गठित इस आयोग का अध्यक्ष पूर्व सांसद व केन्द्र सरकार के पूर्व सचिव एन. के. सिंह को बनाया गया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग सचिव रहे शक्तिकान्त दास तथा जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय (अमरीका) में सहायक प्रोफेसर अनूप सिंह आयोग के सदस्य बनाए गए हैं, जबकि बन्धन बैंक के अध्यक्ष (अंशकालिक गैरकार्यकारी) डॉ. अशोक लाहिरी व नीति आयोग के सदस्य डॉ. रमेश चन्द्र आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अरविंद मेहता इसके सचिव बनाए गए हैं।

आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 की पाँच वर्षीय अवधि के लिए होंगी। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत सामान्यत: प्रति पाँच वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 15वां वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा-

(i) केंद्र और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों (Net Proceeds of Taxes) के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन के बारे में। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन करों के शुद्ध आगमों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजन किया जाना है।

(ii) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुक (Provisos) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 275 के अधीन राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को संदत्त की जाने वाली धनराशियां।

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक अध्युपाय।

आयोग केंद्र और राज्यों की वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे, ऋण स्तरों, नकदी शेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रयासों की स्थिति की समीक्षा करेगा और मजबूत राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) की रूपरेखा की सिफारिश करेगा। आयोग अपनी सिफारिशें देने के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का प्रयोग करेगा।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. को महारत्न कंपनी का दर्जा

सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। अब तक इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त था। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को महारत्न का दर्जा दिए जाने की योजना 2009 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य बृहद् सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीईपी) को अधिक अधिकार सौंपने के माध्यम से उन्हें घरेलू बाजारों के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भी अपने कारोबार का विस्तार करने तथा एक बड़ी वैश्विक कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है। बीपीसीएल को महारत्न का दर्जा मिलने के बाद अब महारत्न कंपनियों की

कुल संख्या बढ़कर आठ हो गई है –

(i) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(ii) गेल (इंडिया) लिमिटेड

(iii) एनटीपीसी लिमिटेड

(iv) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(v) कोल इंडिया लिमिटेड

(vi) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(vii) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(viii) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

निम्न मापदंडों को पूरा करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों को 'महारत्न' का दर्जा देने पर विचार किया जाता है –

(i) नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

(ii) सेबी (SEBI) के विनियमनों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए।

(iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।

(iv) पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध मालियत 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए।

(v) कर अदायगी के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल लाभ 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।

(vi) वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति/अंतरराष्ट्रीय संचालन होना चाहिए।

चालू वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों में सरकार 88 हजार करोड़ की पूंजी लगाएगी

सरकार ने घोषणा की है कि वह चालू वित्तीय वर्ष में 20 पब्लिक सेक्टर बैंकों में 88 हजार 139 करोड़ रुपये की पूंजी लगाएगी जिसमें 80,000 करोड रुपए पुनर्पूंजीकरण बांड तथा 8,139 करोड रुपए बजटीय सहायता द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। पिछले साल अक्तूबर में सरकार ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये के रीकैप प्लान का ऐलान किया था। 2017-18 और 2018-19 के दौरान बैंकों के रीकैप प्लान पर अमल किया जाएगा।

31 मार्च 2018 को खत्म हो रहे चालू वित्तीय वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक को सबसे ज्यादा 10,610 करोड़ रुपये मिलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 8,800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया को 9,232 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा यूको बैंक को 6,507 करोड़, पंजाब नैशनल बैंक को 5,473 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा को 5,375 करोड़, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 5,158 करोड़, कैनरा बैंक को 4,865 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4,694 करोड़ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 4,524 करोड़ रुपये मिलेंगे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 3,571 करोड़, देना बैंक को 3,045 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 3,173 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 2,634 करोड़, कॉर्पोरेशन बैंक को 2,187 करोड़, सिंडिकेट बैंक को 2,839 करोड़, आंध्रा बैंक को 1,890 करोड़, इलाहाबाद बैंक को 1,500 करोड़ और पंजाब एंड सिंध बैंक को 785 करोड़ रुपये मिलेंगे।

अब 31 मार्च तक जोड़ सकते हैं पैन को आधार से

सरकार ने लोगों को अपने स्थायी खाता संख्या अर्थात पैन को आधार से जोड़ने के लिए दी गई समय सीमा तीन महीने और बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी है। यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है। कुछ करदाताओं ने अभी तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा है। इसी वजह से पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया की तिथि को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करने का फैसला किया गया है। नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को 12 अंकों वाली आधार संख्या से जोड़ दिया था।

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र है तो उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी को पैन से जोड़ना जरूरी है।

लेखकों से / पाठकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें उसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। **लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :**

1. क. सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।
   ख. लेख में किसी सम-सामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।
   ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।
   घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।
   ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।
2. लेख में दिए गए **तथ्य, आंकड़े अद्यतन हों एवं उनके स्रोत के बारे में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।**
3. क. लेख न्यूनतम 5 पृष्ठों के हों तथा यूनिकोड में टंकित हों।
   ख. वह कागज के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।
   ग. यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों।
   घ. लेख यदि संभव हो तो यूनिकोड फांट में rajbhashaco@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।
4. यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
5. **लेखक अपने पत्राचार का पता, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन / मोबाइल नंबर अवश्य दें।**
6. प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि **जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।**

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

सदस्यता फार्म

प्रबंध संपादक
बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
सी-9, दूसरी मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

महोदय,

मैं तीन वर्षों के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता / चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक (यदि पहले से सदस्य हैं) _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री / श्रीमती / कुमारी _____

पता (स्पष्ट अक्षरों में) : _____

_____

_____

केंद्र _____ पिनकोड _____

मो. नं. _____ टेलीफोन नं. (कार्यालय) _____ _____ निवास _____

फैक्स नं. _____ एसटीडी कोड _____

ई मेल पता _____

दिनांक _____/_____/_____

भवदीय / या

(हस्ताक्षर)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित

नवीनतम हिंदी पुस्तक

'बैंकिंग कल, आज और कल'

मूल्य : 300/- रुपये

पुस्तक मिलने का पता -

मै. आधार प्रकाशन प्रा.लि.
एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16
पंचकूला - 134 113
(हरियाणा)

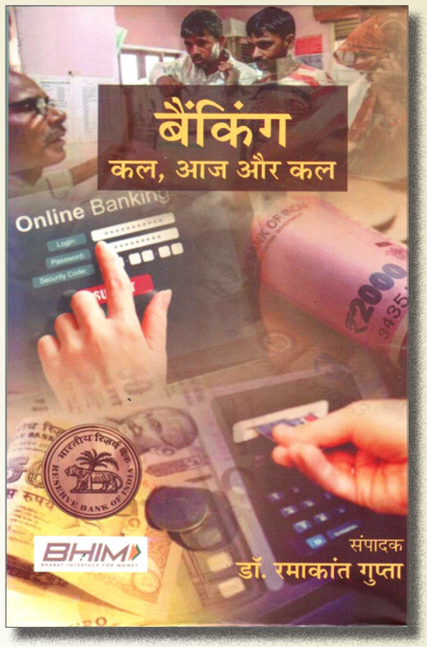

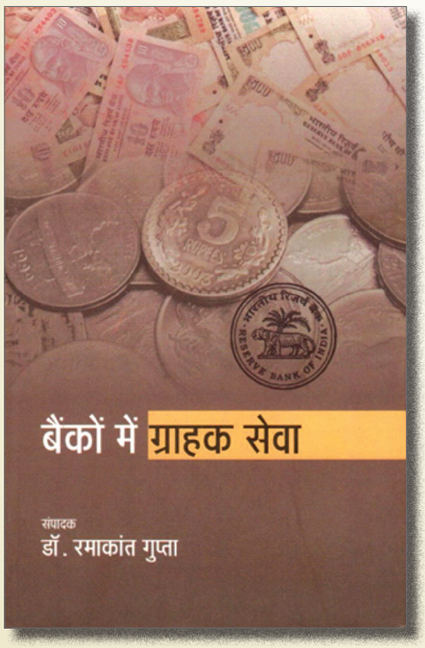

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित

नवीनतम हिंदी पुस्तक

'बैंकों में ग्राहक सेवा'

मूल्य : 500/- रुपये

पुस्तक मिलने का पता -

मै. आधार प्रकाशन प्रा.लि.
एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16
पंचकूला - 134 113
(हरियाणा)

आईएसएसएन – 2457-015X

पंजीकरण संख्या - 47043 / 88

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन के विशेषांक में प्रकाशित आलेखों में से तीन सर्वश्रेष्ठ आलेखों के लिए मानदेय योजना की शुरुआत

जैसा कि हमारे सुधी लेखकों/पाठकों को ज्ञात है कि बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन बैंकिंग जगत का एक मात्र व्यावसायिक जर्नल है जिसका प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा बैंकिंग विषयों पर हिंदी में किया जाता है। इसमें प्रकाशित सभी आलेखों को मानदेय देने का प्रावधान भी है।

हाल ही में संपादक मंडल ने यह निर्णय लिया है कि इस नियमित मानदेय के अलावा बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन के विशेषांक में प्रकाशित तीन उत्कृष्ट आलेखों को पुरस्कृत किया जाए। इस हेतु प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त आलेखों को क्रमशः 10,000/-, 7,500/- तथा 5,000/- रुपये मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। इन तीन सर्वश्रेष्ठ आलेखों हेतु मानदेय योजना बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन के विशेषांक में प्रकाशित आलेखों पर लागू है जिसका प्रकाशन वर्ष में एक बार किसी एक विशेष विषय पर अक्तूबर-दिसंबर अंक में किया जाता है।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन में प्रकाशित आलेखों के मानदेय में वृद्धि

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसा व्यावसायिक जर्नल है जिसका वितरण देश के कोने-कोने में होता है। हिंदी में बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना इस पत्रिका का मुख्य ध्येय है। इसके लेखक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के कार्मिकों के अलावा आम नागरिक भी हैं। पत्रिका के समय पर प्रकाशन होने में लेखकों का योगदान सराहनीय रहा है।

लेखकों हेतु पत्रिका में प्रकाशित आलेखों के लिए मानदेय का प्रावधान काफी समय से चला आ रहा है। संपादक मंडल की हाल में हुई बैठक में इस मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मानदेय राशि की बढ़ी हुई दरें निम्न हैं –

क्रं. सं.	विषयवस्तु	मानदेय राशि (रुपये)
1.	(क) प्रति मुद्रित पृष्ठ तथा (ख) संपूर्ण आलेख पर दी जाने वाली अधिकतम राशि (चार पृष्ठ या अधिक)	1000/- 4000/-
2.	पुस्तक समीक्षा हेतु दिए जाने वाले मानदेय की राशि	1600/-
3.	साक्षात्कार हेतु दिए जाने वाले मानदेय की राशि	1600/-